सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

भारतीय रेल में खानपान सेवायें

संघ सरकार (रेलवे)

2017 की प्रतिवेदन संख्या–13

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

भारतीय रेल में खानपान सेवायें

31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए

..... को लोकसभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की गई

संघ सरकार (रेलवे)
2017 की प्रतिवेदन सं. 13

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में भारतीय रेल में खानपान सेवायें की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टांत वे हैं, जो कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए और वे जो पिछले वर्षों में देखे गये, किंतु पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुपालन में की गई है।

विषय सूची

विवरण	पैरा सं.	पृष्ठ
संक्षिप्त रूप		i
कार्यकारी सार		ii
अध्याय 1 – प्रस्तावना		
संगठनात्मक संरचना	1.1	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा परिधि	1.2	2
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा नमूना	1.3	2
लेखापरीक्षा मानदण्ड	1.4	4
आभार	1.5	4
अध्याय 2: खानपान नीति तथा योजना		
नीति निर्माण तथा योजना	2.1	5
नीति अनिश्चितता तथा इसके प्रभाव	2.2	6
पर्याप्त खानपान सुविधाओं के प्रावधान हेतु योजना	2.3	8
रसोईयान पर नीति	2.4	9
अध्याय 3: खानपान सेवाओं की उपलब्धता एवं पर्याप्तता		
विभिन्न स्टेशनों एवं ट्रेनों में खानपान सेवाओं की उपलब्धता	3.1	12
क्षेत्रीय रेलवे द्वारा बेस किचन की स्थापना	3.2	14
अचल खानपान इकाईयों का प्रबंधन	3.3	19
चल खानपान इकाईयों का प्रबंधन	3.4	22
आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित विशिष्ट खानपान इकाईयों द्वारा खानपान	3.5	24
ट्रेन साईड वेडिंग (टीएसवी)	3.6	26
जनता भोजन/जन आहार की उपलब्धता	3.7	28
विभागीय खानपान इकाईयों का वित्तीय निष्पादन	3.8	30
अप्राधिकृत खानपान वेंडर/विक्रेता	3.9	32
अध्याय 4: खानपान ठेकों का प्रबंधन		
निर्धारित आरक्षित मूल्य और प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क की तुलना	4.1	34
खानपान लाइसेंसों के धारण पर अंतिम सीमा	4.2	36
झांसी स्टेशन में वैंडिंग हेतु अनियमित लाइसेंसिंग के कारण हानि	4.3	40
खानपान इकाई के लाइसेंसधारक संचालकों से विभिन्न प्रभारों और जुर्माने की गैर-वसूली	4.4	41

विवरण	पैरा सं.	पृष्ठ
अध्याय 5: अच्छी गुणवत्ता तथा स्वच्छ भोजन का प्रावधान		
स्वच्छता तथा सफाई	5.1	45
खानपान सेवाओं में अनुचित प्रथाओं का पालन किया जाना	5.2	49
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिए और जांच एवं नियन्त्रण	5.3	53
क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किये गये यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण	5.4	58
शिकायत निवारण प्रणाली	5.5	59
अध्याय 6: निष्कर्ष और सिफारिशें		
निष्कर्ष	6.1	62
सिफारिशें	6.2	65
परिशिष्ट		*67*
अनुबंध		*73*

संक्षिप्त रूप

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एएचओ	सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
एवीएम	स्वचालित विक्रेता मशीन
सीसीएम	मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक
सीएचआई	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक
मरे	मध्य रेलवे
पूतरे	पूर्व तटीय रेलवे
पूरे	पूर्व रेलवे
एफसी	फूड कोर्ट
एफएफयू	फास्ट फूड इकाई
एफपी	फूड प्लाजा
एफएसओ	खाद्य सुरक्षा अधिकारी
एफएसएसएआई	भारत का खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
आईसीएफ	इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
आईआरसीटीसी	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
एलओए	स्वीकृति पत्र
एलपीजी	लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस
एमआरपी	अधिकतम खुदरा मूल्य
पूमरे	पूर्व मध्य रेलवे
उसीरे	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे
उपूरे	उत्तर पूर्व रेलवे
उरे	उत्तर रेलवे
उपरे	उत्तर पश्चिम रेलवे
पीएडी	सांपांतिक सामग्री डिपो
पीडीडी	पैकेज्ड पेय जल
एसबीडी	मानक बोली दस्तावेज
दमरे	दक्षिण मध्य रेलवे
एससीयू	विनिर्दिष्ट खानपान इकाई
दपूमरे	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
दपूरे	दक्षिण पूर्व रेलवे
दरे	दक्षिण रेलवे
दपरे	दक्षिण पश्चिम रेलवे
टीएसवी	ट्रेन साइड वेंडिग
पमरे	पश्चिम मध्य रेलवे
परे	पश्चिम रेलवे

कार्यकारी सार

भारतीय रेल (आईआर) प्रति दिन 22.21 मिलियन यात्रियों का वहन करती है। यात्रियों के आवागमन के इस परिमाण को, उचित मूल्यों पर स्वास्थ्य के लिए हितकर एवं पौष्टिक खाने की आपूर्ति के लिए, एक सुव्यवस्थित खानपान एवं वेडिंग प्रणाली की सेवाओं की आवश्यकता है। भारतीय रेल द्वारा खानपान सेवाएँ स्टेशनों एवं ट्रेनों में बाहरी एजेंसियों द्वारा, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा और विभागीय तौर पर प्रदान की जाती हैं।

यह लेखापरीक्षा रेलवे यात्रियों को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता एवं स्वच्छ खाने की पर्याप्तता एवं उपलब्धता का आंकलन करने के लिए की गई थी। स्टेशनों और ट्रेनों में अच्छी गुणवत्ता की खानपान सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा ने दी गई संविदाओं के प्रबंधन का भी आंकलन किया। लेखापरीक्षा जाँच में 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि निहित है।

खानपान नीति में बार-बार परिवर्तन एवं परिणामस्वरूप खानपान इकाईयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी को रेल से आईआरसीटीसी में हस्तांतरण एवं फिर वापस लेने से पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों को प्रदान की गई खानपान सेवाओं के प्रबंधन में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई है। चूंकि खानपान सेवाओं की गुणवत्ता अपेक्षा अनुसार नहीं बढ़ी थी, रेलवे बोर्ड ने एक नई खानपान नीति 2017 तैयार की, जिसे 27 फरवरी को जारी किया गया । नई नीति के अनुसार, खानपान की कई गतिविधियॉ जो की 2005 नीति में आईआरसीटीसी को सौंपी गई थीं और फिर क्षेत्रीय रेलवे को 2010 नीति में हस्तांतरित कर दी गई थीं, अब फिर से आईआरटीसीटीसी को सौंप दी गई हैं। हालांकि, गुणवत्ता, साफ सफाई, सामर्थ्य और यात्रियों को भोजन की उपलब्धता के मामलों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है, जैसा कि इस प्रतिवदेन में चिन्हित किया गया है।

रसोईयानों में गैस बर्नरों को विद्युत ऊर्जा उपकरण में बदलने की प्रगामी नीति का इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में रसोईयानों के निर्माण के समय पालन नहीं किया गया।

सभी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा मास्टर प्लान (ब्लू प्रिंट) के रूप में प्रत्येक स्टेशन के लिए स्टेशनों एवं ट्रेनों में खानपान सुविधाओं की आवश्यकता का विस्तारपूर्वक आंकलन नहीं किया गया था। रेल परिसरों के बाहर स्थित बेस किचन की एक बड़ी संख्या गुणवत्ता जांच के अधीन नहीं थी और इस प्रकार, गुणवत्ता, स्वच्छता एवं साफ-सफाई का आश्वासन नहीं दिया गया था। नई खानपान नीति 2017 में, बेस किचन के संस्थापन एवं परिचालन की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को दी गई है। हालाँकि बेस किचन के संस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है एवं क्षेत्रीय रेलवे एवं आईआरसीटीसी की जिम्मेदारी परिभाषित की गई है, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को साइट सौंपने के बाद केवल आईआरसीटीसी के भाग पर विलम्ब के लिए जुर्माना निर्धारित किया गया। अत: 2017 की नई

खानपान नीति को आगे बढ़ाने हेतु क्षेत्रीय रेलवे की जवाबदेही को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने की आवश्यकता हैं।

लेखापरीक्षा में जांच की गई कुछ ट्रेनों में ट्रेन साइड वैंडिंग एंव/अथवा बेस किचनों द्वारा वैकल्पिक सेवाएँ नहीं दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि स्टेशनों पर जनता भोजन की उपलब्धता भी पर्याप्त नहीं थी। चूंकि नई खानपान नीति में जन आहार के प्रबंधन के जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दी गयी है, रेलवे को यह सुनिश्चित करना होगा कि आईआरसीटीसी द्वारा यात्रियों को सस्ते मूल्य पर पर्याप्त संख्या में जनता भोजन सुलभ कराया जाए।

फेरीवालों की लगातार उपस्थिति एवं ट्रेनों में अप्राधिकृत खाने की बिक्री ने यह भी दर्शाया कि ट्रेनों में प्रदान की गई खानपान सुविधाएँ पर्याप्त नहीं थी। लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय और आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित चल और अचल खानपान इकाईयों, जो कि विभागीय रूप से या लाइसेन्स धारियों द्वारा चलाई जा रही हैं, की चयनित स्टेशनों तथा ट्रेनों में रेलवे के अधिकारियों के साथ संयुक्त जांच की। यह देखा गया कि यात्रियों को परोसे गए खाने के साफ-सफाई और स्वच्छता को रेलवे द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों में सुनिश्चित नहीं किया गया था। स्टेशनों और ट्रेनों में दी जाने वाली खानपान सुविधाओं के क्रियान्वयन में अनुचित प्रथाओं का अनुपालन किया जा रहा था। ये कमियॉ यह दर्शाती हैं कि, ठेकेदारों ने यात्रियों को परोसे गए खाद्य मदों के संबंध में कीमत और गुणवत्ता से समझौता किया और रेलवे द्वारा गुणवत्ता के मानकों के विचलन को रोकने के लिए की गई कार्यवाई प्रभावी नहीं थी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- बार-बार नीति परिवर्तन के कारण, बेस किचन, अचल खानपान इकाइयों, ट्रेन साइड वैंडिंग व्यवस्थाओं एवं स्वचालित विक्रेता मशीनों आदि के अनुसार आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने में कमियों को ठीक करने के लिए भारतीय रेल प्रभावी कदम नहीं उठा सकी।

(पैरा 2.2)

- प्रत्येक स्टेशन एवं चलती ट्रेनों पर प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं का एक मास्टर प्लान (ब्लू प्रिंट) बनाने की आवश्यकता थी। खानपान सेवाओं के प्रावधान के लिए ब्लू प्रिंट सात क्षेत्रीय रेलवे (पूमरे, पूरे, पूसीरे, उपरे, दपूरे, दपरे एवं पूतरे) में नहीं बनाया गया था। **(पैरा 2.3)**
- नीति के अनुसार, ट्रेन की रसोईयानों में प्रगतिशील रूप से गैस बर्नर को विद्युत ऊर्जा उपकरण में अंतरण करना था। तथापि, आईसीएफ ने केन्द्रीकृत एलपीजी सिलेंडरों के प्रावधान के साथ अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के दौरान 103 रसोई यानों का निर्माण किया था जो कि सभी क्षेत्रीय रेलवे में वितरित किए गए थे। **(पैरा 2.4.1)**

- क्षेत्रीय रेलवे ने लम्बी दूरी की अनेक ट्रेनों में रसोईयानों का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया था। संयुक्त जाँच के दौरान, यह देखा गया था कि नौ ट्रेनों में, जिनकी यात्रा अवधि 24 घंटें से अधिक थी, कोई रसोईयान प्रदान नहीं की गई थी। उमरे, दपूमरे एवं दरे द्वारा उन ट्रेनों के लिए जो कि दिन के समय में 12 घंटों से अधिक के लिए चलती हैं, कोई ट्रेन साइड वेंडिग सेवाएँ प्रदान नहीं की गई थीं।

(पैरा 3.1 और 3.6)

- ट्रेनों में परोसे गए खाने की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए रेल परिसर में बेस किचन स्थापित की जानी थीं। तथापि, रेलवे परिसर में केवल 16 बेस किचन स्थित थीं। 115 बेस किचन रेल परिसरों से बाहर स्थित थीं एवं गुणवत्ता जांच के अधीन नहीं थीं। सात क्षेत्रीय रेलवे की 128 ट्रेनों के संबंध में, खाना बाहरी बेस किचन से लिया गया था।

(पैरा 3.2)

- रेलवे बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलवे को जनता भोजन की बिक्री/उपलब्धता को सुधारने के प्रयास के निर्देश (जनवरी 2012) दिए ताकि रेल यात्रियों को सस्ती मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता का खाना प्रदान किया जा सके। तथापि, 74 स्टेशनों में से जहाँ लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त जाँच की गई, 46 स्टेशनों पर जन आहार इकाईयाँ उपलब्ध नहीं थीं। छ: क्षेत्रीय रेलवे में बेचे गए कुल खाने में जनता भोजन का भाग पिछले तीन वर्षों में घट रहा था।

(पैरा 3.7)

- चयनित ट्रेनों की संयुक्त जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों पर कई अप्राधिकृत विक्रेताओं को देखा। 2013-14 से 2015-16 के दौरान, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 2,39,096 मामलों पर मुकदमा चलाया गया एवं आठ क्षेत्रीय रेलवे में जुर्माना लगाया गया।

(पैरा 3.9)

- लेखापरीक्षा ने आठ क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रदान किये गये 124 ठेकों की जाँच की एवं देखा कि खानपान सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंसी ने सारे ठेका मूल्य का एक छोटा सा भाग छोड़ते हुए क्षेत्रीय रेलवे को लाइसेंस शुल्क के तौरपर एक बड़ा भाग दिया गया। ऐसा हो सकता है कि उपलब्ध लाभ में यात्रियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना लाइसेंसी के लिए व्यवहार्य न हो एवं परिणामस्वरूप वह गुण्वत्ता, मात्रा एवं मूल्य आदि से समझौता करें।

(पैरा 4.1)

- क्षेत्रीय रेलवे में चयनित 74 स्टेशनों एवं 80 ट्रेनों की संयुक्त जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि
  - o स्टेशन एवं ट्रेनों में खानपान इकाईयों पर साफ-सफाई एवं स्वच्छता अनूरक्षित नहीं की जा रही थी। पेय बनाने के लिए सीधे नल से अशोधित

जल का उपयोग किया गया था, कूड़ादान ढ़के हुए नहीं पाए गए, नियमित रूप से खाली नहीं किए गए एवं धोए नहीं गए, मक्खियों, कीड़े और धूल से बचाने के लिए खाद्य सामग्री को ढका नहीं गया और ट्रेनों में चूहे, कॉकरोच आदि पाए गए थे।

- o स्टेशनों एवं ट्रेनों पर खानपान सेवाओं के निष्पादन में अनुचित पद्धतियों का अनुसरण किया जा रहा था। ट्रेनों में चल इकाईयों में परोसी गई खाद्य सामग्री के लिए बिल नहीं दिए गए थे। चल इकाईयों में बेची गई खाने की मदों की सूची के लिए टैरिफ के साथ मुद्रित व्यंजन कार्ड ट्रेनों में बैरों एवं खानपान प्रबंधकों के पास उपलब्ध नहीं थे। परोसा गया खाना निर्धारित मात्रा से कम था । अप्राधिकृत पेय जल बेचा जा रहा था । रेलवे स्टेशनों पर मालिकाना सामग्री डिपो (पीएडी) मदें खुले बाजार से भिन्न वज़न एवं मूल्य के साथ अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेची गईं एवं रेल परिसर में बेची गई खाद्य सामग्री की प्रति इकाई की लागत बाजार के बिक्री मूल्य से बहुत अधिक थी।
- o परोसे गए खाने की गुणवत्ता के संबंध में कमियाँ देखी गईं थी। मानव उपभोग के लिए अननुकूल सामग्री, दूषित खाद्य सामग्री, पुनरावर्तित खाद्य सामग्री, उपयोग होने तक की अवधि समाप्त हो चुके पैकेज्ड एवं बोतल बन्द मदें, अप्राधिकृत ब्राण्ड की पानी की बोतलें आदि स्टेशनों पर विक्रय किए जाए रहे थे। **(पैरा 5.1 से 5.3)**

- लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि एक शिकायत निवारण प्रणाली है, पिछले कुछ वर्षों में शिकायतों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। यह भी देखा गया कि शिकायतों का एक बड़ा भाग अधिक मूल्य वसूलने एवं गुणवत्ता मामलों से संबंधित था। **(पैरा 5.5)**

सिफारिशें

1. ***आईसीएफ को रसोईयानों के निर्माण के दौरान, रसोईयानों में गैस बर्नर से विद्युत ऊर्जा के उपकरण में अंतरण की नीति को ध्यान में रखने के निर्देश दिए जाए।***
2. ***नीति के अनुसार, लम्बी दूरी की ट्रेनों के मामले में रसोईयानों के प्रावधान पर विचार किया जाए।***
3. ***भारतीय रेल, रेलवे खानपान इकाईयों को आईआरसीटीसी को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को सुगम बनाए और यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय रेलवे अपने दायित्वों का वहन करें। भारतीय रेल नई खानपान नीति 2017 को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय रेलवे की जवाबदेहिता स्पष्ट रूप से सीमारेखित करे।***

4. *आईआरसीटीसी को स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में निम्न लागत जनता खाना प्रदान करने के लिये दायित्वबद्ध किया जाए और यात्रियों के बीच इसे प्रभावी रूप से प्रचारित किया जाए।*

5. *आईआरसीटीसी लाइसेंसधारियों द्वारा खानपान सेवाओं में स्वच्छता, साफ-सफाई और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत निगरानी तंत्र को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।*

6. *रेलवे बोर्ड खानपान संविदाओं में दरों की सुकार्यता के आंकलन हेतु दिशानिर्देश बनाए ताकि सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता न किया जा सके।*

7. *खानपान सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुचित पद्धतियों जैसे कि अधिक दाम वसूलना, निर्धारित मात्रा से कम खाना परोसना, स्टेशनों और ट्रेनों में अप्राधिकृत खाद्य सामग्री बेचना, मूल्य कार्ड का प्रदर्शन न करना और बेचे गए खाने के सामान के लिए रसीद जारी न करने को रोकने के लिये रेलवे द्वारा प्रभावी जांच एवं नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।*

अध्याय 1 – प्रस्तावना

लगभग 66,687 किलोमीटर मार्ग वाली भारतीय रेल (भा.रे.) 7,216 स्टेशनों[1] के माध्यम से लगभग 22.21 मिलियन यात्री प्रति दिन वहन करती है। इस मात्रा के यात्री ट्रैफिक को उचित कीमत पर परिवहन करने वाले यात्रियों के लिए स्वादिष्ट तथा पौष्टिक खाने की आपूर्ति के लिए एक बेहतर प्रबंधित खानपान तथा वेंडिग प्रणाली की सेवाओं की आवश्यकता है। भारतीय रेल में चयनित महत्वपूर्ण स्टेशनों पर तथा कुछ ट्रेन सेवाओं में "नो प्रोफिट नो लॉस" आधार पर 1955-56 में विभागीय खानपान की शुरूआत की गई ताकि मॉडल के अनुरूप मानक तथा सेवा निर्धारित की जाए। हानियां वहन करने के कारण, रेलवे बोर्ड ने मितव्ययिता उपायों को अपनाने का निर्णय लिया (मई 1968) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लगातार हानि में चलने वाली इकाईयों को ठेकेदारों को सुपुर्द करने तथा तीन से चार प्रतिशत के नाममात्र के लाभ पर विभागीय इकाईयों को चलाना सम्मिलित था, जिसे सेवाओं में सुधार को प्रभावित करने के लिए लगाना था।

2005 की खानपान नीति के अनुसार, भारतीय रेल के खानपान व्यवसाय को भारतीय रेलवे खानापन एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को उत्तरोत्तर सौंप दिया गया। 2010 में, नीति को पुन: संशोधित किया गया तथा भारतीय रेल ने आईआरसीटीसी से फूड प्लाजा[2], फूड कोर्ट[3] तथा फास्ट फूड यूनिटों[4] को छोड़कर सभी खानपान इकाईयो का प्रबंधन वापस लेने तथा उन्हें विभागीय रूप से प्रबंधित करने का निर्णय लिया।

चूंकि खानपान सुविधाओं की गुणवत्ता में अपेक्षानुसार सुधार नहीं हुआ था, रेलवे बोर्ड ने एक नई खानपान नीति 2017 को प्रतिपादित किया, जिसे 27 फरवरी 2017 में जारी किया गया है।

---

[1] इंडियन रेलवे ईयर बुक 2015-16

[2] फूड प्लाजा खाने के लिए कई प्रकार के पसंदीदा खाने का विविध भोजन प्लाजा है। मदों की गुणवता तथा दरें बाजार से प्रेरित है।

[3] फूड कोर्ट एक नामांकित स्थान पर स्टॉलों का एक समूह है जहां ब्रांडिड उत्पाद/खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई गई है।

[4] फॉस्ट फूड बिक्री केन्द्र स्नैक बार का समानार्थी है जहां फॉस्ट फूड मदों को स्वयंसेवी काउंटर के माध्यम से बेचा जाता है।

1.1 संगठनात्मक संरचना

सदस्य/यातायात के निर्देशन तथा नियंत्रण के तहत खानपान तथा पर्यटन निदेशालय भारतीय रेल में खानपान सेवाओं से संबंधित नीति निर्माण हेतु उत्तरदायी है। क्षेत्रीय स्तर पर, विभागीय खानपान प्रमुख वाणिज्यिक प्रबंधकों (सीसीएम) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत है। क्षेत्रीय रेलवे जहां खानपान इकाईयों के नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण किया गया है, उपरोक्त मामलों में कार्यकारी नियंत्रण को मंडलीय वाणिज्यिक प्रबंधकों के हाथों में सौंपा गया है।

आईआरसीटीसी को सौंपी गई अचल खानपान इकाइयों, के प्रबंधन की जिम्मेदारी उनके क्षेत्रीय अधिकारियों पर है। चल खानपान इकाईयों के ठेकों को प्रदान करने और प्रबंधन की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी के कारपोरेट कार्यालय की है।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा परिधि

समीक्षा में 2013-14 से 2015-16 तक की समयावधि के दौरान विभागीय खानपान इकाईयों की कार्यकारिणी तथा परिचालनों, ठेका खानपान इकाईयों तथा आईआरसीटीसी खानपान इकाईयों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्नलिखित का निर्धारण करना था-

1. क्या भारतीय रेल में खानपान सेवाओं के संदर्भ में उचित खानपान नीति तथा योजना थी?
2. क्या भारतीय रेल ने स्टेशनों एवं ट्रेनों में पर्याप्त खानपान सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की तथा क्या उनका समुचित प्रबंधन किया ?
3. क्या विभिन्न अचल तथा चल इकाईयों के लिए खानपान ठेकों के प्रबंधन ने अच्छी गुणवत्ता की खानपान सेवाऐं सुनिश्चित कीं ?
4. क्या उपलब्ध खानपान इकाईयों ने विभिन्न श्रेणियों के रेल उपयोगकर्ताओं को वहन करने योग्य दरों पर अच्छी गुणवता तथा स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया?

1.3 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा नमूना

सभी क्षेत्रीय रेलवे में एन्ट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई तथा संबंधित क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली की चर्चा की गई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, आईआरसीटीसी में जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान की गई । अभिलेखों की जांच क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों, आईआरसीटीसी तथा फील्ड क्षेत्रों (चल खानपान इकाईयों तथा अचल खानपान

इकाईयों) में की गई। विभागीय खानपान इकाईयों, ठेका खानपान इकाईयों तथा चयनित स्टेशनों की आईआरसीटीसी प्रबंधित इकाईयों, चयनित बेस किचन[5], चयनित ट्रेनो के रसोईयान तथा रसोईयान के बिना ट्रेनो की संयुक्त जांच रेलवे अधिकारियों के साथ की गई। भारतीय रेल द्वारा प्रदत्त खानपान सेवाओं की उपयोगकर्ता अवधारणा दर्ज करने के लिए एक यात्री सर्वेक्षण भी किया गया।

विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में आयोजित एक्जिट कान्फ्रेस के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के रेल प्रशासन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं की चर्चा की गई । लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफारिशों की चर्चा करने के लिए 16 फरवरी 2017 को रेलवे बोर्ड स्तर पर एक एक्जिट कान्फ्रेंस भी आयोजित की गई तथा रेलवे बोर्ड से उत्तर प्राप्त किया गया। इस प्रतिवेदन में क्षेत्रीय रेलवे तथा रेलवे बोर्ड की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है।

विभिन्न प्रकार की खानपान इकाईयाँ स्टेशनों तथा ट्रेनों पर सेवा प्रदान करती है। 31 मार्च 2016 तक, भारतीय रेल में सभी रेलवे स्टेशनो पर 131 बेस किचन, 164 विभागीय रिफ्रैशमेंट रूम, 86 फूड प्लाजा तथा 69 फास्ट फूट इकईयों सहित 7959 अचल खानपान इकाईयाँ थी। इसके अतिरिक्त, ट्रेनो में यात्रा कर रहे यात्रियों को खाना तथा रिफ्रैशमेंट प्रदान करने के लिए ट्रेनों में 358 चल खानपान इकाईयाँ थी।

वर्तमान अध्ययन हेतु, विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के विभिन्न स्टेशनों तथा ट्रेनों के नमूने तथा संबंधित मामलो का नीचे दिए गए मानदण्ड के आधार पर चयन किया गया:

तालिका 1.1- नमूना चयन हेतु मानदण्ड तथा चयनित नमूना

क्रम सं.	नमूना विवरण	कुल जनसंख्या	चयन के लिए मानदण्ड	चयनित नमूना आकार
1.	स्टेशन	7216 स्टेशन	1. श्रेणी ए1 स्टेशन से एक 2. श्रेणी ए स्टेशन से एक 3. अन्य श्रेणी अर्थात बी से एफ श्रेणी स्टेशनो से एक रेलवे अधिकारियो के साथ तीन स्टेशनो पर संयुक्त जांच की गई	ए1 - 28 ए - 26 बी से एफ - 20 **कुल 74**
2.	ट्रेन	2558 ट्रेन	**1.** लाइसेंसधारी द्वारा सेवा प्रदत्त ट्रेने **2.** विभागीय खानपान इकाईयों द्वारा सेवा प्रदत्त ट्रेने *रसोईयान वाली दो ट्रेनो की संयुक्त जांच रेलवे अधिकारियों के साथ की गई*	**80**

[5] बेस किचन रेलवे परिसर के आसपास स्थापित एक बड़ी कुकिंग तथा पैकिंग सुविधा है जहां से अचल/चल इकाईयो को खाना वितरित किया जाता है।

तालिका 1.1- नमूना चयन हेतु मानदण्ड तथा चयनित नमूना				
क्रम सं.	नमूना विवरण	कुल जनसंख्या	चयन के लिए मानदण्ड	चयनित नमूना आकार
			चयनित ट्रेनो की संयुक्त जांच रेलवे अधिकारियों के साथ की गई	
3.	2015-16 के दौरान कच्चे माल की खरीद हेतु की गई निविदायें	89	1. 50 प्रतिशत निविदा अधिकतम पांच 2. निविदा प्रक्रिया के बिना बिक्री राशि से कच्चा माल खरीदने के मामले में अनुसरित प्रक्रिया की जांच चयनित अचल/चल इकाईयों के लिए की गई	**46**
4.	**(i)** क्षेत्रीय रेलवे का लाइसेंसधारी से अनुबंध (ii) लाइसेंसधारी के साथ आईआरसीटीसी के अनुबंध	851 204	अचल इकाईयों के तीन अनुबंध तथा चल इकाईयों के दो अनुबंध	**43**
5.	यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण	प्रत्येक चयनित स्टेशन से 25 यात्री प्रत्येक ट्रेन पर 25 यात्री से जॉच		स्टेशनो पर 1800 यात्री तथा ट्रेनो में 1975 यात्री

नमूना में चयनित स्टेशनो तथा ट्रेनो का विवरण क्रमश: **परिशिष्ट 1 तथा 2** में दिया गया है।

1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित दस्तावेजों में निहित प्रॉवधानों तथा निर्देशों का उपयोग अध्ययन हेतु लेखापरीक्षा मानदण्ड के रूप में किया गया:

1. भारतीय रेल संहितायें तथा नियमावलियां
2. भारतीय रेल की खानपान नीति 2010
3. खानपान सेवाओं के संदर्भ में रेलवे बोर्ड के निर्देश
4. भारतीय रेल तथा आईआरसीटीसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

1.5 आभार

लेखापरीक्षा, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा तथा संयुक्त जांच के दौरान रेलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलवे प्रशासनो द्वारा दिए गए सहयोग का आभार व्यक्त करती है।

अध्याय 2: खानपान नीति तथा योजना

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: क्या भारतीय रेल में खानपान सेवाओं के संदर्भ में उचित खानपान नीति तथा योजना थी?

2.1 नीति निर्माण तथा योजना

भारतीय रेल में खानपान नीति ने पिछले वर्षों में इसे शासित करने वाले सिद्धांतो तथा दिशा-निर्देशों में निरन्तर परिवर्तन देखे हैं। 2000 से पूर्व खानपान सेवाओं को विभागीय परिचालनो तथा खानपान सेवाओं को लाइसेंस देने के माध्यम से प्रबंधित किया गया था। 1999 के दौरान, आईआरसीटीसी को कम्पनी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया तथा 2002 से आईआरसीटीसी को खानपान सेवाएं दे दी गई। खानपान नीति 2005 के अनुसार, आईआरसीटीसी ने विभागीय खानपान इकाईयों की हानियों को शून्य तक लाने तथा गुणवत्ता में सुधार करने की प्रतिबद्धता के साथ भारतीय रेल की विभागीय खानपान इकाईयो का प्रबंधन ले लिया। चूंकि आईआरसीटीसी इन खानपान इकाईयो को सुधार नहीं सका तथा खानपान सेवाओं के संदर्भ में कई शिकायते थी, अत: रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी से खानपान सेवाएं वापस लेने तथा यात्रियों के लिए स्वच्छ, बेहतर गुणवता वहन करने योग्य खाना प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई खानपान नीति 2010 बनाने का निर्णय लिया। चूंकि खानपान सुविधाओं की गुणवता में अपेक्षानुसार सुधार नहीं हुआ था, रेलवे बोर्ड ने एक नई खानपान नीति 2017 का प्रतिपादन किया जिसे 27 फरवरी 2017 को जारी किया गया है। नई खानपान नीति की मुख्य बातें निम्न है:

- नई खानपान नीति चल खानपान इकाईयों बेस किचनो सेल किचनो, ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनो पर रिफ्रेशमेंट रूम, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, ट्रेन साइड वैंडिंग, जन आहार द्वारा खानपान सेवाओं को आईआरसीटीसी पर अंतरण की व्यवस्था करती है। सभी अन्य खानपान इकाईयों जैसे बी एवं निम्न श्रेणी स्टेशनों पर रिफ्रेशमेंट रूम और स्वचालित वेडिंग मशीनो, दूध स्टॉल, ट्रॉली क्षेत्रीय रेलवे के पास बने रहेंगे।
- खाना बनाने एवं खाने के वितरण को अलग कर दिया गया है। खाना आईआरसीटीसी द्वारा अनुरक्षित एवं परिचालित किचनों द्वारा बनाया जायेगा। आईआरसीटीसी ट्रेनों में खाना परोसने के लिए अतिथ्य उद्योग से सेवा प्रदाताओं को अनुबंध करने के लिए अनुमत है।
- आईआरसीटीसी नये अथवा वर्तमान किचन इकाईयों में सुधार/नवीकरण करेगा। ये किचन आधुनिक, यांत्रिक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होने के लिए एक वैध

आईएसओ प्रमाणित होना अपेक्षित हैं। आईआरसीटीसी स्वामित्व बनाये रखेगा और बेस किचनो के संस्थापन एवं परिचालन और खाने की गुणवत्ता से संबंधित सभी मामलों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

- पुरानी खानपान स्टॉलों को धीरे-धीरे सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता सामग्री की कॉम्पेक्ट मॉडयूलर स्टॉल के साथ प्रतिस्थापित किया जायेगा। खानपान इकाईयो (फूड प्लाजा आदि के अलावा) की व्यंजन सूची एवं टैरिफ क्षेत्रीय रेलवे/रेलवे बोर्ड की सलाह पर आईआरसीटीसी द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे। आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेनो में परोसे गए खाने के दाम रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।
- रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे एवं मंडल के अधिकारी किचन इकाईयों/चल खानपान इकाईयों की जांच एवं खानपान सेवाओं में पाई गई कमियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत होंगे।
- लाइसेंस शुल्क के मापदंड को कुल बिक्री के 12 प्रतिशत पर रखा गया है। लाइसेंस शुल्क का निर्धारण क्षेत्रीय रेलवे द्वरा किया जाना है। लाइसेंस शुल्क के निर्धारण का फार्मूला प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निकाला जाना हैखानपान ठेकेदारों के पास खानपान इकाईयों की उच्चतम सीमा का संशोधित मापदंड भी निर्धारित किया गया है।

2.2 नीति अनिश्चितता तथा इसके प्रभाव

चूंकि भारतीय रेल ने कई बार खानपान नीति परिवर्तित की थी, अत: स्टेशनों के साथ-साथ ट्रेनो में खानपान इकाईयो का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व आईआरसीटीसी तथा क्षेत्रीय रेलवे के बीच विनियमित रहा। नई खानपान नीति 2010 के कारण, खानपान इकाईयों को आईआरसीटीसी से क्षेत्रीय रेलवे में स्थानांतरित किया जाना था। तथापि, आईआरसीटीसी से क्षेत्रीय रेलवे को इकाईयाँ सौंपने में कठिनाइयां देखी गई क्योंकि आईआरसीटीसी द्वारा दिए गए ठेके अभी भी परिचालन में थे। यद्यपि भारतीय रेल को खानपान इकाईयों को विभागीय रूप से चलाने के लिए ऐसे समय तक लक्षित किया गया जब वे उन्हें लेने तथा विभागीय रूप से चलाने में सक्षम हो जाये, तथापि उन्होंने कुछ इकाईयों को लाइसेंसधारी ठेकेदारों के माध्यम से परिचालित किया तथा उन्हें लाइसेंस धारको के कार्य की निगरानी हेतु योग्य पर्यवेक्षक प्रदान/नियुक्त करना था। चूंकि इकाईयों की केवल बहुत कम प्रतिशतता विभागीय रूप से चलाई जा रही थी अत: अधिकतर इकाईयाँ अभी भी लाइसेंसधारकों के माध्यम से चल रही थी, परन्तु योग्य पर्यवेक्षक कार्मिक को लाइसेंसधारकों के कार्य को मॉनीटर करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है।

इन क्षेत्रीय रेलवे द्वारा लाइसेंसधारकों का प्रबंध करना तथा परोसे गए खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा मूल्य को सुनिश्चित करना भी रेलवे के चिंता के विषयो में से एक रहा है।

आईआरसीटीसी से रेलवे में तथा वापस स्टॉफ के पुन: नियोजन जैसे स्टॉफ मामलों ने भी खानपान सेवा को प्रभावित किया है। यह देखा गया कि यद्यपि चार क्षेत्रीय रेलवे (पूतरे, पूरे, उमरे तथा दपरे) ने ठेका इकाई के विभागीय इकाई में परिवर्तन हेतु अपेक्षित स्टॉफ की आवश्यकता निर्धारित की, तथापि, इन्हें प्रदान नहीं किया गया। दरे में, 1172 ग्रुप सी एवं डी स्टॉफ, अप्रैल 2010 से आईआरसीटीसी में प्रतिनियुक्ति पर थे तथा 832 को वापस भेजा गया था जब खानपान इकाईयों को क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रबंधन किया जाना था । दमरे में 295 पदों की संस्वीकृत संख्या के प्रति, वास्तविक परिचालित संख्या केवल 100 थी। पूतरे में छ: ग्रुप बी, 499 ग्रुप सी तथा 2605 अन्य श्रेणी स्टॉफ की आवश्यकता का निर्धारण किया गया परन्तु इन्हें प्रदान नहीं किया गया। दपरे में, वाणिज्य विभाग द्वारा 278 पदों की प्रस्तावित आवश्यकता के प्रति 36 समूह सी तथा 56 अन्य पदों की मंजूरी दी गई।

2010 में नीति परिवर्तन के बाद, लेखोओं की सुपुर्दगी/लेना और लेखों के समाधान को उचित प्रकार से नहीं किया गया तथा आईआरसीटीसी तथा क्षेत्रीय रेलवे के बीच देय काफी समय तक बिना निपटान के रहे। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12 से पूर्व/इसके दौरान, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी से 5264[6] अचल इकाई तथा 236[7] चल खानपान इकाईयाँ ली गई थी। यह देखा गया कि भारतीय रेल तथा आईआरसीटीसी के बीच लेखाओं का समाधान न होने के कारण, आईआरसीटीसी द्वारा भारतीय रेल को भुगतान करने हेतु देय ₹ 25.56 करोड़ की राशि को 14[8] क्षेत्रीय रेलवे द्वारा वसूल नहीं किया जा सका। वसूल न की गई राशि खानपान इकाईयों पर समाप्त व्यवसाय शेयर, आईआरसीटीसी को सौंपते समय विभागीय खानपान इकाई के उपकरण एवं भण्डार, समाप्त व्यवसाय पर जमा प्रतिभूति तथा वर्तमान व्यवसाय शेयर आदि के कारण बकाया थी।

खानपान नीति में बार-बार परिवर्तन तथा बाद में खानपान इकाईयों का प्रबंध करने हेतु रेलवे से आईआरसीटीसी को उत्तरदायित्व के स्थानांतरित होने ने यात्रियों को वर्षों से दी गई खानपान सेवाओं के प्रबंधन में अनिश्चितता की स्थिति बनाई है।

---

[6] मरे 363, पूतरे 128, पूमरे 808, पूरे 203, उमरे 396, उपूरे 331, उसीरे 294, उरे 586, उपरे 520, दमरे133, दपूरे 238, दरे 698, दपरे 191, पमरे 375

[7] मरे 28, पूतरे 27, पूरे 16 उसीरे 24, उरे 34, उपरे 6, दमरे 11, दपूरे 25, दरे 45, दपरे 20

[8] पूतरे, पमरे, पूरे, उमरे, उपूरे, उसीरे, उरे, उपरे, दमरे, दपूरे, दपूमरे, दरे, दपरे तथा पमरे

इन नीति परिवर्तनो के कारण, रेलवे ने बेस किचन, अचल खानपान इकाई, ट्रेन साइड वेंडिंग व्यवस्थाएं तथा स्वचालित वेंडिंग मशीनों आदि के अनुसार अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के अन्तर को भरने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। निरन्तर परिवर्तनो के परिणामस्वरूप रेलवे तथा आईआरसीटीसी के बीच समन्वय मामले तथा ठेकेदार के साथ कानूनी विवाद हुआ (पैरा 3.3 में चर्चा अनुसार)।

रेलवे बोर्ड ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2017) कि चूंकि भारतीय रेल में खानपान सेवाओं की स्थिति बेहतर नही हुई अत: देबरॉय समिति तथा श्रीधरन समिति नामत: दो समितियों द्वारा सिफारिश के अनुसार भारतीय रेल एक नई खानपान नीति बना रही है जहां खानपान सेवाओं को एक चरणवद्ध तरीके से आईआरसीटीसी को सौंपना प्रस्तावित है। एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि नई नीति सेवाओं को विछिन्न करेगी जिसमें खाद्य मदों के पकाने तथा यात्रियों को इसकी आपूर्ति से सम्बंधित कार्यों को पृथक रूप से प्रबंधित तथा पर्यवेक्षित किया जाएगा।

नई खानपान नीति 2017 में, खानपान गतिविधियों की एक संख्या जो कि 2005 नीति में आईआरसीटीसी को सौंपी गई थी और तब 2010 नीति में क्षेत्रीय रेलवे को स्थानान्तरित की गई थी कों, अब वापस आईआरसीटीसी को सौंपा गया है। तथापि, गुणवत्ता, स्वच्छता, सामर्थ्य एवं यात्रियों को खाने की उपलब्धता के मुद्दे जैसा कि इस रिपोर्ट में चिंहित किया है, को पर्याप्त ढ़ंग से देखे जाने की आवश्यकता है।

2.3 *पर्याप्त खानपान सुविधाओं के प्रावधान हेतु योजना*

निर्देशों[9] के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे को प्रत्येक स्टेशन तथा ऑनबोर्ड ट्रेनो में प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं का एक मास्टर प्लान (बलू प्रिंट) तैयार करना अपेक्षित था। 'ब्लू प्रिंट' को योजना के लिए एक 'विजन दस्तावेज' के रूप में व्यवहारित किया जाना था तथा यात्रा करने वाले लोगो के लिए पर्याप्त खानपान सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना था। रेलवे बोर्ड ने एक व्यापक मास्टर प्लान की आवश्यकता तथा क्षेत्रीय रेलवे द्वारा इस योजना के नियमित अद्यतन पर जोर दिया था (फरवरी 2014)।

समीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे द्वारा मास्टर प्लान (ब्लू प्रिंट) बनाने की स्थिति की लेखापरीक्षा में जांच की गई। यह देखा गया कि

[9] खानपान नीति 2010 का नियम 5.1 तथा नवम्बर 2010 के रेलवे बोर्ड के निर्देश

- सात क्षेत्रीय रेलवे (पूमरे, पूरे, उसीरे, उपरे, दपूरे दपरे तथा पूतरे) में खानपान सेवाओं के प्रावधान हेतु ब्लू प्रिंट नहीं बनाया गया था।
- नौ क्षेत्रीय रेलवे (दरे, परे, दमरे, उमरे, उरे, दपूमरे, मरे, उपूरे, तथा पमरे) में ब्लू प्रिंट बनाया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा दरे तथा उरे के ब्लू प्रिंट को अनुमोदित नहीं किया गया था।
- केवल छः क्षेत्रीय रेलवे (मरे, उपूरे, उरे, दमरे, परे, तथा पमरे) ने मास्टर प्लान की समीक्षा की तथा आवधिक रूप से उसका अद्यतन किया। अन्य क्षेत्रीय रेलवे ने योजना की समीक्षा तथा अद्यतन नहीं किया था।

इस प्रकार स्टेशनों तथा ट्रेनों में खानपान सुविधा की आवश्यकता को मास्टर प्लान (ब्लू प्रिंट) के रूप में प्रत्येक स्टेशन के लिए व्यापक रूप से निर्धारित नहीं किया गया।

रेलवे बोर्ड ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2017) कि ब्लू प्रिंट के निर्माण के पश्चात स्टेशनो तथा प्लेटफार्म पर खानपान इकाईयों की स्थापना/प्रावधान निरन्तर प्रक्रिया है। तथापि, सभी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा ब्लू प्रिंट बनाने, आवधिक तौर पर इसकी समीक्षा तथा अद्यतन करने की आवश्यकता है, ताकि योजना के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जाएं।

नई खानपान नीति 2017 के अनुसार, क्षेत्रीय रेलवे को डिविजन एवं आईआरसीटीसी के साथ समन्वयन में, प्रत्येक स्टेशन पर खानपान इकाईयों के लिए एक नया विस्तृत ब्लू प्रिंट बनाने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय रेलवे को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यात्रियों को खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। अत: एक विस्तृत योजना बनाने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे के पास बनी रही है जिसे उन्हें आईआरसीटीसी के साथ समन्वयन में पूरा करना है। 2010 से क्षेत्रीय रेलवे द्वारा इस पहलू के गैर-अनुपालन पर ध्यान दिए बिना 2010 नीति के निर्देशों को नई नीति में उसी रूप में रखा गया है।

2.4 *रसोईयान पर नीति*

2.4.1 *एलपीजी सिलेंडरो के प्रावधान के साथ रसोईयानों का निर्माण करना*

खानपान नीति 2010 के अनुसार, उपयुक्त डिजाइन के रसोई यान तथा उच्चतम स्तर की तकनीक के उपकरण के साथ चल खानपान सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें गैस बर्नर का विद्युत उपकरणो में निरन्तर/क्रमिक परिवर्तन किया जाना चाहिए। जहां तक अचल इकाईयों का सम्बन्ध है, वहां उप शहरी स्टेशनो पर प्लटफॉर्म पर कोई कुकिंग नहीं होनी चाहिए।

प्राथमिकता के अनुसार बेस किचन की स्थापना पर टिप्पणी करते समय अतिरिक्त सदस्य (टीएंडसी) ने कहा (मार्च 2011) कि रसोईयानों में कुकिंग तथा स्टेशन परिसरों के बाहर स्थित किचनों से खाना लेने को भी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ट्रेनों में आग दुर्घटना की जांच करने वाली उच्च स्तरीय समिति (2012) ने रसोई यानों में कुकिंग को निषेध करने के लिए निर्देश को कठोरता से लागू करने की सिफारिश की थी तथा यदि रसोईयानों में कुकिंग पाई जाए तो उल्लंघन करने वाले ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने तथा गंभीर जुर्माना लगाने के लिए सिफारिश की थी।

आईसीएफ, पेराम्बूर में समीक्षा अवधि में रसोईयानों के निर्माण के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- आईसीएफ ने ₹ 111.94 करोड़ की कुल लागत पर अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के दौरान 103 रसोईयानों का निर्माण किया। नए बने रसोईयानों में खानपान नीति, 2010 के अनुसार विद्युत ऊर्जा उपकरण पैनल, काउंटर आदि प्रदान करने की बजाए खुले लौ वाले केंद्रीकृत एलपीजी सिलिण्डरों का प्रावधान किया गया था। सभी क्षेत्रीय रेलवे को नए बने रसोईयान वितरित[10] कर दिया गए।
- दरे में, उपरोक्त का उल्लंघन करते हुए ₹ 0.13 करोड़ की लागत से 50 रसोईयानों में केंद्रीकृत एलपीजी गैस पाइपलाइनों की मरम्मत की गई तथा उन्हें प्रतिस्थापित किया गया (2013-14)।

चित्र 1: ट्रेन सं. 12955 मुंबई सेंट्रल - जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में खुली आग गैस चूल्हा का प्रयोग (07.10.2016)

चित्र 2: ट्रेन सं. 12925 पश्चिम एक्सप्रेस में खुली आग गैस चूल्हा का प्रयोग (29.10.2016)

चित्र 3: ट्रेन सं. 12541 के रसोईयान में गैस चूल्हे के उपयोग (22.10.2016)

[10]दरे-10, पूतरे-10, पमरे-1, पूमरे-8, दपूमरे-4, मरे-13, दपरे-4, दपूरे-7, पूसीरे-10, पमरे-3, उपूरे-1, उरे-9, परे-8, केआरसी-2, दमरे-10, पूरे-3

- जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान चल इकाईयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान 17 ट्रेनों[11] में यह देखा गया कि भारी मात्रा में सिलिण्डर रखे थे और खाना बनाने हेतु उनका प्रयोग किया जा रहा था।
- 2011-12 से 2014-15 के दौरान आरसीएफ, कपूरथला ने 73 रसोईयानों का निर्माण किया, इन सभी में विद्युतीय कुकिंग उपकरणों का प्रावधान था।

उप-शहरी स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर खाना नहीं बनाने, प्लेटफार्म पर स्टॉल एवं ट्रॉली आदि पर उत्तरोत्तर कमी करते हुए खाना पकाने के कार्य के संबंध में निर्देश नई खानपान नीति 2017 में रखे गये हैं।

2.4.2 जनशताब्दी में पैंट्री क्षेत्र का उपयोग न किया जाना

भारतीय रेल में 38 जोड़ी जनशताब्दी ट्रेने चलती हैं। एक रेक बनाने में 13 द्वितीय श्रेणी तथा तीन एसी कुर्सीयान कोच शामिल हैं। सभी कोचों में एक छोटा रसोईयान है जिसमें बिजली से चलने वाली हीटिंग व्यवस्था है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि इन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा था और छोटे पैंट्री क्षेत्र का उपयोग यात्रियों को गर्म एवं ताजा खाना परोसने के लिए नहीं किया जा रहा था । इस पैंट्री सुविधा को द्वितीय क्षेणी कोचों में चार सीटें तथा एसी कुर्सीयान में दो सीटें कम करके बनाया गया था। समूचे भारतीय रेल में 38 जनशताब्दी ट्रेनों की इन सीटों की राजस्व अर्जन क्षमता ₹ 13.74 करोड़ प्रतिवर्ष थी।

आईसीएफ में रसोईयान बनाते समय रसोईयानों में गैस चूल्हे के स्थान पर क्रमिक रूप से विद्युत ऊर्जा उपकरण की नीति का पालन नहीं किया गया। पैंट्री सुविधा को द्वितीय श्रेणी कोचों में चार सीटें तथा एसी कुर्सीयान में दो सीटें कम करके बनाए जाने का उपयोग यात्रियों को गर्म एवं ताजा खाना परोसने के लिए नहीं किया गया।

अपने उत्तर में, रेलवे बोर्ड ने बताया (फरवरी 2017) कि राजधानी/दूरंतों ट्रेनों में इलेक्ट्रिक बर्नर/इंडक्शन आधारित खाना पकाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। तथापि, आरडीएसओ को अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए रसोईयान में संवर्धन/संशोधन संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन करने का सुझाव दिया गया है ताकि आग पर खाना पकाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जा सके।

---

[11]हबीबगंज एक्सप्रेस-12153, नंदनकानन एक्सप्रेस-12815, अजमेर-पुरी एक्सप्रेस 18422, पटना कोटा एक्सप्रेस-13239, जियारत एक्सप्रेस-12395, कामरूप एक्सप्रेस-15959/60, कामाख्या रांची एक्सप्रेस-15662, लोहित एक्सप्रेस-15651, पूर्वोत्तर सम्पर्क क्रांति-12501, स्वराज एक्सप्रेस-12472, बीकानेर कोयम्बटूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22475, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस-18238, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस-12834, हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस-12863, यशवंतपुर सम्पर्क क्रांति-12629, गोवा एक्सप्रेस-12780, कर्नाटक एक्सप्रेस-12628, जबलपुर कटरा एक्सप्रेस-11449/50

अध्याय 3: खानपान सेवाओं की उपलब्धता एवं पर्याप्तता

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या भारतीय रेल ने स्टेशनों एवं ट्रेनों में पर्याप्त खानपान सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की तथा क्या उनका समुचित प्रबंधन किया ?

3.1 विभिन्न स्टेशनों एवं ट्रेनों में खानपान सेवाओं की उपलब्धता

खानपान नीति 2010 के खण्ड 9.4 में यह प्रावधान है कि दूरंतों, राजधानी, लंबी दूरी की प्रीमियर ट्रेनों, 24 घंटे से अधिक की यात्रा या मार्गस्थ सुपरफास्ट और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में रसोईयान लगाया जाना चाहिए। नीति में यह भी प्रॉवधान है कि अधिक से अधिक प्रीमियम/सुपरफास्ट और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में रसोईयान लगाये जाने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के लिए रसोईयानों के आबंटन की प्राथमिकता इस प्रकार होगी:

- पहली प्राथमिकता दूरंतो एवं राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को।
- दूसरी प्राथमिकता लंबी दूरी की प्रीमियम, सुपरफास्ट ट्रेनों को।
- तीसरी प्राथमिकता 24 घंटे से अधिक यात्रा (दोतरफा) मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को।
- चौथी प्राथमिकता बाकी ट्रेनों को, जिनमें वेस्टिबेयुल प्रदान किया गया हो।

नीति में लंबी दूरी की प्रीमियम, सुपरफास्ट ट्रेनों और 24 घंटे से अधिक यात्रा वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में रसोईयान लगाने हेतु प्राथमिकता देने का प्रॉवधान है। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि 24 घंटे से अधिक यात्रा वाली 718 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में से 291 ट्रेनों में रसोईयान उपलब्ध नहीं थे ।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान चयनित 80 ट्रेनों का संयुक्त निरीक्षण किया और पाया कि:

- 24 घंटे से अधिक की यात्रा वाली नौ ट्रेनों में रसोई यान नहीं था। इन नौ ट्रेनों में से सात[12] ट्रेनों में न तो ट्रेन की तरफ से वेंडिंग प्रदान किए गए थे और न ही खाना उपलब्ध कराने हेतु कोई बेस किचन नामित किया गया था।
- इसी प्रकार, 12 घंटे से अधिक लेकिन 24 घंटे से कम यात्रा वाली दस ट्रेनों में कोई रसोईयान नहीं था। इन दस में से आठ[13] ट्रेनों में न तो ट्रेन साइड वेंडिंग

[12] 22847 - विशाखापट्नम - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 11123/24-ग्वालियर-बरोनी मेल, 15018 - गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, बिलासपुर-एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 11466 - जबलपुर - सोमनाथ एक्सप्रेस और 19019/20 - बांद्रा टर्मिनस - देहरादून एक्सप्रेस और 15661/16552 कामख्या-रांची एक्सप्रेस

[13] 13141- सियालदाह-हल्दीबारी तिस्ता एक्सप्रेस, 12333 - विभूति एक्सप्रेस हावड़ा - इलाहाबाद सिटी, 12403/04 इलाहाबाद-जयपुर एक्सप्रेस, 12555 - गोरखपुर-हिसार एक्सप्रेस, 12849 - बिलासपुर-पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस और

प्रदान किए गए थे और न ही खाना उपलब्ध कराने हेतु कोई बेस किचन नामित किया गया था।

- ट्रेन सं. 12403/12404 में कोई खानपान/ई-कैटरिंग सुविधा नहीं पाई गई, जो लगातार 16 घंटे चलती है (उमरे)। लेखापरीक्षा द्वारा 55 यात्रियों (28 आने वाले और 27 जाने वाले) से यात्री सर्वेक्षण के दौरान यात्रियों ने भी इस ट्रेन में खानपान सेवाओं की आवश्यकता जताई।
- उपूरे की 36 घंटे से अधिक (2 दिन एवं 1 रात) एवं 1710 किमी. की यात्रा करने वाली गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (15018) में रसोईयान नहीं था। इसी प्रकार, 12 घंटे से अधिक यात्रा करने वाली ट्रेन गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12555) में कोई रसोईयान नहीं है। यात्री पूरी यात्रा के दौरान अप्राधिकृत वेंडरों की सेवायें लेने के लिए बाध्य हैं। बिना रसोईयान के चलने वाली ट्रेन सं. 13248 गुवाहाटी - राजेन्द्रनगर कैपिटल एक्सप्रेस और ट्रेन सं. 15662 कामाख्या-राँची एक्सप्रेस के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि 25-30 अप्राधिकृत वेंडर ट्रेन में गैर-अनुमोदित/गैर-ब्रॉन्डेड/प्रतिबंधित/ स्थानीय बनी वस्तुएं जैसे ब्रेड-आमलेट, रोटी-सब्जी, बिरयानी, चीन में बनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, तंबाकू, सिगरेट, झालमुड़ी आदि बेच रहे थे। यात्रियों ने इन ट्रेनों में रसोई यान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया ।

अत: ट्रेनों में प्रदान की गई सेवाओं में काफी हद तक सुधार की आवश्यकता थी।

74 चयनित स्टेशनों में जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान अचल खानपान इकाईयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया था कि-

- लोकमान्य तिलक टर्मिनस, राजेन्द्र नगर, गुवाहाटी, कामाख्या, राउरकेला, कन्याकुमारी और चेन्नई सेंट्रल सहित छ: ए और ए1 श्रेणी के स्टेशनों पर फूड प्लाज़ा/ फूड कोर्ट/फॉस्ट फूड इकाई/जलपान कक्ष की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- इनमें से चार स्टेशनों (लोकमान्य तिलक टर्मिनस, राजेन्द्र नगर, गुवाहाटी, और कामाख्या) में स्वचालित वेंडिंग मशीन (एवीएम)[14] भी उपलब्ध नहीं थी।
- लेखापरीक्षा में संयुक्त निरीक्षण किए गए 74 स्टेशनों में से 55[15] स्टेशनों पर एवीएम उपलब्ध नहीं थी।

22181 - जबलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस, 19005/06 सौराष्ट्र मेल और 13247/13248 गुवाहाटी-राजेंद्रनगर कैपिटल एक्सप्रेस

[14] स्वच्छ पैकज्ड खानपान मदों जैसे- पी.एड़ी मदें, पी.डब्ल्यू.डी, खाद्यपदार्थ, चाय कॉफी, शीतल पेय, आदि के लिए एवीएम प्रयोग में लायी जाती है।

- उमरे में आईआरसीटीसी से ली गई सभी 20 स्वचालित वेंडिंग मशीनें को 30 अप्रैल 2016 को बंद कर दिया गया था।

अनुबंध 1 ए और 1 बी

क्षेत्रीय रेलवे ने लम्बी दूरी की कई ट्रेनों में रसोई यानों के प्रॉवधानों को सुनिश्चित नहीं किया था। लेखापरीक्षा में जाँची गई कुछ ट्रेनों में ट्रेन साइड वेंडिग द्वारा वैक्लिपक सेवाएँ एवं/अथवा बेस किचन भी प्रदान नहीं की गई थी।

अपने उत्तर में रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि सभी मुख्य स्टेशनों पर ई-केटरिंग प्रारंभ की गई है, जो कि लगभग सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में खानपान सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करेगा।

नई खानपान नीति 2017 के अनुसार, बेस किचन और चल खानपान को क्षेत्रीय रेलवे से आईआरसीटीसी में अंतरण के लिए निर्णय लिया गया है। खानपान पॉलिसी 2010 लागू होने के बाद इन गतिविधियों को क्षेत्रीय रेलवे द्वारा के लिया गया था।

3.2 क्षेत्रीय रेलवे द्वारा बेस किचन की स्थापना

खानपान नीति 2010 का पैरा 6.1 के अनुसार आधुनिक मेगा, मध्यम एवं छोटी बेस किचन की एक ग्रिड की स्थापना की जानी थी, जो कि खानपान की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं साफ-सफाई को सुधारने के लिए और ट्रेनों में परोसे गए भोजन में मानक सामग्री के उपयोग के लिए काम आनी थी । सभी चल इकाईयाँ नामांकित बेस किचन से खाने को लेंगी। बेस किचन रेलवे परिसर में संस्थापित की जायेंगी ताकि ऐसी बेस किचन से ट्रेन तक खाने के स्थानान्तरण की दूरी को घटाया जाये। नीति का पैरा 6.3 कहता है कि क्षेत्रीय रेलवे बेस किचन को विभागीय तौर पर व्यवस्थित करेगा और बीच की अवधि के दौरान, वे उच्चतम तकनीक की बेस किचन बनाने के लिए प्रतिष्ठित पेशेवरों को अनुबंधित करेगा।

31 मार्च 2016 तक भारतीय रेलवे में 131 बेस किचन कार्यान्वित थीं। यह देखा गया था कि

[15]मुंबई सीएसटी, पुणे, भुसावल, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, वाडी, टिटलागढ़, पटना, राजेंद्र नगर, शेकपुरा, हावड़ा, आसनसोल, बोलपुर, इलाहाबाद, आगरा फोर्ट, ग्वालियर, गोरखपुर, काठगोदाम, लखनऊ, मंडुआडीह, सेलमपुर, कामाख्या, तिनसुकिया, न्यू बोंगईगांव, रंगापारा नॉर्थ जं., नई दिल्ली, पठानकोट, लुधियाना, ह. निजामुद्दीन, जयपुर, जोधपुर, आबू रोड, मोद्रान, सिकंदराबाद, महबूबनगर, काजीपेट, रेनूगुंटा, गोंडिया, नादिकुड़ी, रायपुर, अनुपपुर, रायगढ़, बिलासपुर, आद्रा, टाटा एवं बोकारो स्टील सिटी, कन्याकुमारी, एरनाकुलम जं., केएसआर बेंगलुरु, बेंगलुरु कैंट, गदग, गुना, दमोह, मुंबई सेंट्रल, जाम नगर, नंदुरबार, मुंबई चर्चगेट

- भारतीय रेल में 131 बेस किचन में से, केवल चार बेस किचनों (तीन प्रतिशत) (मुम्बई सीएसटी, बल्लारशाह, नागपुर, मुम्बई सेंट्रल,) को विभागीय तौर पर व्यवस्थित किया गया था। शेष 127 बेस किचन को समीक्षा अवधि के दौरान क्षेत्रीय रेलवे के लाइसेंस धारियों द्वारा संस्थापित किया गया था। विभागीय तौर पर बेस किचन बनाने के अभिप्राय को निर्धारित करने के छह वर्ष बाद भी क्षेत्रीय रेलवे ने समीक्षा अवधि के दौरान मेगा/मध्यम बेस किचन की एक ग्रिड नहीं बनाई थी ।
- खानपान नीति का खण्ड 6.2के अनुसार केवल रेलवे परिसरों में ही बेस किचन संस्थापित होने चाहिए। यह देखा गया कि 16 बेस किचन रेलवे परिसरों में स्थित थे और 115 बेस किचन रेलवे परिसर के बाहर थे ।
- चूँकि उपलब्ध बेस किचन ट्रेन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, बेस किचन में खाना बनाने के बजाय खाना लाइसेंसी द्वारा बाहर से लाया जा रहा था। यह देखा गया, कि सात क्षेत्रीय रेलवे (पूतरे-24, पूमरे-15, दरे-38, उपूरे-9, उसीरे-1, उमरे-1 और उरे-40) की 128 ट्रेनों में खाना बाहर के बेस किचन से लिया गया था।

चित्र 4: गोरखपुर, उपूरे पर बेस किचन (18 अक्टूबर 2016)

- क्षेत्रीय रेलवे खाने की गुणवत्ता और मात्रा के साथ-साथ बेस किचन की स्वच्छता एवं साफ-सफाई के लिए जिम्मेदार है ताकि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन हो। रेलवे परिसरों में स्थित 16 बेस किचन में, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा गुणवत्ता जाँच रेलवे अधिकारियों द्वारा किया गया था। 115 बेस किचन के संबंध में (88 प्रतिशत) जो कि रेलवे के बाहर स्थित थे, जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान संयुक्त जाँच के दौरान क्षेत्रीय रेलवे द्वारा संचालित गुणवत्ता जाँच के सम्बंध में लेखापरीक्षा दल को कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिले।
- उपूरे प्रशासन द्वारा अभिलेखों में उपूरे में कोई भी बेस किचन नहीं दिखाये गये थे । संयुक्त जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने गोरखपुर पर एक बेस किचन

देखी। तथापि, इस किचन द्वारा चालू ट्रेनों मे कोई पैक किये हुए खाने की आपूर्ति नहीं की गई और इसे मुख्य तौर पर वीआईपी कर्त्तव्यों के लिए प्रयुक्त किया गया।

- दपूरे में, दो बेस किचन का निर्माण किया गया और रेलवे बोर्ड से एसबीडी की गैर-प्राप्ति के कारण किचन का उपयोग नहीं किया जा सका और दो किचन बनाने पर ₹1.51 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा।
- पूमरे में, राजेंद्रनगर मे एक बेस किचन स्थापित है जो दो राजधानी ट्रेनों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ए1 श्रेणी के स्टेशनों जैसे पटना और दरभंगा, जहां से एक बड़ी संख्या मे ट्रेनें चलती है, बेस किचन का प्रॉवधान नहीं किया गया था।
- उमरे में, कोई बेस किचन नियोजित नहीं की गई थीं और पमरे और दमरे में, यद्यपि बेस किचन ब्लू प्रिंट के अनुसार नियोजित की गई थी, समीक्षा की अवधि के दौरान कोई बेस किचन स्थापित नहीं की गई ।

चित्र 5: मुम्बई सेन्ट्रल पर बेस किचन के एक स्टोर रूप में फेंकी गई सामग्री/उपकरण के परिणामस्वरूप परिसरों की अव्यवस्था हुई और स्वच्छता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई, परे (21 जुलाई 2016)

- मुम्बई सेंट्रल (बीसीटी) पर बेस किचन को ₹ 1.96 करोड़ की लागत पर संवर्धित एवं आधुनिकीकृत किया गया था, जो कि ट्रेनों की संख्या और बेस किचन द्वारा सेवा प्रदान की जा सकने वाली खाने की संख्या पर आधारित थी। अभिलेखों की समीक्षा ने दर्शाया कि बीसीटी पर बेस किचन संवर्धन से पूर्व एवं बाद में दो ट्रेनों में खाने की आपूर्ति कर रहा था। बेस किचन/बीसीटी की संयुक्त जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया गया कि ₹ 0.23 करोड़ मूल्य के संयंत्र और मशीनरी जैसे रसोईयानों की बेस किचन से खाना/भोजन के लाने ले जाने के लिए खरीदी गई बैट्री से संचालित मोटर ट्रालियां, इंडक्शन स्टोव एवं भट्टी, बेल्ट सहित केस रॉल पेकैट रॉलर, मोटर, स्टार्टर, इंडक्शन स्टोव आदि या तो बिना अनुरक्षण के या उक्त की अनुपयोगिता के बिना बेकार पड़े हुए थे। परे प्रशासन ने एग्जिट कांफ्रेंस में

चर्चा के दौरान कहा कि कम उपयोगिता और उपस्करों का बेकार पड़े रहना कम आवश्यकता के कारण था।

- रेलवे बोर्ड निर्देशों (नवम्बर 2010) के अनुसार रिफ्रैशमैंट रूम मुख्य अचल खानपान इकाईयों को मुख्यत: आवश्यकता के आधार पर सेल किचन या जन आहार में बदल देना चाहिए। यद्यपि मुख्य अचल इकाईयाँ विभिन्न स्टेशनों पर उपलब्ध थीं; क्षेत्रीय रेलवे द्वारा उन्हें सेल किचन/जन आहार में बदलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

चित्र 6: छपरा स्टेशन, उपूरे (04.10.2016) पर प्लेटफार्म पर एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कर खाना पकाते हुए।

- छपरा स्टेशन (उपूरे) के लिये कोई बेस किचन/सेल किचन उपलब्ध नहीं था। स्टॉल के खानपान कार्मिक एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग प्लेटफार्म पर चाय/कॉफी और खाना पकाने में प्रयोग कर रहे थे, जो कि प्लेटफार्म पर खाना पकाने के लिए आग के प्रयोग न करने के निर्देशों का उल्लंघन है।

केवल तीन प्रतिशत बेस किचन विभागीय रूप से कार्य कर रहे थे और शेष लाइसेंस द्वारा प्रबंधित थे। काफी संख्या में बेस किचन रेलवे परिसरों से बाहर स्थित थे और गुणवत्ता जांच के अधीन नहीं थे। इस प्रकार, इसका कोई आश्वासन नहीं था कि बेस किचन द्वारा चल खानपान इकाईयों में गुणवत्ता, स्वच्छता, सफाई में सुधार करने के लिए और रेलगाड़ियों में दिये गये खाने के लिए मानक सामग्री के उपयोग का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था।

अपने उत्तर में, रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि आरंभ में, बेस किचन की आधारभूत संरचना क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित की जानी प्रस्तावित की गई थी और चल इकाईयों के लाइसेंस धारकों को स्थानांतरण दर पर बेस किचन से भोजन की आपूर्ति की जानी थी। पर्याप्त प्रशिक्षित स्टॉफ की अनुपलब्ता के मद्देनजर, पेशेवर लाइसेंस धारकों और विभागीय पर्यवेक्षण द्वारा बेस किचन और चल इकाईयों को संचालित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, एसबीडी के पैरा 1.2.2 के अनुसार यह कहा गया कि, स्थान की अनुपलब्धता के मामले रेलवे परिसरों में या स्थान उपलब्ध न होने के मामले में रेलवे अनुमोदित क्षेत्रों में (लाइसेंस धारक) आधुनिक यंत्रीकृत बेस किचन स्थापित करेगा। यद्यपि, खानपान पॉलिसी 2010 के

अनुसार, बेस किचन रेलवे परिसर में ही तैयार की जानी थी, जिसके लिए प्लेटफार्मों पर उपलब्ध मौजूदा बेस किचन/सेल किचन बनाई जानी थी और मौजूदा बेस किचन/सेल किचन की अनुपलब्धता के मामले में, किचन के निर्माण के लिए क्षेत्रीय रेलवे को कदम उठाने थे। रेलवे परिसरों पर पर्याप्त बेस किचनों के निर्माण के लिये, क्षेत्रीय रेलवे ने कोई प्रयास नहीं किये थे। खानपान नीति, 2010 में यह उद्देश्य विहित था कि बेस किचन रेलवे विनिर्दिष्ट, पर्यवेक्षित और नियंत्रित होंगी ताकि ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, परंतु इसका अनुसरण न हो सका, क्योंकि अधिकांश बेस किचन परिसरों के बाहर थीं।

नई खानपान नीति 2017 में, बेस किचन के संस्थापन एंव परिचालन की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को दी गई है। वे नीति जारी करने के 30 दिनों के भीतर एक व्यापार योजना प्रस्तुत करेंगे ताकि अगले 30 दिनों में रेलवे बोर्ड उसका अनुमोदन कर सके। परोसे गए खाने की गुणवत्ता को अनुरहित करने की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी की होगी। आईआरसीटीसी प्रत्यक्ष रूप से निजी लाइसेंस धारकों को खानपान सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस आउटसोर्स/जारी नहीं करेगा। किचन संस्थापन आधुनिक, यांत्रिक होगा एंव एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर वैध आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। नीति आगे कहती है कि क्षेत्रीय रेलवे एवं आईआरसीटीसी यह नीति जारी करने के 30 दिनों के भीतर एक कार्य योजना निर्धारित कर रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, जिसमें स्थिति एवं समय-सीमा के साथ इकाईयों की सूची जिसमें यह सौंपी/ली जाएंगी, बताया जायेगा।

साइट को पहचानने, जीएडी योजना को बनाने एवं अनुमोदन, साइट को सौंपने, किचन के संस्थापन के लिए करार पर हस्ताक्षर से प्रारंभ करते हुए बेस किचन के संस्थापन के लिए पांच से आठ महीनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय, मंडल एवं आईआरसीटीसी के अधिकारियों को इन कार्यों की जिम्मेदारी निभानी है। निर्धारित समय सीमाओं में, प्रारंभिक 72 दिनों में उपक्रमित गतिविधियों को आईआरसीटीसी के साथ मुख्यत: क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किया जाना है। उसके बाद, इस पर निर्भर करते हुए कि क्या क्षेत्रीय रेलवे द्वारा मूल ढाँचा प्रदान किया गया है या क्षेत्रीय रेलवे द्वारा केवल रिक्त भूमि ही प्रदान की गई है, आईआरसीटीसी तीन से छह महीनों की एक निश्चित समय-सीमा में बेस किचन संस्थापित करेगा। उसके बाद, तीन से छह महीनों की समय-सीमा के बाद बेस किचन के संस्थापन में विलम्ब के मामले में आइआरसीटीसी पर ₹ एक लाख प्रति माह प्रति इकाई के जुर्माने का नियम है। इस प्रकार क्षेत्रीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को साइट सौंपने के बाद ही विलम्ब के लिए आईआरसीटीसी पर

दण्ड लागू है। तथापि, निश्चित समय सीमा के प्रारंभिक 72 दिनों में यदि क्षेत्रीय रेलवे के भाग पर विलम्ब है तो, जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। सौंपे गए कई कार्यों में चूक क्षेत्रीय रेलवे के अधिकारियों पर भी आरोप्य है एवं जब तक निर्धारित समयावधि के भीतर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के लिए उत्तरदायी ठहराया नहीं जाता है, गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बेस किचन स्थापित करने के संबंध में खानपान नीति 2010 क्षेत्रीय रेलवे द्वारा इसकी बाध्यताओं के पूरा होने पर निर्भर थी, जो कि उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन के कारण प्राप्त नहीं की जा सकी। बेस किचन की संस्थापना, यात्रियों को सस्ते मूल्य पर उत्तम, स्वच्छ खाना उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए खानपान नीति 2010 का सबसे महत्वपूर्ण घटक था। अतः, 2017 की नई खानपान नीति को आगे ले जाने की क्षेत्रीय रेलवे की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने की आवश्यकता है।

3.3 अचल खानपान इकाईयों का प्रबंधन

खानपान नीति 2010 के पैरा 4.1 के अनुसार, रेलवे द्वारा स्थाई खानपान इकाईयों के ठेकों के प्रसंस्करण हेतु मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) उपयुक्त पेशेवर एजेंसी की सहायता से रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार की जानी थी। बोली मूल्यांकन मानदंड और योग्यता मानदंड एसबीडी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से परिभाषित थे।

यह देखा गया कि एसबीडी, नीति परिपत्र के जारी करने के एक वर्ष के बाद सितम्बर 2012 में तैयार किया गया और सभी क्षेत्रीय रेलवे को प्रसारित/जारी किया गया। लिया गया समय विधि, वित्त लेखे और संबंधित कार्यकारी विभाग की पुष्टि के साथ एसबीडी की सावधानी पूर्वक ड्राफ्टिंग के कारण था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एसबीडी को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण, समझौते में विसंगतियां, ज्यादा वसूली पर यात्री शिकायतें, लाइसेंस अवधि के अस्थाई विस्तार, अधिकतम सीमा शर्तों के उल्लंघन आदि के कारण खानपान इकाईयों में रेलवे और लाइसेंस प्राप्त कर्ता के बीच विधिक विवाद[16] थे।

मुख्य स्थाई खानपान इकाईयों जैसे सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर फॉस्ट फूड इकाई, फूट प्लाजा, फूड कोर्ट, ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर रिफ्रैशमैंट रूम, जन आहार, चल खानपान इकाईयाँ आदि के संचालन, जिन्हें खानपान नीति 2010 के अनुसार आईआरसीटीसी से क्षेत्रीय रेलवे द्वारा वापस ले लिया गया था, पर विलंब का प्रभाव

[16] दरे-7 चल और 70 स्टेटिक (चेन्नै सैंट्रल-8, तिरूचिरापल्ली-12, मदुरै-17 और सेलम-43)

पड़ा। 31 मार्च 2016 तक, 5,264 इकाईयों आईआरसीटीसी द्वारा क्षेत्रीय रेलवे को सौंपी गई थीं। यह पाया गया कि:

- आईआरसीटीसी से 4210 खानपान इकाईयों को प्राप्त करने के बाद, क्षेत्रीय रेलवे एसबीडी के अभाव के कारण खानपान इकाईयों का संचालन नहीं कर सके। इसलिए, मौजूदा आईआरसीटीसी ठेके आगे बढ़ा दिये गये थे।
- यद्यपि 30 खानपान इकाईयाँ 2010-11 के दौरान आईआरसीटीसी को दरे द्वारा सौंपी गई थी, दरे, रेलवे बोर्ड द्वारा एसबीडी को अंतिम रूप न देने के कारण मार्च 2013 तक ठेका नहीं दे सका। रेलवे बोर्ड से एसबीडी की प्राप्ति के बाद, 2013-14 के दौरान दरे द्वारा ठेके सौंपे गये। 31 मार्च 2016 तक, दरे द्वारा केवल 23 मुख्य अचल इकाईयों के लिये ठेके प्रदान किय गये थे। शेष सात इकाईयों के लिए, 2015-16 के दौरान पाँच खानपान इकाईयों के लिए एलओए जारी किये गये थे और ठेकेदारों का अभी भी अपने कार्य आरंभ करने थे। अन्य दो इकाईयों के मामलों में, जिनके लिए ठेके 2013-14 के दौरान सौंपे गये थे; शाकाहारी रिफ्रैशमैंट रूम/इगमोर (वीआरआर/एमएस) और एनवीआरआर/एमएस पर मै. एरेंको केटरिंग के लाइसेंस करार बार-बार शिकायतों के कारण 2015-16 के दौरान निरस्त कर दिये गये थे।
- एसबीडी को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण, मौजूदा ठेकों को आगे बढ़ाया गया। 2005 नीति के आधार पर लाइसेंस अवधि के अस्थाई विस्तार के कारण, अनुवर्ती रूप में 2010 नीति के परिवर्तन और 2010 नीति के अनुसार अधिकतम सीमा शर्तों का उल्लंघन के कारण दरे में सात चल और 70 अचल खानपान इकाईयों (चेन्नै-8, तिरूचिरापल्ली जंक्शन-12, मदुरै-17 और सेलम-43) के बीच विधिक विवाद थे।
- उमरे में, 2010-11 के दौरान आईआरसीटीसी से वापस ली गई 63 मुख्य स्थाई इकाईयों में से, नये ठेके रेलवे बोर्ड से एसबीडी की प्राप्ति में विलंब के कारण नहीं दिये जा सके। उमरे ने अप्रैल 2016 के दौरान आगरा फोर्ट में रिफ्रैशमैंट रूम के लिए केवल एक नया खानपान ठेका दिया गया। अन्य स्थाई इकाईयाँ पुराने ठेकों के अंतर्गत बढ़ाई गई वैधता अवधि के विस्तार से चलाई जा रही थीं। झांसी डिविजन में, 20 स्वचालित वेडिंग मशीनों के पुराने ठेके अप्रैल 2016 के दौरान समाप्त हो चुके थे और कोई नये ठेके नहीं दिये गये थे।

- पूतरे में टिटलागढ़ स्टेशन की संयुक्त जांच के दौरान, यह पाया गया कि स्टेशन के रिफ्रैशमेंट रूम में, कोई खाना नहीं बेचा जा रहा था। लाईसेंस धारक ने कहा कि यात्री कभी भी रिफ्रैशमेंट रूम में नहीं गये और इसलिए बहुत कम खाना तैयार किया गया। उक्त को पैक किया गया और केवल रेलगाड़ियों में बेचा गया। इसके अतिरिक्त, कुछ स्नैक तैयार किये गये और रेलगाड़ियों में यात्रियों को बेचे गये, जिसके लिए लाइसेंसधारी प्राधिकृत नहीं था। यह देखा गया कि यद्यपि प्लेटफार्म सं. 1 पर रेलगाड़ी रूकने की संख्या अधिकतम थी, रिफ्रैशमेंट रूम द्वीप प्लेटफार्म न. 2 और 3 के अंत पर स्थित था। रिफ्रैशमेंट रूम तक पहुँचने के लिए यात्रियों को प्लेटफार्म सं. 1 से फुट ओवर ब्रिज के द्वारा जाना पड़ता। लाइसेंसधारी को स्थान प्रदान करते समय रेल प्रशासन द्वारा इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया। उक्त में सुधार हेतु कोई सुधारात्मक कार्यवाई भी नहीं की गई।

चित्र 7: द्वीप प्लूटफार्म सं. 2 एवं 3 पर तितलागढ़ रिफ्रैशमेंट रूप (21 सितम्बर 2016)

उक्त के आधार पर, यह देखा जा सकता है कि एसबीडी को अंतिम रूप प्रदान करने में विलंब था और रेलवे, आईआरसीटीसी से प्रभार लेने के बाद भी विभागीय खानपान सेवाएं आरंभ नहीं कर सकी। दो रेलवे में 22 इकाईयों (उमरे-20 और दरे-2) की सेवाएं संबंधित स्टेशनों में आरंभ नहीं की जा सकी, जिसके कारण रेल उपयोगकर्ताओं को असुविधा हुई।

अपने उत्तर में, रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि एसबीडी को पेशेवर एजेंसी के रूप में राईट्स के सहयोग से तैयार किया गया था, जिसने चल इकाईयों, मुख्य अचल इकाईयों और सामान्य छोटी इकाईयों के लिए एसबीडी तैयार किया था। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक की समिति द्वारा एसबीडी की जांच की गई और जुलाई 2011 और जुलाई 2013 के बीच क्षेत्रीय रेलवे को जारी किये गये। तथापि, पूरी प्रक्रिया में काफी समय लिया गया और क्षेत्रीय रेलवे में एसबीडी जारी करने में विलंब हुआ।

नई खानपान नीति 2017 के अनुसार, ए1 एवं ए श्रेणी स्टेशनों में निश्चित अचल इकाईयों जैसे रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार, सेल किचन आईआरसीटीसी को अवसंरचना एवं उपकरण सहित 'जहाँ है जैसा है' आधार पर सौंपा जायेगा। इसके

अलावा, फॉस्ट फूड इकाईयों, फूड प्लाज़ा एवं फूड कोर्ट का प्रबंधन आईआरसीटीसी द्वारा जारी रहेगा। हस्तांतरित की जाने वाली खानपान इकाईयों के लिए क्षेत्रीय रेलवे द्वारा सौंपी गई संविदा उन्ही नियम एवं शर्तों पर आईआरसीटीसी को पुन: सौंपी जायेंगी। आईआरसीटीसी को सौंपी जा रही सभी मुख्य इकाईयों का कार्यकाल संविदाओं के समाप्त होने तक 2010 की नीति के अनुसार शासित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, नीति के अनुसार, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के सीसीएम एवं आईआरसीटीसी को, आईआरसीटीसी को सौंपी जाने वाली प्रत्येक इकाई के संबंध में एक समझौते करना होगा। पूर्वकथित के लिए रेलवे बोर्ड एक ड्राफ्ट मॉडल समझौता जारी करेगा। यह समझौता आईआरसीटीसी को इकाईयों को सौंपने के पहले निष्पादित किया जायेगा। आईआरसीटीसी को इकाईयों के सुचारू रूप से सौंपने को सरल बनाने हेतु ड्रॉफ्ट मॉडल समझौते को समय पर जारी करना आवश्यक होगा। ए1 एवं ए श्रेणी स्टेशनों (आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित किए जाने की आवश्यकता के अलावा) एवं अन्य श्रेणी स्टेशनों पर सभी अन्य अचल खानपान इकाईयों के संबंध में जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे की ही रहेगी। लाइसेंस शुल्क के निर्धारण की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे को दी गई है एवं उनके निर्धारित मानकों पर आधारित लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए एक नया फार्मूला बनाना है। इन लाइसेसों की पात्रता शर्तों में अचल इकाईयों के वार्षिक बिक्री कारोबार के 12 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा जारी रहेगीठेकेदारों को ठेके दिये जाने की नयी सीमायें विनिर्दिष्ट की गई हैं। आरक्षण के लिए प्रयोज्य नये प्रतिमान विनिर्दिष्ट किए गए हैं। ब्लू प्रिंट बनाने, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, कारोबार एवं अनुभव पर आधारित पात्रता मापदंड, खानपान इकाईयों के लिए आरक्षणों का प्रयोजन आदि द्वारा आवश्यकता की पहचान की सम्पूर्ण प्रक्रिया में बदलाव नहीं है। तथापि, सभी वर्तमान प्रक्रियाधीन निविदायें रद्द कर दी गई हैं। इकाईयों के आबंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया नई नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण स्थगित कर दी गईं हैं ।

3.4 चल खानपान इकाईयों का प्रबंधन

खानपान नीति 2010 का पैरा 3.1 के अनुसार रेलवे चरणबद्ध रूप से विभागीय खानपान द्वारा बेस किचन और चल खानपान सहित सभी चल खानपान सेवाओं का प्रबंधन धीरे-धीरे अपने अधीन करेगा। इसके अतिरिक्त, पैरा 3.3.2 दर्शाता है कि खानपान सेवाओं में रूकावट रोकने के लिए, क्षेत्रीय रेलवे को ऐसे समय तक इन सेवाओं के पर्यवेक्षण के लिए प्रसिद्ध पेशेवरों को अनुबंधित करना चाहिए, जब तक कि वे स्वयं विभागीय रूप से उन्हें प्रबंधित करने की स्थिति में हों। विभागीय स्टॉफ

की अनुपलब्धता की अवधि के दौरान, रेलवे नामित बेस किचन से किये गये भोजन की सर्विस के लिए विभागीय पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित सर्विस ठेके सौंप सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12 से पहले, 267 चल खानपान इकाईयाँ आईआरसीटीसी द्वारा संचालित थी। नीति में संशोधन के बाद, आईआरसीटीसी द्वारा क्षेत्रीय रेलवे को 236 इकाईयाँ सौंपी गई। शेष 31 इकाईयाँ विशिष्ट कारणों जैसे ठेकेदारी बाध्यता के कारण क्षेत्रीय रेलवे के विशेष अनुरोध के आधार पर आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित की गई थीं। यह पाया गया कि

- मार्च 2016 तक, 358 चल खानपान इकाईयाँ भारतीय रेल में उपलब्ध थीं। इनमें से, 279 चल इकाईयाँ क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रबंधित थी। शेष 79 चल इकाईयाँ आईआरसीटीसी द्वारा अब भी प्रबंधित थी। 279 चल खानपान इकाईयों में से, केवल चार इकाईयाँ (1.4 प्रतिशत) क्षेत्रीय रेलवे द्वारा विभागीय रूप से प्रबंधित थीं।
- नीति के अनुसार, चल इकाईयों के प्रबंधन के लिए, क्षेत्रीय रेलवे उपयुक्त पेशेवर एजेंसी को अनुबंधित कर सकती थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि समीक्षावधि के दौरान, किसी भी क्षेत्रीय रेलवे ने चल खानपान सेवाओं के पर्यवेक्षण के लिए प्रसिद्ध पेशेवरों को अनुबंधित नहीं किया। इसके विपरित, 275 चल इकाईयाँ लाइसेंसधारियों द्वारा प्रबंधित थीं।
- किसी भी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा खानपान नीति में विनिर्दिष्ट नियमानुसार नामित बेस किचन से प्राप्त किये गये भोजन की सर्विस हेतु विभागीय पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण के लिए कोई सर्विस ठेका नहीं दिया गया।
- दरे और उसीरे ने 17 चल इकाईयों (दरे-12 और उसीरे-5) के प्रबंधन के लिए आईआरसीटीसी को अनुरोध किया चूंकि उनके पास उक्त को चलाने के लिए उपयुक्त श्रमबल नहीं था और ठेकों को वैधता अवधि अब भी चल रही थी।

अनुबंध 2

इस प्रकार, विभागीय रूप से इकाईयों को प्रबंधित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था क्योंकि काफी संख्या में इकाईयाँ या तो आईआरसीटीसी द्वारा या लाइसेंस धारकों द्वारा प्रबंधित की जा रहीं थीं। रेलवे ने भी विभागीय या लाइसेंस धारकों द्वारा संचालित चल खानपान सेवाओं के पर्यवेक्षण के लिए प्रतिष्ठित पेशेवरों को अनुबंधित नहीं किया था।

अपने उत्तर में, रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि क्षेत्र में विनिर्दिष्ट अनुभव के साथ आईआरसीटीसी सहित पेशेवर खानपान ठेकेदारों को खानपान और चल खानपान इकाईयों को प्रबंधित करने के लिए लाइसेंस दिये गये थे। यद्यपि, इन ठेकेदारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के पर्यवेक्षण के लिए, रेलवे ने प्रतिष्ठित पेशेवरों को अनुबंधित नहीं किया था।

नई खानपान नीति 2017 में, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रदान की गई सभी रसोई यान सेवा संविदाएँ आईआरसीटीसी एवं रेलवे द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित योजना के अनुसार उन्हीं नियम एवं शर्तों पर आईआरसीटीसी को पुन: सौंपी गई हैं। आईआरसीटीसी को सौंपी जा रही सभी मुख्य इकाईयों की समयावधि संविदा की समाप्ति तक 2010 की नीति के अनुसार शासित की जायेगी। आईआरसीटीसी को ट्रेनों में खाना परोसने के लिए आतिथ्य उद्योग से सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु अनुमत किया गया है। क्षेत्रीय रेलवे से आईआरसीटीसी को परिवर्तन के अलावा परिचालन के लिए पूर्वकथित मानक अब भी लागू हैं ।

3.5 आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित विशिष्ट खानपान इकाईयों द्वारा खानपान

सीसीएम की सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार (जुलाई 2010) में अतिरिक्त 160 फूड प्लाजा/फूड कोर्ट/फास्ट फूड इकाईयाँ यात्रा कर रहे लोगों को उपयुक्त खानपान सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में खोली जानी थीं। समीक्षा अवधि के दौरान, 141 स्थाई विशिष्ट खानपान इकाईयाँ (एससीयू)[17] खोली गई थीं और 33 एससीयू बंद की गई थीं। समीक्षा अवधि के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित एससीयू की सेवाओं को आरंभ करने की समीक्षा ने दर्शाया कि:

- 126 एससीयू ने स्वीकृति पत्र की तिथि से तीन से 45 महीनों के विलंब के बाद अपनी खानपान सेवाएं आरंभ की। संबंधित क्षेत्रीय रेल प्रशासनों द्वारा योजनाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब, ड्राइंग, साईट के गैर हस्तांतरण विलंब के कारण थे। सभी क्षेत्रीय रेलवे[18] में विलंबित आरंभ के कारण, रेल उपयोगकर्त्ताओं को इस अवधि के दौरान खानपान सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई और क्षेत्रीय रेलवे ने लेखापरीक्षा द्वारा आकलित ₹ 8.23 करोड़ की राशि आईआरसीटीसी से लाईसेंस फीस का 40 *प्रतिशत* प्राप्त करने का अवसर गंवा दिया।

[17] एससीयू फूड प्लाजा, फूटकोर्ट और फास्ट फूड के लिये विनिर्दिष्ट इकाईयाँ हैं।

[18] मरे-6, पूतरे-5, पमरे-17, पूरे-11, उमरे-7, उपूरे-6, उसीरे-3, उरे-5, उपरे-6, दमरे-23, दपूतरे-6, दपूरे-2, दरे-3, दपूरे-10, पमरे-3 और परे-12

- 10[19] क्षेत्रीय रेलवे के 20 स्टेशनों[20] में, एससीयू आरंभ करने में 20 और 30 महीने के बीच विलंब था। दस रेलवे (मरे, दमरे, पूरे, पूमरे, दपरे, उमरे, उरे, परे, उसीरे, पमरे) के 13 स्टेशनों[21] में एससीयू के आरंभ में 30 महीनों से अधिक का विलंब था।
- कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों विजयवाड़ा, कानपुर, ग्वालियर, जयपुर, आगरा फोर्ट, इंदौर, जोधपुर, बीकानेर, अलीगढ़, भागलपुर, कोहलापुर, पटना, चेन्नै सैंट्रल, दीमापुर, रायगढ़, बेलगाम, उज्जैन, पालनपुर, मैसूर आदि में इन एससीयू द्वारा सेवाओं को आरंभ करने में विलंब हुआ।
- सृजित 141 एससयू के अतिरिक्त, क्षेत्रीय रेलवे ने कई एससीयू के सृजन के लिए आईआरसीटीसी को अनुरोध किया था। मांग के आधार पर, आईआरसीटीसी ने 15 क्षेत्रीय रेलवे[22] में 33 एफपी और 53 एफएफयू स्थापित करने का प्रस्ताव किया। तथापि, क्षेत्रीय रेलवे की ओर से साईट को अंतिम रूप देने में, योजना और ड्राईंग के अनुमोदन में विलंब और साईट में परिवर्तन आदि के कारण, आईआरसीटीसी को साईट हस्तांरित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, एससीयू अब तक भी शुरू न हो सके । यह विलंब 48 महीनों तक का था।
- इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि 90 एससीयू को आरंभ करने में विलंब के कारण, क्षेत्रीय रेलवे कई महत्वपूर्ण स्टेशनों जैसे राऊरकेला, मुजफ्फरपुर, अजमेर, अंबाला, गाजियाबाद, संबलपुर, छपरा, बोंगईगांव, बर्दवान, वाराणसी, निजामुद्दीन, हरिद्वार, चेन्नै सेंट्रल, मथुरा, रायपुर, गुवाहाटी, गोरखपुर, यशवंतपुर, पुणे, लखनऊ आदि में रेल उपयोगकर्त्ताओं को खानपान सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करा सका। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय रेलवे ने इस अवधि के दौरान, आईआरसीटीसी द्वारा क्षेत्रीय रेलवे के देय न्यूनतम लाइसेंस फीस पर आकलित राशि, आईआरसीटीसी के लाइसेंस धारकों से लाइसेंस फीस के 40 *प्रतिशत,* ₹ 12.85 करोड़ की राशि को प्राप्त करने का अवसर भी खो दिया।

लेखापरीक्षा ने समीक्षा की अवधि के दौरान छपरा, चेन्नै सैंट्रल, अंबाला कैंट, आगरा के मामलों की नमूना जांच की और क्षेत्रीय रेलवे की ओर से योजना और साईट

---

[19] नलगौंड़ा, निजामाबाद, नादेड़, बेलगांव, रक्सौल, बहरामपुर, आसनसोल, मनीनगर, लालकुआं, नेकलस रोड़, खुर्दा रोड़, दमोह, कंगरी, पालीमरवार, बेटिहा यशवंतपुर, सांगली, अरसीकेर और आबू रोड़

[20] दमरे, पूतरे, दपरे, परे, मरे, उमरे, उपूरे, मरे

[21] गुदूर, भागलपुर, दरभंगा, बैंगलुरू, बेटिहा, यशवंतपुर, छपरा, फिराजपुर कैंट, जामनगर, किशनगंज, बख्तियारपुर, सोगोर, इंदौर, कटनी, सूरत

[22] मरे-6, पूतरे-1, पूमरे-4, पूरे-3, मरे-4, उपूरे-13, उसीरे-6, उरे-21, उपरे-4, दमरे-5, दपूमरे-3, पूमरे-3, दपूरे-1, दरे-8, दपरे-6 और परे-5

ड्राईंग के अनुमोदन, साईट स्थिति में परिवर्तन को अंतिम रूप देने में विलम्ब आदि, के कारण एससीयू आरंभ नहीं किये गये या काफी विलंब से आरंभ किये गये। इसके अतिरिक्त, ऐसे पांच मामले देखे गये जहाँ रेलवे ने लेटर ऑफ एवार्ड के जारी करने के बाद, लाइसेंस धारकों को आईआरसीटीसी द्वारा सौंपे गये स्थान को वापस ले लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप खानपान इकाईयाँ आरंभ नहीं की जा सकी थीं। इसमें जौनपुर स्टेशन (उरे) पर फास्ट फूड यूनिट और फूड प्लाजा, नांदेड स्टेशन (परे) पर फूड प्लाजा, सियालदाह स्टेशन पर फूड प्लाजा (पूरे) और लोनावला और चालीसगांव स्टेशन (मरे) में फास्ट फूड इकाईया और फूड प्लाजा शामिल हैं।

अनुबंध 3 और 4

इस प्रकार, क्षेत्रीय रेलवे ने योजना के अनुसार फूड प्लाजा खोल कर रेल उपभोगकर्त्ताओं को उपयुक्त खानपान सेवाओं के प्रॉवधान सुनिश्चित नहीं किये। इसके अतिरिक्त, इन स्थानों पर खानपान सेवाएं आरंभ करने में विलंब के कारण, इन स्टेशनों पर रेल उपयोगकर्ताओं को इस महत्वपूर्ण यात्री सुविधा के प्रॉवधान को प्रभावित किया।

नई खानपान पॉलिसी 2017 में एससीयूज़ के प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं है।

3.6 ट्रेन साईड वेडिंग (टीएसवी)

चूंकि प्रत्येक रेल गाड़ी में रसोई यान का प्रॉवधान न तो प्राप्य था और न ही आर्थिक रूप से उचित था, रेलवे बोर्ड ने ट्रेन साईड वैडिंग (टीएससी)[23] के प्रॉवधान का निर्णय लिया। खानपान नीति 2010 के पैरा 10 के अनुसार, ट्रैन साईड वैडिंग (टीएसवी) मार्गस्थ के नामित स्टेशन/स्टेशनों की उपयुक्त इकाई से उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि सभी रेल गाड़ियों में पैट्री कार उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस उद्देश्य के लिए, यात्रा के भाग या आदि से अंत आधार पर, जैसा भी व्यवहारिक हो, द्वारा स्थाई इकाईयों द्वारा प्रबंधन किया जाना था । समीक्षा अवधि के दौरान, यह देखा गया कि

- दिन के समय में 12 घंटों से अधिक के लिए चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए उमरे, दपूमरे और दरे द्वारा कोई टीएसवी का प्रावधान नहीं था। दरे ने टीएसवी के लिए ठेकों को जारी नहीं रखा क्योंकि आईआरसीटीसी ने इन रेलगाड़ियों के लिए ई-केटरिंग आरंभ कर दी थी। यद्यपि, ई-केटरिंग के लिए प्रतिक्रिया

[23] काफी संख्या में रेल गाड़ियों से रसोई यान या मिनी पैंट्री जूड़ी हुई नहीं थी। महत्वपूर्ण स्टेशनों की स्थाई इकाईयों से, विक्रेता जो रेल गाड़ी में यात्रा करते है और आदेश देते हैं, से खाने के समय के दौरान खाना दिया जाता है।

उत्साहवर्धक नहीं थी। इस प्रकार, टीएसवी को जारी न करके, अप्राधिकृत विक्रेताओं को खानपान सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अवसर दिया गया। उमरे में, रेलगाड़ी सं. 11124/11123 (ग्वालियर-बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रैस) और 12403/12404 (इलाहाबाद-जयपुर-इलाहाबाद एक्सप्रैस) की संयुक्त जांच (27 अक्टूबर 2016 से 29 अक्टूबर 2016) के दौरान यह देखा गया कि कोई टीएसवी सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई थी और अप्राधिकृत वेंडरों को इन रेलगाड़ियों में देखा गया।

- दमरे में, अनुभागीय टीएसवी सेवाएं दमरे को 12 भागों में विभाजित करके और दमरे क्षेत्राधिकार में बिना रसोई यान की सभी रेलगाड़ियों को कवर करते हुए उपलब्ध कराई गई थी। इनमें से, केवल पांच अनुभागीय टीएसवी 31 मार्च 2016 तक कार्यान्वित थीं। दमरे ने भी अगस्त 2015 के दौरान रेलवे बोर्ड को सूचित किया कि ई-केटरिंग आरंभ करने के बाद टीएसवी विक्रेताओं के प्रति प्रतिक्रिया बहुत खराब थी और टीएसवी ठेकों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
- पमरे ने रेलवे बोर्ड को सलाह (जुलाई 2015) दी कि ई-केटरिंग को वहां बंद कर दिया जाना चाहिए जहां टीएसवी ठेके पहले ही सौंपे जा चुके थे, क्योंकि ई-केटरिंग ने टीएसवी के व्यापार का अधिग्रहण कर लिया था।
- पूमरे में, टीएसवी सेवाऐं केवल एक रेलगाड़ी अर्थात 12569-70 जयनगर-आनन्द विहार-गरीब रथ (पटना स्टेशन से सेवित) में उपलब्ध थी।
- दपूरे में, 24 घंटों के यात्रा समय वाली 38 मेल/एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में से, 20 रेलगाड़ियों में न तो रसोई यान सुविधा और न ही टीएसवी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी (मार्च 2016)।
- उसीरे में, 24 घंटों से अधिक यात्रा समय वाली 13 रेलगाड़ियाँ रसोई यान के बिना चल रही थीं और टीसवी सुविधा उपलब्ध नहीं थीं। रेलगाड़ी सं. 12518/12517-कोलकाता-गुवाहाटी-गरीबरथ एक्सप्रैस की टीएसवी सुविधा आईआरसीटीसी से लेने के बाद 27 अप्रैल 2012 से बंद कर दी गई थी।
- उरे में 11 जोड़ी ट्रेनों के लिए आदि से अंत टीएसवी ठेके लगभग ₹ 11 करोड़ की लागत पर पांच वर्षों की अवधि के लिए दून केटरर्स को सौंपी गई थी (29 नवम्बर 2014)। एक ठेकेदार को ग्यारह ट्रेनों के लिए ठेकों का सौंपा जाना एकाधिकार का सूचक था।

- परे में, 24 घंटों से अधिक यात्रा समय वाली 30 मेल/एक्सप्रैस बिना रसोई यान वाली रेलगाड़ियों में टीएसवी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

इस प्रकार, बिना रसोई यान वाली रेलगाड़ियों में ट्रेन साईड वेडिंग के प्रॉवधान अपर्याप्त थे।

अपने उत्तर में, रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि ई-केटरिंग सेवाएं उन रेलगाड़ियों में आरंभ कर दी गई हैं जो बिना रसोई यान के चल रही थीं और जहां टीएसवी सेवाएं उपलब्ध नहीं थी।

नई खानपान नीति 2017 में, टीएसवी का प्रॉवधान की ज़िम्मेदारी के लिये क्षेत्रीय रेलवे के स्थान पर आईआरसीटीसी की होगी।

3.7 जनता भोजन/जन आहार की उपलब्धता

रेलवे बोर्ड ने जनता खाने की कम बिक्री/उपलब्धता पर चिंता व्यक्त की (जनवरी 2012) और दोहराया कि जनता खाने की बिक्री/उपलब्धता को सुधारने के लिए क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रयास किये जाने चाहिए ताकि रेल यात्रियों को सस्ती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध हो सके। रेलवे बोर्ड ने स्थाई इकाई में ₹ 15/- की दर पर और चल इकाई में ₹ 20/- (गुणवत्ता परक प्रयोज्य कार्ड बॉक्स में पैक किये जाने 175 ग्रा. की सात पूरियां) की दर पर जनता भोजन/सस्ता भोजन/ जनता खाने के लिए संशोधित शुल्क परिचालित किया (दिसम्बर 2012)। जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- चार क्षेत्रीय रेलवे (उमरे, उरे, दमरे और दपूमरे) में, ब्लू प्रिंट की योजना के अनुसार जन आहार इकाईयों को पूर्णत: लागू नहीं किया गया है।
- 74 स्टेशनों में से जहां लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त जांच की गई थीं, 46 स्टेशनों[24] पर जन आहार इकाईयाँ उपलब्ध नहीं थीं। ***(अनुबंध 1 क)***
- उरे में, जांच किये गये पांच स्टेशनों में से, तीन स्टेशनों पर जन आहार इकाईयाँ उपलब्ध नहीं थीं।
- उमरे के आगरा मण्डल के आगरा फोर्ट स्टेशन पर संयुक्त रूप से जांच के दौरान, सात स्टालों में से चार स्टालों में, सभी पांच ट्रालियों में और फूड

[24] वाडी, कटक, टिटलागढ़, राजेंद्रनगर, समस्तीपुर, बरौनी जक्शेखपुरा, इलाहाबाद, आगरा फोर्ट, ग्वालियर, काठगोदाम, लखनऊ जक., मंडुवाडीह, सेलमपुर, कामाख्या, क्यू बोंगाईगांव, रंगापारा नार्थ जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, पठानकोर्ट, ह. निजामुद्दीन, जोधपुर, आबूरोड, मोडरान, महबूबनगर, काजीपेट, रेनीगुंटा, नाडीकुडी, रायपुर, गोंडिया, अनुपपुर, रायगढ़, बिलासपुर, राऊरकेला, आदरा, टाटा एंड बोकारो स्टील सिटी, कोयंबदूर, त्रिरूचिल्लापल्ली, इर्नाकलम, बैंगलुरू कैंट, गडग, गुना, दमोह, जामनगर, नंदरबार, मुंबई, चर्चगेट, सोमनाथ

प्लाजा में कोई जनता भोजन नहीं उपलब्ध था। ब्लू प्रिंट के अनुसार, आगरा कैंट स्टेशन पर एक जन आहार इकाई को गुजरने वाली ट्रेनों (8 दैनिक, 4 सप्ताह में तीन बार, सप्ताह में 2 बार और 20 साप्ताहिक ट्रेनों) के लिये भोजन को लेने के लिये संचालित किया जाना था। उक्त के लिए उमरे प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

- संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि दो ट्रेनों (पूमरे) में जनता आहार उपलब्ध नही था।
- दपरे में, संयुक्त निरीक्षणों के दौरान ट्रेन सं. 12780 और 12628 में कोई जनता आहार उपलब्ध नही पाया गया।

छः क्षेत्रीय रेलवे (मरे, पूतरे, उमरे, दरे, दमरे और पमरे) में बेचे जाने वाले जनता आहार और अन्य आहार का विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है:-

तालिका 3.1- परोसे गए जनता आहार की भाग

वर्ष	*बेचे गए आहार की संख्या*		*अन्य भोजन के प्रति जनता आहार की प्रतिशतता*
	जनता आहार	*अन्य आहार*	
2013-14	3953147	8031931	49.22
2014-15	4634126	15344651	30.20
2015-16	4038424	17651868	22.88

जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा किए गए यात्री सर्वेक्षण के उत्तर में, 22 प्रतिशत यात्रियों ने बताया कि कम लागत सम्मिश्रित खाने, जन आहार/क्षेत्रीय भोजन/आदि मदें उपलब्ध नहीं थे।

जनता आहार का प्रारंभ सभी को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया था। यह देखा गया कि छः क्षेत्रीय रेलवे में पिछले तीन वर्षों में बेचे जाने वाले समग्र आहारों से जनता आहार के भाग में गिरावट आ रही थी। स्टेशनों पर जनता आहार की उपलब्धता भी अपर्याप्त थी।

अपने उत्तर में रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि जन आहार केन्द्रों की स्थापना और यात्रियों को जनता आहार की बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। तथापि, उन्होंने कहा कि यात्रियों की क्रय शक्ति सहित जनता आहार की बिक्री को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मानक बिक्री के लिए निर्धारित दरें भी यथोचित थी और कि यात्रियों को विभिन्न प्रकार की खानपान सेवाएं प्रदान की जा रही है जिससे उन्हें उनकी पसंद के खाने प्राप्त हो सके।

नई खानपान नीति ने जन आहार के प्रबंधन की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को हस्तांतरित की है। अत: रेलवे को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आईआरसीटीसी यात्रियों को कम मूल्य में जनता आहार की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है और इसे यात्रियों के बीच प्रभावी ढंग से विज्ञापित करना चाहिए।

3.8 विभागीय खानपान इकाईयों का वित्तीय निष्पादन

रेलवे बोर्ड ने बढ़ती हुई हानि, स्टाफ पर व्यय में कई गुणा वृद्धि, कच्चे माल/सामग्री की खरीद, अन्य इनपुटों की लागत पर चिन्ता जताई, (जनवरी 2002 और जुलाई 2013) किन्तु विभागीय खानपान इकाईयों में हानि में वृद्धि का रूझान जारी रहा।

क्षेत्रीय रेलवे की 7790 अचल इकाईयों में से 85 और 279 चल इकाईयों में से चार विभागीय रूप से प्रबंधित थी। बाकी इकाईयों का प्रबन्धन लाइसेंसियों के माध्यम से किया जा रहा था। इन विभागीय इकाईयों के माध्यम से खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए 11[25] क्षेत्रीय रेलवे ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹ 757.91 करोड़ का कुल व्यय किया। ₹ 550.30 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति, विभागीय खानपान इकाईयों को 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹ 207.62 करोड़ की हानि हुई। हानि में भी वृद्धि का रूझान रहा । हानियों का मुख्य कारण कम बिक्री और स्टाफ लागत में वृद्धि थी। ये विभागीय इकाईयाँ, आईआरसीटीसी और एफएफ/एफसी/ एफपी के अन्य खानपान स्टालों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थीं।

अनुबंध 2 और 5

निदेशों[26] के अनुसार, एक विभागीय खानपान इकाई की बिक्री आय का उपयोग काफी कम मामलों में किया जाता है। बिक्री आय का कच्चे माल की प्राप्ति में उपयोग केवल उन इकाईयों के मामले में लिया जाना चाहिए जहाँ कोई नकद पेशगी संस्वीकृत न की गई हो या जब हाथ में रकम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो। यदि रकम अपर्याप्त पाई जाती है, तो रकम बढाने के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि दैनिक बिक्री आय के आहरण से बचा जा सके। लेखापरीक्षा ने समीक्षावधि के दौरान भारतीय रेल की 36 विभागीय खानपान इकाईयों द्वारा अधिप्राप्ति के लिए प्रक्रिया की जांच की और पाया किः

[25] मरे, पूमरे, पूरे, उपूरे, उरे, दमरे, दपूरे, दरे, दपरे और परे।

[26] भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली का पैरा 2845

- उपरोक्त निर्देशों के विपरीत, नौ[27] क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निविदा अधिप्राप्ति का सहारा लिए बिना सामग्री, और सब्जियों की खरीद के लिए बिक्री से आय का उपयोग किया जा रहा था जबकि 2015-16 के दौरान उरे में प्रति वर्ष अधिप्राप्त सामग्री का मूल्य ₹ 10.78 करोड़ तक था। इन नौ क्षेत्रीय रेलवे में सामग्रियों की खरीद के लिए 29 प्रतिशत से 87.87 प्रतिशत की बिक्री आय का उपयोग किया गया था।

अनुबंध 6

- केवल दरे और दमरे में ₹ 20,000 और ₹ 15,000 की पेशगी राशि संस्वीकृत की गई थी। तथापि, 2015-16 के दौरान, इस विभागीय खानपान इकाईयों की बिक्री से आय का 50 प्रतिशत से अधिक दैनिक नकद खरीद के लिए उपयोग गया था। शेष 87 विभागीय खानपान इकाईयों में कोई नकद राशि संस्वीकृत नहीं की गई थी।
- परिणामस्वरूप पांच विभागीय इकाईयों-विशाखापट्नम (पूतरे) में जन आहार, न्यू जलपाईगुडी, (उसीरे), अन्नुपुर (दपूमरे), गुंटुर और राजमुंद्री (दमरे), में जन आहार इकाईयों को समीक्षावधि के दौरान बंद कर दिया गया था।
- उमरे के आगरा मंडल में, यह देखा गया कि छः खानपान निरीक्षकों, दो रसोइयों और 15 वेटरों सहित 23 स्टाफ सदस्यों को खानपान कार्यों के पर्यवेक्षण के साथ साथ एक स्टॉल चलाने और उसके अनुरक्षण और पीएडी (प्रोप्राइटी आर्टिकल डिपो) और पीडीडब्ल्यू मदों की बिक्री की तीन ट्रालियों के लिए लगाया गया था। तथापि, आगरा मंडल के अभिलेखों से आगरा मंडल द्वारा चलाई जा रही और अनुरक्षित चार विभागीय खानपान इकाईयों से केवल छः खानपान निरीक्षकों और 13 वेटरों की नियुक्ति स्थल का ही पता चल सका। दो वेटरों और दो रसोइयों की नियुक्ति अस्पष्ट रही जिनकी औसतन ₹ 3.20 लाख प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वेतन को विभागीय खानपान इकाईयों के लाभ और हानि खातें में प्रभारित किया जा रहा था। उमरे के झांसी मंडल में, 59 खानपान स्टाफ में से, दो रसोइयों और चार वाहकों को खानपान कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों में लगाया गया था। इन 06 खानपान स्टॉफ की नियुक्ति अस्पष्ट बनी रही जिनकी औसतन प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वेतन ₹ 2.28 लाख (लगभग) की दर से विभागीय खानपान इकाई के लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जा रही है।

[27] 26 मरे, पूमरे, दमरे, पूरे, दरे, दपूरे, उसीरे, उमरे और उरे

अतः विभागीय इकाईयों को अकुशलता से प्रबंधित किया जा रहा था और उनमें लगातार हानियां जारी रहीं। बिक्री से आय को दैनिक नकद क्रय के लिए उपयोग किया जा रहा था यह पेशगी की संस्वीकृति न करना/अपर्याप्तता के कारण था।

नई खानपान नीति 2017, भारतीय रेल की विभागीय इकाईयों में कार्यरत स्टाफ एवं कार्मिक, जिसे आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया जायेगा, के लिए योजना विनिर्दिष्ट नहीं करती है।

3.9 *अप्राधिकृत खानपान वेंडर/विक्रेता*

रेलवे बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलवे को मेल/एक्सप्रेस रेलगाडियों में मिलावटी, अस्वास्थ्यकर खाद्य उत्पादों की अप्राधिकृत फेरी और बिक्री के प्रति चल लाइसेंस धारियों की जांच के लिए निर्देश दिए थे (अगस्त 2011)। रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा था कि भारतीय रेल में गाडियों और स्टेशनों पर फेरी वाले तेजी से फैल रहे हैं और उन गाड़ियों जिसमे रसोई यान लगी है अप्राधिकृत फेरी वाले एसी कोचों के अलावा रसोई यान से सेवा अनुमत नहीं होने देते।

चित्र 8,; अप्राधिकृत वेंडिंग चलान एक्सप्रेस गाडी सं. 16853, दरे 21 अक्टूबर 2016

चित्र 9,. गाडी सं. 15018, दपूरे में अप्राधिकृत विक्रेता 21 अक्टूबर 2016

चित्र 10,. गाडी सं. 15018, उपूरे में अननुमोदित बोतल बंद पानी की बिक्री 22 अक्टूबर 2016

2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए आँकड़ों के विश्लेषण से और जुलाई से अक्टूबर 2016 के दौरान चयनित 80 रेलगाड़ियों की संयुक्त जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने निम्न पायाः

- प्लेटफार्मों और गाड़ियों में कई अप्राधिकृत विक्रेता वाले थे। आठ क्षेत्रीय रेलवे में 2,39,096 मामलों में (पूरे-11763 मामले, पूमरे-4811, पूतरे-39686, उमरे-16134, उसीरे-7861, दरे-19982 और पमरे-43333 मामले) आरपीएफ द्वारा मुकदमा चलाया गया और जुर्माना लगाया गया।

- तीन क्षेत्रीय रेलवे के रसोई यानों के बिना चयनित गाड़ियों में लेखापरीक्षा द्वारा की गई संयुक्त जांच/सर्वेक्षण के दौरान अप्राधिकृत विक्रेता (73 मामले, दरे-12, उमरे-6 और उसीरे-55) अननुमोदित ब्राण्ड के बोतल बंद पेय जल को उच्च दर पर (₹ 20/-) बेचते हुए और पैक किए गए खाने को बेचते हुए पाए गए थे।
- उसीरे में गाड़ी सं. 12552 (कामाख्या-यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस) रसोई यान सहित में कम से कम 10-20 अप्राधिकृत विक्रेता अननुमोदित बोतल बंद पानी बेचते हुए पाए गए। शताब्दी एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 12041) में रेलवे बोर्ड द्वारा अननुमोदित आठ मदें यात्रियों को परोसी गई थीं। रेलगाड़ी में अप्राधिकृत वस्तुयें जैसे अननुमोदित पानी की बोतल, पान, चना, झालमुरी इत्यादि बेचते हुए पाए गए थे।
- बिना रसोई यान के रेलगाड़ी में किए गए यात्री सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच क्षेत्रीय रेलवे (पूरे, पूतरे, उपूरे, उसीरे और दपूमरे) में खाद्य पदार्थों और पेय जल की आवश्यकता पूर्ण रूप से अप्राधिकृत विक्रेताओं की मदद से पूरी की गई थी। मार्ग में ट्रेनों के विराम/ठहराव के दौरान यह पाया गया कि अचल खानपान इकाईयों के विक्रेता रेलगाडी में खाद्य पदार्थ और पेय जल बेच रहे थे।

अप्राधिकृत खानपान मदें अस्वास्थ्यकारी और मिलावटी हो सकती हैं और यात्री रेलगाड़ी में प्राधिकृत और अप्राधिकृत सेवाओं में अन्तर नहीं कर पाते हैं। फेरी वालों की गाड़ी में लगातार मौजूदगी और गाड़ियों में अप्राधिकृत खाद्य पदार्थों की बिक्री भी दर्शाती है कि गाड़ियों में प्रदान की गई खानपान सेवाएं पर्याप्त नहीं थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, दरे प्रशासन ने कहा कि वे वाणिज्यिक विभाग द्वारा निगरानी तंत्र को मजबूत करेंगे और आरपीएफ द्वारा अप्राधिकृत विक्रय को नियंत्रित करेगा।

अध्याय 4: खानपान ठेकों का प्रबंधन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: क्या विभिन्न अचल और चल इकाईयों के लिए खानपान ठेकों का प्रबन्धन ने अच्छी गुणवत्ता की खानपान सेवाएं सुनिश्चित कीं ?

खानपान नीति 2010 में उन लाइसेंस धारकों के प्रबन्धन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए है, जिन्हें चल और/या अचल खानपान इकाईयों का कार्य दिया गया था।

4.1 निर्धारित आरक्षित मूल्य और प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क की तुलना

खानपान नीति 2010 के पैरा 18.1 के अनुसार लाइसेंस फीस व्यवहारिक और न्यायसंगत रूप से निर्धारित की जानी चाहिए ताकि सेवा की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना लाइसेंस फीस स्पष्ट, न्यायसंगत और न्यायोचित रूप से प्राप्त की जा सके। तदनुसार, रेलवे बोर्ड ने लाइसेंस फीस की प्रतिशतता को बिक्री टर्न ओवर के 12 से 10 प्रतिशत कम कर दिया (2012) जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खानपान सेवा की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई थी। मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों और सुपरफास्ट गाड़ियों की रसोई इयान में बिक्री तीन घटकों अर्थात् (क) व्यजंन सूची से बिक्री[28] (ख) ब्रेकफास्ट, लंच/डिनर की बिक्री और (ग) पीएडी[29] बिक्री शामिल हैं । खानपान नीति 2010 के खण्ड 26 के अनुसार चल खानपान इकाईयों से बिक्री टर्नओवर व्यवसाय के विस्तार के निर्धारण और न्यूनतम आरक्षित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। वाणिज्यिक और लेखा विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रति ट्रिप संयुक्त बिक्री निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक बिक्री टर्नओवर की गणना की जाती है।

लेखापरीक्षा ने आठ क्षेत्रीय रेलवे (दपूरे-12, दपूमरे-5 दमरे-14, दरे-37, पूरे-10, पूतरे-24 उसीरे-20, और पमरे-2) द्वारा दिए गए 124 ठेकों की जांच की और निम्नलिखित पायाः

- 10 प्रतिशत की निर्धारित प्रतिशतता के सामने, एक वर्ष के लिए बिक्री टर्नओवर के प्रति लाइसेंस शुल्क की प्रतिशतता गाड़ी सं. 22805/06 भुवनेश्वर नई दिल्ली एक्सप्रेस (पूतरे) को छोडकर (जहां यह 10 प्रतिशत थी)। सभी ट्रेनो में जिन्हें लेखा परीक्षा में जांचा गया था, 10 प्रतिशत से ज्यादा थी । 29 गाड़ियों के संबंध में यह प्रतिशतता 10.12 प्रतिशत से 20 प्रतिशत और 69 गाड़ियों के

[28] यह विविध लोकप्रिय खाद्य मदें हैं जिन्हें अचल इकाईयों के माध्यम से परोसा और बाजार/उपभोक्ता द्वारा निर्णय लिया जाता है, जिनकी कीमतें क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

[29]पीएडी मदें- रेलवे परिसर में बेचे जाने वाली सभी पैकेजड और ब्रांडेड मदें।

संबंध में 21 प्रतिशत से 50 प्रतिशत थी। बाकी 25 गाड़ियों में, प्रतिशतता 50 प्रतिशत से अधिक और 90 प्रतिशत (उसीरे-गाड़ी सं.15653/54-अमरनाथ एक्सप्रेस) तक था।

- मानक बोली दस्तावेज के अनुलग्नक ए/5 में, रेलवे बोर्ड ने निर्धारित किया (जनवरी 2013) कि 'निविदा समिति प्रयास करेगी कि केवल व्यवहार्य बोलियां स्वीकार की जाए अर्थात बहुत उच्च बोलियां जो अव्यवहार्य प्रतीत होती है, पर निविदा समिति द्वारा विचार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, सीसीएम, दपूरे ने रेलवे बोर्ड को बताया (मई 2013) कि यदि उच्च बोलियों को नजरअंदाज किया गया तो शिकायतें आएंगी। व्यवहार्यता के मामले पर विचार[30] करते समय समिति ने माना कि निजी संचालकों ने लाइसेंस शुल्क के रूप में असामान्य रूप से उच्च राशि की बोली लगाई ताकि ठेके प्राप्त किए जा सकें और काफी भारी राशि निवेश की जा सके और उच्च कीमतें प्रभारित कर रेलवे यात्रियों से उसे वसूला जा सके जैसा कि अधिक दाम वसूली पर कई शिकायतों से स्पष्ट है। तथापि, रेलवे बोर्ड ने अकार्य योग्य निविदाओं को स्वीकार नहीं करने के लिए और समीक्षा हेतु अभी तक कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं की थी।

अतः यह पाया गया कि क्षेत्रीय रेलवे को लाइसेंस शुल्क के रूप में एक मुख्य भाग का भुगतान किया गया, जिससे खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारक के लिए ठेका मूल्य का बहुत कम गुंजाइश बची। ऐसा हो सकता है कि उपलब्ध लाभ में यात्रियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना लाइसेंसी के लिए व्यवहार्य न हो एवं परिणामस्वरूप वह गुण्वत्ता, मात्रा एवं मूल्य आदि से समझौता करें।

अनुबंध 7

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, दरे और दपूमरे प्रशासन ने कहा कि 2012 से खाद्य मदों की टैरिफ दरों को संशोधित नहीं किया है जिसे रेलवे बोर्ड स्तर पर किया जाना है। उन्होंने कहा कि यह एक मुख्य कारण था कि ठेकेदारों ने गुणवत्ता और मात्रा से समझौता किया और यात्रियों से अधिक वसूली की।

एग्जिट कान्फेंस के दौरान, रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि खानपान निविदाओं में उद्धरित दरों की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड विकसित किए जा रहे हैं। लेखापरीक्षा ने सुझाव दिया कि लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया को दोबारा देखने की आवश्यकता है और उद्धरित दरों को तर्कसंगत रेंज में

[30]डा. श्रीधरन समिति रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक समिति बनाई (अक्टूबर 2015) ताकि आईआरसीटीसी के खनपान सेवाओं के हस्तांतरण की व्यवहार्यता की जांच की जा सके।

निर्धारित किया जा सकता है। कोई भी दर जो इस रेंज से काफी कम या काफी अधिक हो उसे तर्कसंगत और व्यवहार्य नहीं माना जाना चाहिए। टैरिफ संशोधन के लिए रेलवे बोर्ड ने सूचना दी कि वह टैरिफ संशोधन से संबंधित मामलों पर एक समिति का गठन करने जा रहे हैं।

नई खानपान नीति 2017 में, लाइसेंस के लिए तकनीकी पात्रता मापदंड कुल बिक्री एवं अनुभव के अनुसार निर्धारित किए गए है। लाइसेंस शुल्क के लिए मापदंड इकाई की कुल वार्षिक बिक्री के 12 प्रतिशत पर रखा गया है। लाइसेंस शुल्क सुनिश्चितीरण क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किया जाना है। लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने की विधि प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा तैयार की जाएगी। जब तक उपरोक्त सभी गतिविधियां सुगठित की जाती है; आवंटन के लिए सभी निविदाएं जहां पर स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया गया है, को रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। तथापि, रेलवे को खानपान संविदाओं में दरों की सुकार्यता के आंकलन के लिए दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता न किया जा सके।

4.2 खानपान लाइसेंसों के धारण पर अंतिम सीमा

खानपान नीति 2010 में, रेलवे बोर्ड ने निजी ठेकेदारों को दिए जाने वाले खानपान लाइसेंसो के धारण हेतु उच्चतम सीमा निर्धारित की, जो निम्नानुसार हैः

तालिका 4.1 – खानपान लाइसेंस धारण के लिए उच्चतम सीमा

लघु यूनिटें	एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एक स्टेशन पर अधिकतम दो लघु खानपान यूनिटें और प्रति क्षेत्रीय रेलवे अधिकतम दस यूनिटें धारण करने की अनुमति होगी। उपनगरीय भाग के मामलें में प्रति डिविजन दो इकाईयों की उच्चतम सीमा लागू होगी।
प्रमुख यूनिटें	क) *फूड प्लाजा, फूड कोर्ट और फास्ट फूड यूनिटः* एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रति डिविजन अधिकतम दो इकाईयों और पूरे भारतीय रेल में सभी इकाईयों का अधिकतम दस प्रतिशत धारण अनुमत होगा। ख) *स्वल्पाहार कक्षः* एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रति डिविजन अधिकतम दो इकाईयों और पूरे भारतीय रेल में सभी इकाईयों का अधिकतम दस प्रतिशत धारण अनुमत होगा। ग) *चल इकाईः* किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को भारतीय रेल में समान श्रेणी की इकाईयों का अधिकतम दस प्रतिशत संचालित करने की अनुमति होगी।

खनपान नीति 2010 के पैरा 19.1 के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिये खानपान लाइसेंस लेने के लिये निर्धारित उल्लिखित सीमा का अनुपालन किया गया है। क्षेत्रीय रेलवे को विभिन्न खानपान संस्थापनों का डाटाबेस बनाना चाहिये।

क्षेत्रीय रेलवे बोर्ड ने 2013 में अधिकतम सीमा से अधिक और विभिन्न स्तरों अर्थात क्षेत्रीय, स्टेशन और डिविजनल स्तरों पर ठेकेदारों के लाइसेंस की स्थिति की समीक्षा की और देखा कि लाइसेंसधारकों के पास 2530 इकाईयां[31] निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक थी। रेलवे बोर्ड ने कहा कि उपरोक्त स्थिति कुछ लोगों द्वारा इकाईयों में अत्यधिक एकाधिपत्य को दर्शाती है।

लेखापरीक्षा ने अचल और चल खानपान इकाईयों प्रदान करने के लिये अधिकतम सीमा का पालन करने की वर्तमान स्थिति की जांच की और देखा कि

- दिसम्बर 2015[32] के अंत में, 254 ट्रेनों के लिये चल खानपान ठेके दिये गये थे। इन 254 चल इकाईयों में से, क्षेत्रीय रेलवे में 33 ठेके (अर्थात 25 ठेकों से अधिक-254 का 10 प्रतिशत) मैसर्स आर. के. एसोसिऐट्स और मैसर्स होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिये गये थे। मैसर्स बृंदावन फूड प्रोडेक्ट्स को भी क्षेत्रीय रेलवे में 25 ठेके दिये गये।
- पूतरे में, पांच ठेकेदारों को एक स्टेशन पर दो लघु इकाईयों से अधिक दी गई थीं जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:
    - मैसर्स ए.एस. सेल्स कार्पोरेशन-कटक में तीन इकाईयां, भुवनेश्वर में 4, पुरी में 4
    - श्री एम.वी. अप्पा राव - विशाखापट्नम में 3 इकाईयां
    - मैसर्स जीसीएमएमएफएल - कटक में 3 इकाईयां, खुर्दा रोड़ में 3 इकाईयां,
    - मैसर्स विशाखा डेयरी-विशाखापट्नम में 4 इकाईयां
    - श्री बी. एम. सिंह - विशाखापट्नम में 3 इकाईयां, विजयनगरम में 3 इकाईयां
- उमरे में, आठ ठेकेदारों को एक स्टेशन पर दो लघु इकाईयों से अधिक दी गई थीं, जैसा नीचे विवरण दिया गया है:
    - आगरा कैंट में मैसर्स आर. के. एसोसिएट्स - 16 इकाईयां
    - आगरा कैंट में मैसर्स चतुर्वेदी एंड सन्स - 05 इकाईयां
    - आगरा फोर्ट में मैसर्स प्राणवीर सिंह - 03 इकाईयां
    - मथुरा जंक्शन में मैसर्स एच. डी. एंड संस - 10 इकाईयां
    - मथुरा जंक्शन में मैसर्स राजकुमार - 05 इकाईयां

[31] जोनल - 368, स्टेशन - 2006 और डिविजन - 96

[32] दिनांक 11/12/2015 के आरबी की पत्र संख्या 2010/टीजी III/645/13/पीटी के अनुसार

- इलाहाबाद में मैसर्स तिरूपति एसोसिएट्स - 03 इकाईयां
- इलाहाबाद में मैसर्स कंचन रेस्टोरेन्ट एंड कैटरर्स - 05 इकाईयां
- ग्वालियर में मैसर्स आर. डी. शर्मा - 17 इकाईयां

- दपरे में, मैसर्स रेलिश कैटरर्स[33] को यशवंतपुर स्टेशन में दो स्टॉल और बैंगलौर सिटी स्टेशन में 10 खानपान स्टॉल के लिये ठेके दिये गये थे। इसके अतिरिक्त, दपरे द्वारा आइआरसीटीसी से इकाईयां लेने के बाद भी, उसी ही लाइसेंसधारक ने सेवा जारी रखी और अभी तक अनियमितता को सुधारा नहीं गया था।

रेलवे बोर्ड ने खानपान संस्थापन का डाटाबेस बनाना, उसे नियमित रूप से अद्यतित करना और उसे क्षेत्रीय रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड करना निर्धारित किया ताकि ठेका निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर ही दिया जाये। तथापि, तंत्र का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं किया गया और अधिकतम इकाईयां होने की केवल शर्त ही एसबीडी में शामिल की गई थी।

रेलवे बोर्ड ने खानपान इकाईयों के लाइसेंसधारकों की स्थिति की समीक्षा की और देखा (2013) कि कुछ ठेकेदारों के पास काफी अधिक संख्या में इकाईयां है, जो कुछ लोगों द्वारा इकाईयों का अत्यधिक एकाधिपत्य दर्शाता है। लेखापरीक्षा समीक्षा यह भी दर्शाती है कि क्षेत्रीय रेलवे में काफी कम लाइसेंसधारकों के पास बहुत अधिक संख्या में ठेके हैं। इनमें से कुछ लाइसेंसधारकों को आईआरसीटीसी द्वारा भी विभिन्न इकाईयों के लिये ठेके दिये गये थे। समीक्षा की अवधि के दौरान अचल और चल खानपान इकाईयों की अधिक संख्या रखने वाले ठेकेदारों/लाइसेंसधारकों की सूची तालिका 4.2 में दी गई है:

तालिका 4.2 - लाइसेंसधारक जिन्हें क्षेत्रीय रेलवे और आईआरसीटीसी द्वारा बहुत अधिक संख्या में ठेके दिये गये

ठेकेदार का नाम	*क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अचल इकाईयों हेतु दिये गये ठेकों की संख्या*	*क्षेत्रीय रेलवे द्वारा चल इकाईयों हेतु दिये गये ठेकों की संख्या*	*आइआरसीटीसी द्वारा दिये गये ठेकों की संख्या*
एक्सप्रेस फूड सर्विसेज़	25	11	14
तिरूपति एसोसिएट्स	15	-	12
बृंदावन फूड प्रोडेक्ट्स	14	25	11
अरेन्को खानपान	29	15	7
आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड	21	33	6

[33] सी. 79/सीएटीजी स्टॉल/एसबीसी/बैंगलौर सिटी (एसबीसी-9)/रेलिश/11

तालिका 4.2 - लाइसेंसधारक जिन्हें क्षेत्रीय रेलवे और आईआरसीटीसी द्वारा बहुत अधिक संख्या में ठेके दिये गये			
ठेकेदार का नाम	*क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अचल इकाईयों हेतु दिये गये ठेकों की संख्या*	*क्षेत्रीय रेलवे द्वारा चल इकाईयों हेतु दिये गये ठेकों की संख्या*	*आइआरसीटीसी द्वारा दिये गये ठेकों की संख्या*
ए.एस सेल्स कार्पोरेशन	11	6	4
दून कैटरर्स	8	22	0
सत्यम कैटरर्स	12	25	4

एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान, उमरे प्रशासन ने कहा कि यद्यपि ठेका देते समय अधिकतम सीमा सुनिश्चित की जा रही थी परन्तु यह पुराने लाइसेंसों के नवीकरण के मामले में सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था क्योंकि पुराने लाइसेंस समेकित लाइसेंस शुल्क सहित कई वेंडिंग इकाईयों के लिये थे।

ठेकेदारों को ठेका देने के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा का पालन न करने से, रेलवे ने कुछ फर्मों द्वारा एकाधिपत्य को बढ़ावा दिया। एकाधिपत्य के कारण यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और गुणवत्ता से समझौता हुआ ।

उनके उत्तर में, रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि पारदर्शी ठेका प्रदान करने और प्रबंधन प्रणाली को खानपान नीति 2010 में परिभाषित किया गया है और एसबीडी सख्त पात्रता मानदंड, वित्तीय क्षमता, जुर्माना खंड और प्रभावी निगरानी तंत्र के साथ तैयार किया गया है। अधिकतम सीमा से अधिक ठेके देने के संबंध में, रेलवे ने एक्जिट कांफ्रेस के दौरान कहा (फरवरी 2017) कि उनकी निविदा शर्तों में कमी है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निविदा शर्तों में निविदाकार को रेलवे खानपान में अनुभव होना अपेक्षित है, जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है। उन्होंने कहा रेलवे खानपान के अनुभव की बजाय, रेलवे खानपान की पात्रता का आकलन करने के लिये खानपान में पर्याप्त अनुभव होना चाहिये। लेखापरीक्षा में देखा गया कि रेलवे, रेलवे खानपान में अनुभव होने वाले सीमित वेंडरों के कारण खानपान ठेके की अधिकतम सीमा लागू नहीं कर सका।

खानपान लाइसेंस रखने पर अधिकतम सीमा के लिए संशोधित मापदंड नई खानपान नीति 2017 में भी निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न खानपान संस्थापन के लिए डाटाबेस के अनुरक्षण के संबंध में निर्देश भी पूर्वकथित ही रहे। वैसे तो, उपरोक्त उल्लेखित अधिकतम सीमाओं को लागू करने के लिए एक तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

4.3 झांसी स्टेशन में वेंडिंग हेतु अनियमित लाइसेंसिंग के कारण हानि

आइआरसीटीसी ने ₹ 54 लाख प्रति वर्ष के लाइसेंस शुल्क पर झांसी स्टेशन पर वेंडर को फूड प्लाजा चलाने हेतु लाइसेंस जारी किया (जुलाई 2012)। फूड प्लाजा के अतिरिक्त झांसी डिविजन ने नामांकन के आधार पर, उसी वेंडर को झांसी स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर वेंडिंग करने की भी अनुमति दी (अगस्त 2012), जिसमें ₹ 6.48 लाख के अनंतिम लाइसेंस शुल्क पर प्रत्येक प्लेटफार्म पर आठ लोग शामिल थे। बशर्ते कि वेंडर एक वचनपत्र दे कि लाइसेंस शुल्क की वास्तविक राशि जो बाद में रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित की जायेगी, उसकी मांग होने पर वेंडर द्वारा वो राशि जमा की जायेगी। यह देखा गया कि ठेकेदार मैसर्स सनशाइन कैटरर्स को झांसी डिविजन में 25 खानपान इकाईयां आबंटित की गई थीं। इसके बाद झांसी डिविजन द्वारा ₹ 10.65 लाख प्रति वर्ष पर संशोधित लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया था लेकिन यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था और वेंडर के लिये लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना बाकी था। वेंडरों को वेंडिंग प्लेटफॉर्म हेतु दिया गया लाइसेंस अक्टूबर 2013 में वापस ले लिया गया। आगे यह देखा गया कि ₹ 6.48 लाख पर लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने का आधार अनुचित था। रेलवे अधिकारियों द्वारा झांसी डिविजन के निरीक्षण के दौरान (मार्च 2012 और मई 2013) अनुमत आठ वेंडरों से अधिक वेंडरों को तैनात पाया गया। उसके लिये रेलवे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार, वेंडिंग की अनुमति पारदर्शी रूप से नहीं दी गई थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था, लाइसेंस शुल्क अनुचित रूप से कम था और लाइसेंसी प्राधिकृत सीमा को पार कर गया था, लेकिन उमरे प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। आगरा फोर्ट में समान इकाई के लिये, जहां लाइसेंस निविदा के माध्यम से दी गई थी, लाइसेंस शुल्क ₹ 15 लाख प्रतिवर्ष था। झांसी स्टेशन पर लाइेसेंस तीन जोड़ी प्लेटफार्म पर 24 वेंडरों को अनुमत किया गया था, जो 24 वेंडिंग इकाईयों के बराबर है अर्थात ₹ 360 लाख का वार्षिक लाइसेंस शुल्क।

अपने उत्तर में, रेलवे बोर्ड ने कहा (फरवरी 2017) कि उमरे डिविजन को निर्देश जारी कर दिये थे कि डिविजन के पास फूड प्लाजा को प्लेटफार्म वेंडिंग हेतु अनुमति देनें का कोई अधिकार नहीं है और मामले की सर्तकता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

4.4 खानपान इकाई के लाइसेंसधारक संचालकों से विभिन्न प्रभारों और जुर्माने की गैर-वसूली

4.4.1 लाइसेंस शुल्क

लाइसेंस करार के खण्ड 4.3 के अनुसार, चूककर्ता ठेकेदार द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान में कोई भी विलम्ब होने पर चूक के दिनों की संख्या के लिये की गई गणना पर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगाया जायेगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 11.60 करोड़ का लाइसेंस शुल्क वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भारतीय रेल के लाइसेंसधारकों से वसूल किया जाना बाकी था। 14 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज की भी न तो गणना की गई और न ही वसूली की गई।

लाइसेंस करार के पैरा 4.2(बी) के अनुसार, लाइसेंस की पूर्ण अवधि हेतु लाइसेंस शुल्क अग्रिम में 2+2+1 वार्षिक आधार पर लाइसेंसधारक द्वारा देय है। पहली किस्त लाइसेंस शुरू होने के 15 दिन पहले देय है। उसके बाद, दूसरा वर्ष समाप्त होने के बाद 15 दिनों के अंदर दूसरी किस्त और चौथा वर्ष समाप्त होने के बाद 15 दिनों के अंदर तीसरी किस्त देय है। इसके अतिरिक्त, पैरा 4.3 के अनुसार, किसी भी लंबित भुगतान हेतु 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की उगाही निर्धारित है। परे में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारित अनुसार ब्याज सहित लाइसेंस शुल्क के लिये ₹ 7.74 करोड़ की राशि निर्धारित रूप से अग्रिम में लाइसेंस शुल्क की गैर-प्राप्ति के कारण 10 अक्टूबर 2016 तक सात रसोई यान लाइसेंसधारकों से बकाया थी। भुगतान की प्राप्ति में विलम्ब 3 से 12 माह के बीच तक था। इन ठेकों के लिए केवल ₹ 4.10 करोड़ की प्रतिभूति जमा राशि रेल प्रशासन के पास उपलब्ध थी।

4.4.2 पानी और बिजली प्रभार

खानपान नीति के पैरा 18.4 के अनुसार, पानी प्रभारों और बिजली प्रभारों को वास्तविक खपत के आधार पर लाइसेंसधारकों से वसूल किया जाना चाहिये। पानी के प्रभारों की वसूली की स्थिति की समीक्षा, लेखापरीक्षा द्वारा 74 चयनित स्टेशनों पर जांच की गई और निम्नलिखित देखा गया:

- पूर्ण विवरण सहित उचित रूप से पानी के बिल का रजिस्टर नहीं बनाया गया था और खानपान लाइसेंसधारकों के ठेकों के विवरणों को आवधिक रूप से अद्यतित नहीं किया गया था।
- वाणिज्यिक विभाग अधिकारियों के पास पार्टियों द्वारा पानी के प्रभार का भुगतान या अन्यथा संबंधित कोई भी उचित अभिलेख या जानकारी नहीं थी।

- चार क्षेत्रीय रेलवे (पूतरे, दमरे, दरे और पमरे) में लाइसेंसधारकों से पानी के प्रभार की ₹ 0.66 करोड़ की बकाया राशि वसूली की जानी बाकी थी।
- दो क्षेत्रीय रेलवे (दमरे और पमरे) के संबंध में आइआरसीटीसी में लाइसेंसधारकों से पानी के प्रभार की ₹ 0.01 करोड़ की बकाया राशि वसूली की जानी बाकी थी।
- वसूलीयोग्य जल प्रभारों में संशोधन आवधिक रूप से नहीं किया गया था।
- आठ क्षेत्रीय रेलवे (पूतरे, उमरे, उसीरे, उरे, उपरे, दमरे, दपूरे तथा पमरे) के लाइसेंसधारकों से वसूली हेतु देय विद्युत ऊर्जा प्रभारों का बकाया ₹ 1.20 करोड़ था।
- पांच क्षेत्रीय रेलवे (पूतरे, उमरे, उसीरे, उरे तथा उपरे) के संबंध में आईआरसीटीसी के लाइसेंसधारकों से वसूली हेतु देय विद्युत ऊर्जा प्रभारों का बकाया ₹ 0.11 करोड़ था।

अत: क्षेत्रीय रेलवे में सटीक बिलिंग, लेखाकरण हेतु मॉनीटरिंग तथा लाइसेंसधारको द्वारा देय लाइसेंस फीस के साथ-साथ जल एवं विद्युत प्रभारों की वसूली की निगरानी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।

4.4.3 खानपान ठेकेदारों पर लगाया गया जुर्माना

समीक्षा अवधि के दौरान 43 लाइसेंस करारों की नमूना जांच से पता चला कि 12[34] क्षेत्रीय रेलवे में चूककर्ता ठेकेदारों से जुर्माना राशि की पूर्ण वसूली नहीं की गई थी, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

- सभी 16 क्षेत्रीय रेलवे द्वारा 2011-12 से 2015-16 के दौरान चूककर्ता लाइसेंसधारकों पर ₹ 10.01 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था जिसमे से ₹ 7.29 करोड़ की वसूली कर ली गई थी तथा ₹ 2.72 करोड़ बकाया थे। इसमे से ₹ 54 लाख मैसर्स अरेंको के प्रति दरे मे बकाया थे। पूतरे में सितंबर 2016 की समाप्ति पर ₹ 1.65 लाख की राशि मैसर्स आर.के. एसोसिएटस के प्रति बकाया थी और ₹ 6.45 लाख की राशि मैसर्स सनशाइन केटरर्स के प्रति बकाया थी।
- इसी प्रकार, आईआरसीटीसी ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान चूककर्ता लाइसेंसधारकों पर ₹ 1.44 करोड़ का जुर्माना लगाया था जिसमे से ₹ 1.25 करोड़ की वसूली हो गई थी तथा ₹ 0.17 करोड़ बकाया थे।
- करार में इस खण्ड के बावजूद कि चूककर्ता लाइसेंसधारकों के ठेकों को समाप्त कर देना चाहिए, चूककर्ता ठेकेदारों को क्षेत्रीय रेलवे द्वारा उनकी पिछली विफलताओं पर ध्यान न देते हुए नए ठेके दिए गए थे। दरे में, मैसर्स एरेन्को

[34] दरे, पूतरे, पूमरे, पूरे, उमरे, उसीरे, उपरे, दमरे, दरे, दपरे, पमरे तथा परे

केटरर पर खराब सेवाओं के लिए ₹ 0.62 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था जिसमे से उनके द्वारा ₹ 0.54 करोड़ का भुगतान अभी किया जाना था। तथापि, इस फर्म को आईआरसीटीसी द्वारा दरे में 11 ठेके तथा मरे (3) तथा दरे (4) में 7 ठेके दिए गए थे।

4.4.4 खाद्य पदार्थों की जांच हेतु भुगतान

क्षेत्रीय रेलवे द्वारा कार्यान्वित खानपान लाइसेंस करार के खण्ड 7.3(क) के अनुसार रेलवे को लाइसेंसधारक की लागत पर खाद्य पदार्थों के नमूने/कच्चा माल एकत्र करने तथा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में उनकी जांच कराने का अधिकार है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्रीय रेलवे तथा आईआरसीटीसी के विभिन्न लाइसेंसधारकों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए थे तथा लाइसेंसधारकों से उक्त की वसूली की बजाय उनकी जांच के लिए भुगतान किया गया था। 2013-14 से 2015-16 के दौरान लाइसेंसधारकों से वसूलीयोग्य जांच प्रभारों के प्रति ₹ 1.53 करोड़ की राशि (पूतरे, उसीरे, दमरे, दरे तथा पमरे) अभी तक वसूल की जानी बाकी थी।

इस प्रकार, सही बिलिंग हेतु मॉनीटरिंग, लेखाकरण तथा लाइसेंस फीस की वसूली, जल एवं विद्युत प्रभारों तथा क्षेत्रीय रेलवे में लाइसेंसधारकों द्वारा भुगतान योग्य जुर्माना की निगरानी, को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। ठेकेदारों से लाइसेंस फीस की काफी राशि बकाया थी तथा क्षेत्रीय रेलवे ने विलंब से किए गए भुगतानों पर 14 प्रतिशत का ब्याज नहीं लगाया था, जो प्रावधानों के तहत् अपेक्षित था। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के प्रति किए गए भुगतानों की भी पॉच क्षेत्रीय रेलवे में लाइसेंसधारकों से वसूली नहीं की गई थी।

रेलवे बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि क्षेत्रीय रेलवे को इस मामले पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

अध्याय 5: अच्छी गुणवत्ता तथा स्वच्छ भोजन का प्रावधान

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4: क्या उपलब्ध खानपान इकाईयों ने विभिन्न श्रेणियों के रेल उपयोगकर्त्ताओं को वहन करने योग्य पर अच्छी गुणवत्ता तथा स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया ?

खानपान नीति 2010 के मुख्य उद्देश्यों में से एक सर्वोत्तम व्यापार एवं हॉस्पिटैलिटी उद्यम पद्धति को अपनाकर यात्रियों को स्वच्छ, अच्छी गुणवत्ता का उचित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना था। स्वच्छता सुनिश्चित करना, अपेक्षित समय पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खानपान इकाईयों की पर्याप्त संख्या रखना, व्यंजन सूची तथा टैरिफ की प्रवृति, पौष्टिक तथा स्वादिष्ट भोजन की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता, रसोई तथा पकाने के मानदंड, नियुक्त खानपान कार्मिक द्वारा प्रदत सेवा में गुणवत्ता, सर्वोत्तम व्यापार पद्धति जैसे कि ई-खानपान सेवा ऐसे कुछ कारक हैं, जो दी गई खानपान सेवाओं की गुणवत्ता के मानदंड निर्धारित करते हैं । यात्रियों को स्वच्छ तथा गुणवत्ता के भोजन के प्रॉवधान को सुनिश्चित करने तथा ट्रेन पर तथा अचल खानपान सेवाओं को सुधारने हेतु खानपान नीति 2010 मे एक मॉनिटरिंग तथा नियंत्रक तंत्र निर्धारित किया गया था। नई खानपान नीति 2017 में एक ऐसा ही अनुरक्षण तंत्र निर्धारित किया गया है जो रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे और डिवीजन के अधिकारियों को खानपान सेवाओं में देखी गई कमियों के लिए दंड के लिए किचन इकाईयों/चल खानपान इकाईयों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत करता है।

लेखापरीक्षा ने चयनित ट्रेनों तथा स्टेशनों पर सभी प्रकार की खानपान इकाईयों के संबंध में गुणवत्ता, स्वच्छता तथा उचित कीमत के पहलुओं की समीक्षा करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे में 74 स्टेशनों तथा 80 ट्रेनों का चयन किया था। चयनित स्टेशनों पर जलपान कक्ष, फूड प्लाजा, फूड स्टॉल, रेस्तरां आदि सहित सभी अचल खानपान इकाईयों का रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशनों पर ग्राहकों को दी गई सेवा की समीक्षा करने के लिए संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया था। चयनित ट्रेनों अर्थात चल खानपान इकाईयों, को दी गई खानपान सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा अन्य पहलुओं को प्रग्रहण करने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ दौरा किया गया था। रेलवे अधिकारियों के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण की गई इकाईयों में क्षेत्रीय रेलवे और आईआरसीटीसी दोनों के द्वारा प्रबंधित स्थिर इकाईयां सम्मिलित हैं। इसी तरह निरीक्षित चल खानपान इकाईयों में आईआरसीटीसी के साथ-साथ क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रबंधित रसोईयान सम्मिलित हैं।

अतः क्षेत्रीय रेलवे एवं आईआरसीटीसी दोनों के द्वारा प्रबंधित खानपान इकाईयों में गुणवत्ता, स्वच्छता एवं अनुचित पद्धतियों से संबंधित मामले पाए गए।

इसके अतिरिक्त, 74 चयनित स्टेशनों पर 1800 यात्रियों तथा 80 चयनित ट्रेनों पर 1975 यात्रियों को लेखापरीक्षा दल द्वारा उनके द्वारा देखी गई/अनुभव की गई खानपान सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता, उचित कीमत तथा उपलब्धता के पहलुओं पर उनके विचार एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली दी गई थी। शिकायत समाधान तंत्र की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए यात्री शिकायतों पर सूचना की भी समीक्षा की गई।

उपरोक्त पहलुओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की गई है:

5.1 स्वच्छता तथा सफाई

जुलाई 2016 से अक्तूबर 2016 के दौरान रेलवे अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दलों द्वारा 74 स्टेशनों तथा 80 ट्रेनों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। खानपान इकाईयों में सवच्छता तथा सफाई से संबंधित निम्नलिखित त्रुटियां देखी गई:

- 11 क्षेत्रीय रेलवे में 21 स्टेशनों[35] पर शुद्ध जल उपलब्ध नहीं था (सितम्बर से अक्टूबर 2016)
- उपलब्ध जल शोधक मशीनों का उपयोग न करके 22 ट्रेनों[36] में पेय-कॉफी, चाय तथा सूप तैयार करने में सीधे नल से ही अशुद्ध जल का उपयोग किया जा रहा था।
- उमरे की ट्रेन सं; 12033-34 (कानपुर-नई दिल्ली-कानपुर) में ट्रेन सेवाओं पर कानपुर में प्रचालित खानपान हेतु क्षेत्रीय रेलवे के लाइसेंसधारकों के बेस किचन

[35] कजरत (मरे), राजेन्द्र नगर (पूमरे), आगरा फोर्ट और इलाहाबाद (उमरे), खड़गपुर, राऊकेला, बोकारो स्टील सिटी, टाटा नगर, अद्रा (दपूरे), गदग (दपरे), जयपुर (उपरे), चेन्नई, कोयम्बूटूर (दरे), कामख्या ज., न्यू तिनसुकिया जं, न्यू गाइंगांव (उसीरे), काजीपेट (दमरे), लुधियाना, पठानकोट (उरे), बेस रसोई और मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट में जन आहार (परे)

[36] सियालदह राजधानी एक्सप्रैस -12313, हावड़ा-रांची शताब्दी एक्सप्रैस -12019, कानपुर-नई दिल्ली-कानपुर एक्सप्रैस-12033/12034, स्वराज एक्सप्रेस -12472, यशवंतपुर-निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रैस-12629, निजामुद्दीन-गोवा एक्सप्रैस- 12780, यशवंतपुर-जबलपुर एक्सप्रैस -12193 / 94, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्सप्रैस-12041/12042, बीकानेर-कोयम्बटूर एक्सप्रैस -22475, अजमेर-सियालदाह एक्सप्रैस-12988, अजमेर-पुरी एक्सप्रैस -18422, उपासना एक्सप्रैस -12327, कोलकाता राजधानी एक्सप्रैस -12301, सियालदाह दुरंतों एक्सप्रैस -12260, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रैस- 12501, कामाख्या यसवंतपुर एक्सप्रैस -12552, निजामुद्दीन मडगांव राजधानी -22414, चेन्नई कोयंबटूर शताब्दी एक्सप्रैस-12243, चेन्नई दुरंतो एक्सप्रैस -12269, तमिलनाडु एक्सप्रैस 12622, 12925 - पश्चिम एक्सप्रैस, 12955-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रैस

में खाना पकाने के लिए जल की अलग तथा पानी की अतिरिक्त सफाई के बजाय रेलवे की सामान्य जल आपूर्ति का उपयोग किया जा रहा था।

चित्र11:सैल किचन/एसबीसी, दपरे में खाद्य सामग्री की हैंडलिंग के समय केटरिंग कार्मिक ने दस्ताने नहीं पहने है (05.10.2016)

चित्र 12: गोवा एक्सप्रैस, दपरे में पेन्ट्री सेवाओं हेतु शुद्ध पानी का उपयोग नहीं किया गया (18.10.2016)

चित्र 13: छपरा, उपूरे में जमीन पर रखी गई खाद्य सामग्री (04.10.2016)

चित्र 14:पश्चिम एक्सप्रैस, परे में पीने के पानी तथा पेर्यो की बालटी शौचालय के पास बेस्टीब्यूल पर रखी थी (29.10.2016)

- निर्धारित विवरण वाले कचरापात्र 11 क्षेत्रीय रेलवे के 28 स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे, जिनमें भुवनेश्वर, कटक, टिटलागढ़ (पूतरे), समस्तीपुर (पूमरे), शेखपुरा, हावड़ा (पूरे), आगरा फोर्ट, इलाहाबाद, ग्वालियर (उमरे), जोधपुर (उपरे), खड़गपुर, राऊरकेला, बोकारो, टाटानगर, आद्रा (दपूरे) गदग (दपरे), जयपुर, जोधपुर (उपरे), चेन्नई, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी (दरे), गुवाहटी, न्यु तिनसुकिया, न्यु बोगाईगांव जं. रंगापारा उत्तरी ज. (उसीरे) तथा लुधियाना, लखनऊ (उरे), शामिल है।
- तीन ट्रेनों (12834, 12629, 12193/94) में कचरा एकत्र करने के लिए प्लास्टिक की थैलियों के साथ कोई कचरा पात्र उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- अचल तथा चल खानपान इकाईयों से उत्पन्न कचरे को विभिन्न रंगों के कचरापात्रों (हरा, काला, सफेद) में एकत्र नहीं किया गया था तथा इसका निपटान पांच क्षेत्रीय रेलवे के 13 स्टेशनों में नामित स्टेशनों के दूसरे कचरे के साथ किया जा रहा था जिसमे राऊरकेला, टाटानगर, आद्रा (दपूरे), चेन्नई (दरे), जोधपुर, जयपुर (उपरे), निजामुद्दीन, नई दिल्ली, लखनऊ (उरे), मुम्बई सेन्ट्रल चर्चगेट, जामनगर, नंदूरबार (परे) शामिल है।
- कचरा पात्र ढके हुए नहीं पाए गए, इन्हे नियमित रूप से खाली नहीं और धोया नहीं गया था जिसके कारण 10 क्षेत्रीय रेलवे में 23 स्टेशनों में कचरापात्रों में कचरा एकट्ठा हो गया जिसमें गुवाहाटी, न्यू तिनसुकिया जं. न्यु बोगाईगांव ज.

रंगापारा उत्तरी ज. (पूसीरे), करजत (मरे), भुवनेश्वर, कटक, टिटलागढ़ (पूतरे), समस्तीपुर, शेखपुरा, राजेन्द्र नगर (उमरे), आगरा फोर्ट, इलाहाबाद (उमरे), गोंदिया (दपूमरे), खड़गपुर, राऊरकेला, बोकारों स्टील सिटी, टाटानगर, आद्रा (दपूरे), गदग, बैंगलोर (दपरे), जयपुर (उपरे), कन्याकुमारी (दरे), लुधियाना, लखनऊ (उरे), नंदरबार, मुम्बई सेन्ट्रल, बड़ोदरा (परे) शामिल हैं।

- 13 क्षेत्रीय रेलवे के 32 स्टेशनों अर्थात छपरा, गोरखपुर, लखनऊ, काठगोदाम, बस्ती, सलेमपुर (उपूरे), करजत (मरे) टिटलागढ़ (पूतरे), समस्तीपुर (पूमरे), आगरा फोर्ट, इलाहाबाद, ग्वालियर (उमरे), गोंदिया (दपूमरे) खड़गपुर, राऊरकेला, बोकारो स्टील सिटी, टाटा नगर, आद्रा (दपूरे), गड़ग, बैंगलोर कैंट, बैंगलोर (दपरे), जयपुर (उपरे), कन्याकुमारी (दरे), महबूब नगर, काजीपेट, सिकंदराबाद (दमरे), गुवाहाटी, न्यु तिनसुकिया जं., कामाख्या जं., न्यु बोंगाईगांव जं., रंगापारा उत्तरी ज. (पूसीरे), मुम्बई सेन्ट्रल (परे) स्टेशनों पर विभिन्न खानपान इकाईयों में खाद्य सामग्री का प्रबंध करने वाले खानपान कार्मिकों द्वारा दस्ताने और/या टॉवर कैप का उपयोग नहीं किया जा रहा था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान 15 ट्रेनों[37] में खानपान कार्मिक भी दस्तानों का उपयोग करते हुए नहीं पाए गए थे।
- तीन स्टेशनों (टिटलागढ़-पूतरे, आगरा फोर्ट-उमरे तथा पठानकोठ-उरे) में तथा चार ट्रेनों (यशवंतपुर निजामुद्दीन सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रैस-12629, निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रैस-12780 बीकानेर कोयम्बटूर एक्सप्रैस-22475, अजमेर सियालदह एक्सप्रैस-12988) में खाद्य सामग्री को मक्खियों, कीड़े-मकोड़ों तथा धूल से बचाने के लिए ढ़का नहीं गया था। यहां तक कि तीन ट्रेनों (मुम्बई सेंट्रल जयपुर एक्सप्रेस 12955, पश्चिम एक्सप्रैस-12925, विसाका एक्सप्रैस 17015) में खाद्यसामग्री को जमीन पर शौचालय क्षेत्र के निकट क्षेत्र, वेस्टीब्यूल में रखा गया था।
- खानपान कार्मिक के संबंध में वैध मैडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र स्टेशनों पर जांच की गई कुछ खानपान इकाईयों में उपलब्ध नहीं थे, जिसमें लोकमान्य तिलक टर्मिनल, करजत (मरे), समस्तीपुर, बरौनी (पूमरे), आगरा फोर्ट, ग्वालियर (उमरे),

[37] यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति (12629), निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस (12780), जबलपुर-कटरा-जबलपुर (11449/50), बीकानेर कोयम्बटूर एक्सप्रैस (22475), छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस (18238), गोंदिया रायगढ़ जन शताब्दी (12070), कनलिनूर त्रिवेंद्रम जनशताब्दी एक्सप्रैस (12081), कालीकट त्रिवेन्द्रम जनशताब्दी एक्सप्रैस (12075), अजमेर पुरी एक्सप्रैस (18422), उपासना एक्सप्रैस (12327), कामख्या यशवंतपुर एसी एक्सप्रैस (12552), चेन्नई कोयम्बटूर शताब्दी (12243), चेन्नई दुरंतो (12269), तमिलनाडु एक्सप्रेस (12622)

गोंदिया (दपूमरे), गड़ग (दपरे), चेन्नई (दरे), लखनऊ (उरे), सिकन्दराबाद (दमरे), और दो ट्रेनें (12081 जनशताब्दी एक्सप्रैस, (कन्नूर-त्रिवेंद्रम), 12313 सियालदह राजधानी एक्सप्रैस) शामिल है।

- नमूना जांच किए गए कई स्थानों पर बेस किचन, अचल यूनिट तथा चल इकाईयों में पालन हेतु सफाई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था। उमरे के लाइसेंसधारक की ट्रेन सं. 12033-34 (कानपुर-नई दिल्ली-कानपुर शताब्दी) के बेस किचन में ट्रेन पर खानपान सेवा हेतु पकाने के बर्तनों को धोने और इनकी उचित सफाई करने के लिए कोई अलग सिंक नहीं था।

- 10 ट्रेनों (18422-अजमेर पुरी एक्सप्रैस, 12565-बिहार सम्पर्क क्रान्ति, 12553 वैशाली एक्सप्रैस, 12395-राजेन्द्र नगर पटना से अजमेर, 12501-पूर्वोत्तर सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रैस, 15651/52-लोहित एक्सप्रैस 12472, 12834, 12863, 12081) में रसोई यान में कच्चे माल, पैक्ड वस्तुओं तथा अन्य सामग्रियों के लिए कोई उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं की गई थी।

- ट्रेन सं. 12583 लखनऊ-आनंद विहार टर्मिनल डबल डेकर (उपूरे) के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया था कि एक यात्री, जिसने कटलेट का आर्डर दिया था, ने इसे खाते समय इसमें लोहे की कील पायी, जैसाकि फोटोग्राफ में दर्शाया गया है।

चित्र 15: ट्रेन सं. 12583 लखनऊ -आनंद विहार टर्मिनल डबल डेकर में यात्री को परोसे गए कटलेट में कील (16 अक्तूबर 2016)

- उमरे की ट्रेन स. 12033-34 (कानपुर-नई दिल्ली- कानपुर शताब्दी) में ट्रेन पर खानपान सेवा पर उपलब्ध शिकायत पुस्तिका के अनुसार, नाश्ते में लोहे की कील के बारे में शिकायत की गई थी। परन्तु इस शिकायत पर अंतिम उपचारात्मक कार्रवाई संयुक्त निरीक्षण के दौरान दर्ज नहीं पाई गई।

- ट्रेन सं. 12260 (दुरन्तों एक्सप्रैस-पूरे) तथा 12269 (दुरन्तों एक्सप्रैस, दरे) में रसोई यान में में कोकरोच तथा चूहे देखे गए।

स्टेशनों पर तथा ट्रेनों में रेलवे द्वारा परोसी जा रही खाद्य सामग्री के संबंध में स्वच्छता तथा सफाई को सुनिश्चित नहीं किया गया था जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा रेल अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षणों से पता चला।

लेखापरीक्षा द्वारा किये गये यात्री सन्तुष्टि सर्वेक्षण के दौरान, 75 प्रतिशत यात्रियों ने स्वच्छता और आरोग्य रहित खानपान सेवा को औसत या खराब बताया ।

5.2 खानपान सेवाओं में अनुचित प्रथाओं का पालन किया जाना

संयुक्त निरीक्षणों के दौरान लेखापरीक्षा ने चयनित रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर स्थिति की जांच कर निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

- सभी चयनित 80 रेलगाडियों में चल इकाईयों में दिये गये खाद्य वस्तुओं के लिए बिल नहीं दिऐ गए थे। सभी रेलगाडियों के संयुक्त निरीक्षण में केवल दपूरे की रेलगाडियों को छोड़कर, चल ईकाईयों में विक्रय की गयी खाद्य वस्तुओं की सूची के लिए मूल्य के साथ मुद्रित व्यंजन सूची कार्ड आहार प्रबंधकों के पास उपलब्ध नहीं थे। व्यंजन सूची कार्डो की गैर-उपलब्धता, आहार-प्रबंधन कर्मचारी के द्वारा अधिक वसूली के अवसरों को बढ़ाता है।
- दपूरे, में, व्यंजन सूची में मूल्य नियत करने के लिए, विभिन्न मापदंड को अपनाने के कारण यात्रियों को व्यंजन सूची से मानक वस्तुओं और अ-ला-कार्ट वस्तुओं के बीच अंतर करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण यात्रियों से अधिक वसूली की गई। सीसीएम कार्यालय के नोटिस में लायी गई 462 शिकायतों में से, 246 शिकायतें अधिक वसूली से संबंधित थी। 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 5 रेलगाडियों और 5 स्टेशनों के किये गये संतुष्टि सर्वेक्षण के दौरान 250 में से 152 यात्रियों का मानना था कि वेटरों, बैरो और कमीशन विक्रेताओं ने अधिक प्रभार लिया/बल पूर्वक विक्रय किया था। आगरा और झॉसी (उमरे) में अननुमोदित ब्राण्ड्स जैसे बद्री टेस्टी नट (नमकीन) 36 ग्राम वज़न एफएसएसएआई लाईसेन्स के बिना यात्रियों को बिक्री करने के लिए रखा गया था।
- लेखापरीक्षा द्वारा किये गये यात्री सन्तुष्टि सर्वेक्षण के दौरान, 36 प्रतिशत यात्रियों ने माना कि परोसे गये खाद्य वस्तुओं के लिए अधिक प्रभार लिये गये थे और 21 प्रतिशत ने माना कि मूल्य यथोचित नहीं था।
- भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली के पैरा 2806 के अनुसार, परोसे गये पके हुए चावल, चपातियां, सब्जियां इत्यादि की मात्रा रेलवे बोर्ड/क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा निर्धारित मानक माप के अनुसार होनी चाहिए। सामान्यः, मूल्य सूची अनुसूची प्रति ईकाई (ठोस खाद्य सामग्री के लिए ग्राम और पेय पदार्थों जैसे- कॉफी, चाय और सूप के लिए मिली०) का माप निर्दिष्ट करता है। जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षणें के दौरान, यह देखा गया कि परोसी गयी खाद्य वस्तुएं निर्धारित अनुसूचित मात्रा से कम थीः

- कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी (उमरे) रेलगाडी संख्या-12033-34 की खानपान सेवा के लिए लाईसेन्स आधारित बेस किचन में 5 ग्राम के निर्धारित मानक के विपरीत पनीर के एक टुकडे का वज़न 3 ग्राम पाया गया।
- ग्वालियर स्टेशन (उमरे) के फूड प्लाजा में, निर्धारित 175 ग्राम वज़न के विपरीत पूरी का वास्तविक वज़न केवल 130 ग्राम पाया गया।
- आगरा फोर्ट (उमरे) पर लाइसेन्स के सभी छः स्टॉलों पर वेजीटेबल सेडंविच के वज़न की जांच की गयी और यह 25 ग्राम कम पाया गया।
- ग्वालियर स्टेशन (उमरे) पर ढोकला और ब्रेड पकौडा के वज़न में 10 ग्राम कमी/अल्पता पायी गयी।
- परोसी गयी आईसक्रीम (वाडीलाल) की मात्रा 100 मिली. की संविदा मात्रा के स्थान पर 90 मिली थी इसी प्रकार, दही (नौवा) की मात्रा 100 ग्राम के स्थान पर 90 ग्राम थी। 15 ग्राम के स्थान पर 10 ग्राम टमाटर कैचप पाउच परोसा गया। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस (पूरे) रेल संख्या-12313 में 20 ग्राम के स्थान पर 17 ग्राम नटी ग्रेटी ब्रांडेड बादाम परोसा गया।
- हावडा-रॉची शताब्दी एक्सप्रेस (पूरे) रेल सं.-12019 में 100 ग्राम के स्थान पर 95 ग्राम का परांठे दिया गया और 100 ग्राम के स्थान पर 90 ग्राम दाल परोसी गयी थी।
- लेखापरीक्षा द्वारा किये गये यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण के दौरान, 39 प्रतिशत यात्रियों ने कहा कि निर्धारित मात्रा के अनुपात में परोसी गई खाद्य वस्तुएँ उन्हें कम लगी। 20 प्रतिशत यात्रियों ने मात्रा को अपर्याप्त पाया।

- पूतरे ने चार लोकप्रिय भारतीय ब्राण्ड्स जैसे, एक्वाफिना, किनेले, बिसलेरी और बेली को खानपान सेवा ईकाईयों को रेल-नीर उपलब्ध न होने के वजह के विक्रय करने की अनुमति दी थी। तथापि, अस्वीकृत पानी ब्रांड जैसे- फ्रैश, संजीवनी, एमैस्ट, एक्स- लायन्ट, फैम लाइफ आदि का विक्रय किया जा रहा था और पूतरे में प्रचलित सीलबंद पेय जल (पीडीब्ल्यू) का अधिक दाम लिए जा रहे थे। आगरा फोर्ट स्टेशन (उमरे) पर आईआरसीटीसी ठेकेदार के फूड प्लाजा खानपान सेवा ईकाई के द्वारा अस्वीकृत सीलबंद पेय जल 'गैलन्स' विक्रय किस जा रहे था ।
- झॉसी स्टेशन (उमरे) पर बोली प्रक्रिया के बिना लाइसेन्स देने और लाइसेन्स शुल्क को नियत करने में कमी के कारण फूड प्लाजा के लिए प्लेटफार्म विक्रय

करने के लाइसेंस के अनधिकृत संचालन के कारण ₹ 4.14 करोड़ की हानि हुई, जैसा लेखापरीक्षा के द्वारा मूल्यांकन किया गया।

- न्यूजलपाईगुड़ी जं. (पूसीरे) में, 56 खानपान सेवा इकाईयों में से, 51 अनाधिकृत इकाईयां थी, जिनमें से 41 इकाईयों से जगह अभी तक खाली नहीं कराई गई थी, जबकि मामले का निर्णय पूसीरे के पक्ष में हुआ था और 19 आईआरसीटीसी लाइसेन्सधारी लाइसेन्स शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे।

- आगरा फोर्ट स्टेशन पर, सभी सात लाइसेंसधारी स्टॉलों और पांच ट्रोलियों में सूचीबद्ध पीएडी वस्तुओं के बजाए केवल पेठा, पेड़ा, दालमोठ, और गजक पीएडी वस्तुऐं ही उपलब्ध थीं।

- पीएडी वस्तुओं को विभाग की इकाईयों में विक्रय किये जाने के लिए पीएडी वस्तुओं के अधिकृत विक्रेता के साथ दर अनुबंध तय करना आवश्यक है। पीएडी वस्तुओं को विभागीय खानपान सेवा इकाईयो के लिए अधिप्राप्त किया जायेगा और एमआरपी पर लाभ के अंतर के साथ विक्रय किया जाएगा। यह देखा गया कि 22 मार्च 2015 से 15 अक्टूबर 2016 की अवधि के लिए उमरे पर उपलब्ध पीएडी वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए कोई भी दर संविदा नहीं थी। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान विभागीय खानपान सेवा इकाईयों पर अधिकारिक तौर पर कोई पीएडी वस्तुओं का विक्रय नहीं किया गया था यद्यपि, इनका अनौपचारिक रूप से विक्रय चलता रहा।

- आईआरसीएम के पैरा 2807 में प्रावधान है कि विक्रय की गयी वस्तुएं निर्धारित दरो पर बेची जाएंगी। इस प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य रेल प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया जायेगा और यात्रियों से अधिक प्रभार नहीं लिया जाएगा। इन वस्तुओं में बिस्कुट, सीलबंद उत्पाद, मिठाईयां, इत्यादि सम्मिलित है जिन्हें पीएडी वस्तुएं कहा जाता है और जिनको लाइसेंसधारी ईकाईयो के साथ-साथ विभागीय खानपान सेवा ईकाईयों में बिक्री किया जाता है। यह देखा गया कि उमरे में, क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा यद्यपि विशिष्ट ब्राण्ड का चयन किया जाता है, परन्तु उत्पाद का मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया जाता। ब्राण्ड के अधिकृत विक्रेताओं को इस शर्त के साथ एमआरपी पर विक्रय की अनुमति दी गयी हैं कि खुले बाजार में विक्रय किये गये समान उत्पाद की एमआरपी इस एमआरपी से अधिक न हो। उमरे में यह देखा गया कि पीएडी वस्तुऐ खुले बाजार की तुलना में भिन्न वज़न और मूल्य से रेलवे स्टेशनों पर विक्रय किये जा रहे थे, जिसमें रेलवे परिसरों में प्रति यूनिट लागत बाजार के

विक्रय मूल्य से बहुत अधिक थे। उदाहरण के लिए इलाहाबाद स्टेशन के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि नीलम फूड प्लाजा में 29.5 ग्राम वज़न के चिप्स ब्रांड 'लेज' का मूल्य ₹ 18 रूपये था। रेलवे परिसरो के बाहर 30 ग्राम वज़नके समान उत्पाद का मूल्य केवल ₹ 10 रूपये था। हल्दीराम चिप्स का 30 ग्राम पैकेट 10 रूपये में रेलवे और 42.5 ग्राम पैकेट ₹ 15 रूपये में विक्रय किया जा रहा था। इसी प्रकार, उसीरे में, यह पाया गया कि 'लैज चिप्स', वाडीलाल आइसक्रीम' के पैक आइटम उच्च दर पर थे, और 'विशेष रूप से केवल चयनित चैनल के लिए पैक किया गया के रूप में रेलो और स्थिर इकाईयो में चिन्हित पाया गया। लैज चिप्सो का वज़न29.5 ग्राम था और एमआरपी ₹ 18 रूपये मुद्रित थी, जबकि, वही लैज चिप्स के 30 ग्राम पैक का मूल्य बाजार में केवल ₹ 10 रूपये था। उमरे प्रशासन की इक्सिट कानफरेंस के दौरान यह कहा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामलें में उन्होंने बड़े दंड आरोप पत्र जारी किये है। यद्यपि, इस मुद्दे को नियंत्रित नहीं किया जा सका है क्योंकि अनधिकृत वेंडिग संचालन अवैध आपराधिक तत्वों की संलिप्तता के साथ चल रहा था। उन्होंने आगे बताया कि इसे नियंत्रण करने के लिए सभी प्रयास किये जायेगें।

- आगे देखा गया कि उमरे मे एमआरपी की तुलना में उच्च दर पर कुछ कंपनियों के पीएडी वस्तुओं के विक्रय के कारण मैसर्स पेप्पसिको इंडिया प्रा. लि., मैसर्स सूर्या फूड एवं एग्रो लि., मैसर्स बेक्टरस फूड स्पेस्लिस्टस प्रा. लि., मैसर्स ब्रिटेनिया इन्डस्ट्रीइज लि. और मैसर्स हल्दीराम प्रा. लि. के उत्पादों के लिए 1 मई 2015 से पीएडी वस्तुओं (कुरकुरे, लैस चिप्स, लहर नमकीन, लहर मूंग दाल, बटर बाइट बिस्कुट, प्रिया गोल्ड, प्रियागोल्ड सीएनसी बिस्कुट, बिस्कुट इलाइची क्रेमिका, बिस्कुट ओरेंज क्रेमिका, ब्रिटानिया गुड डे बिस्कुट, हल्दीराम टकाटक चटपटा मसाला, हल्दीराम चिप्स और फ्रूटी) के विक्रय को प्रतिबंधित किया था। तथापि, मैसर्स ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज लि. के अनुरोध पर प्रत्येक पांच संस्थाओं पर उदग्रहित ₹ 25,000 के दंड की वसूली के बगैर सभी कंपनियों के लिए प्रतिबंध को वापस लिया गया था। इक्सिट कानफ्रेंस के दौरान उमरे प्रसाशन इस बात पर सहमत था कि जुर्माना लगाए जाने के बावजूद, यात्रियों से ज़्यादा दाम लेने और शोषण के मामले जारी रहे ।

- आठ[38] रेलगाडियों और 12[39] क्षेत्रीय रेलवे में 26 स्टेशनों पर खानपान सेवा कार्मिको के संबंध में वैध पुलिस मंजूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।

उपरोक्त कमी यह दर्शाती है कि यात्रियों को दिये जा रहे खाद्य वस्तुओं के संबंध में ठेकेदारों ने कीमत के साथ समझौता किया और गुणवत्ता मानको से विचलन के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाई प्रभावी नहीं थी। परिणामस्वरूप, ठेकेदारों ने स्टेशनो पर अस्वच्छ और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थो का विक्रय जारी रखा।

5.3 खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिए जॉच एवं नियन्त्रण

जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान 80 रेलगाडियों और 74 स्टेशनों पर रेलवे अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये गये थे। परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में निम्न कमियां पायी गयीः-

- 14 रेलगाडियों (12293, 12153, 18422, 12434, 12472, 22475, 12629, 12780, 11449/50, 15959/60, 12041/42, 15651/52, 12501/02, 12551/52), में यात्रियों को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की कोई सामयिक जांच नहीं की गयी।
- मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त वस्तुएं, दूषित खाद्य पदार्थो, पुर्ननवीनीकरण खाद्य पदार्थो, उपयोगिता समाप्त तिथि पैक और बोतल आदि वस्तुऐं, अनधिकृत पानी की बोतलें आदि टीटलागढ़, (पूतरे), समस्तीपुर (पूमरे), हावड़ा (पूरे), आगरा फोर्ट, इलाहाबाद, ग्वालियर (उमरे), जोधपुर (उपरे) गोंदिया (दपूमरे), नई दिल्ली (मरे) नई दिल्ली (आईआरसीटीसी), पटानकोट (उरे), गोरखपुर, राउरकेला, बोकारो स्टील सिटी, टाटा नगर, अदरा (एसईआर) छपरा, गुवाहाटी, कामाख्या जं., नया तिनसुखिया जं., नया बोगाईगांव जं. रंगापारा उत्तरी जं. (उसीरे) पर रेलगाड़ियों/स्टेशनों परिसरों पर विक्रय के लिए रखे गये थे।

---

[38] रेल सं.18422 (पूतरे) और 15959/60, 12041/42, 15651/52, 12501/02, 12551/52 (उसीरे), टीएसवी इकाई की रेल सं. 12195/12196 (आगरा फोर्ट-अजमेर सिटी एसएफ एक्सप्रेस) उपरे द्वारा संचालित और प्रबंधित और कानपुर में परिचालित रेल सं. 12033-34 में खान-पान सेवा के लिए लाइसेंसधारी बेस किचन (कानपुर-नई दिल्ली-कानपुर शताब्दी)।

[39] वाडी, कर्जत (मरे) कटक, टिटलागढ़ (पूतरे), आसनसोल, हावड़ा (पूरे), आगरा फोर्ट, इलाहाबाद, ग्वालियर (उमरे), छपरा, गोरखपुर, लखनऊ, काठगोदाम, बस्ती, सेलमपुर (उपूरे), गदग (दपरे) कन्याकुमारी (दरे), पठानकोट (उरे), काज़िपेट (दमरे), गुवाहाटी, कामाख्या जं. नई तिनसुकिया जं. न्यू बोंगाईगांव जं. रंगापारा नॉर्थ जं. (उसीरे) स्टेशन, नंदुरबार और सोमनाथ (परे)

- उसीरे में, बिना उपयोगिता तिथि के और उत्पादक तिथि के स्थानीय निर्मित बिस्कुट और केक स्टेशन परिसरो पर विक्रय किए जा रहे थे।
- सेल किचन की कुछ वस्तुएं जैसे- आटा, बेसन, रिफाईंड सोया तेल, लाल मिर्च पाउडर नमूने के रूप में एकत्र किया गया और अप्रैल 2016 के दौरान अनुमोदित प्रयोगशाला, इलाहाबाद (उमरे) को एकत्र नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया था। आटा घटिया स्तर का पाया गया और उमरे ने लाइसेंसधारी पर ₹ 2000 /- का दंड लगाया था, परन्तु इसकी वसूली नहीं की गयी।
- बोकारो स्टील सिटी स्टेशन, दपूरे, पर विक्रय किये गये फ्लेवरड मिल्क की उपयोगिता तिथि समाप्त हो चुकी थी।

चित्र 16. बोकारो स्टेशन, दपूरे, में लाइसेंस किये गये खानपान इंकाई पर फ्लेवर्ड दूध की एक मद जिसकी सेल्फ लाईफ खत्म हो चुकी थी

- आगरा में, खानपान सेवा इकाईयॉ आईआरसीटीसी लाइसेसंधारी के द्वारा संचालित और प्रबंधित की जा रही थी। इन खानपान सेवा इकाईयो में मई 2016 के दौरान उमरे प्रशासन के द्वारा पेठे की गुणवत्ता की जांच परीक्षण के लिए नमूने एकत्र किये गये थे और अनुमोदित प्रयोगशाला इलाहाबाद को भेजा गया था। जांच परीक्षण में असंतोषजनक परिणाम (पेठे के टुकडो के चारों ओर फंगस) प्राप्त हुए थे। सीएमएस/आगरा कैंट ने डीसीएम/एजीसी को लाइसेसंधारियों पर असंतोषजनक परिणाम के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया था परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
- परे में, मलाईपनीर, तैयार ब्रॉयलर चिकन, और रिफाइंड तेल की गुणवत्ता में खामियां को नामित वाणिज्यिक कर्मियो के द्वारा परीक्षण के दौरान इंगित किया गया था। तथापि, रेलवे प्रशासन के द्वारा इन खामियों के लिए ठेकेदारों के विरूद्ध कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गयी थी।
- उमरे की रेल संख्या-12033-34 (कानपुर-नई दिल्ली-कानपुर) में खानपान सेवा के लिए क्षेत्रीय रेलवे के बेस किचन में लगभग 100 बासी परांठे पाये गये थे, जिनको पुर्नप्रयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, विक्रय नहीं हुए/बेकार खाद्य पदार्थों को पुर्नप्रयोग न करने को आश्वस्त करने के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

- उमरे के रेलगाडी संख्या-12033-34 (कानपुर-नई दिल्ली-कानपुर) के बेस किचन के परीक्षण में खुली अवस्था में दूषित तेल पाया गया था। तदनुसार, लाइसेंस संविदा के स्वस्थ और स्वच्छ मापदंडो के साथ समझौता कर इसके पुनः उपयोग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
- उपरे के द्वारा संचालित और प्रबंधित रेल संख्या-12195/12196 (आगरा फोर्ट-अजमेर इन्टर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस) की टीएसवी इकाई के लिए संयुक्त परीक्षण के दौरान मैसर्स क्लासिक केटरर्स के पक्ष में एफएसएएआई-2006 प्रमाणपत्र संख्या 20011909000698 को केवल 16 दिसम्बर 2015 तक के लिए वैध पाया गया था और उसके बाद कोई नवीकरण नहीं किया गया था।
- रेल संख्या-12033-34 (कानपुर-नई दिल्ली-कानपुर शताब्दी) में आहार प्रबन्धन के लिए उमरे के मैसर्स बृन्दावन फूड प्लाजा प्रोडेक्टस के द्वारा संचालित इस बेस किचन के परिचालन के लिए एफएसएसएआई-2006 प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था जैसा कि संयुक्त परीक्षण के दौरान देखा गया।
- लेखापरीक्षा द्वारा किये गये यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण के दौरान, 53 प्रतिशत यात्रियों ने कहा कि परोसे गए खाने की गुणवत्ता, स्वाद और अवस्था में सुधार की आवश्यकता थी और 21 प्रतिशत यात्रीयों ने इसे खराब स्तर का माना था।

खानपान नीति 2010 का खण्ड 20.1.2 निर्धारित करता है कि खानपान सेवाओं को गुणवत्ता, निरीक्षणों और गुणवत्ता जांचों के माध्यम से निगरानी किया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने खानपान सेवाओं में सुस्पष्ट सुधार सुनिश्चित करने के विचार के साथ अधिकारियों के द्वारा चलती गाड़ी में खानपान सेवाओं के परीक्षण के लिए (अक्टूबर 2013 और दिसम्बर 2013) निर्देश किये थे। आईआरसीटीसी और क्षेत्रीय रेलवे के संविदा खानपान ईकाईयो और विभागीय स्तर पर खाद्य गुणवत्ता जांच प्रणाली की जांच की गयी और निम्नलिखित पाया गया ।

5.3.1 मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षको और सहायक स्वास्थ्य निरीक्षको द्वारा की गयी जॉच

खानपान[40] इकाईयों के द्वारा विक्रय किये गये खाद्य प्रदार्थो के गुणवत्ता नियंत्रण की जांच की जानी चाहिए। 2013-14 से 2015-16 के दौरान अचल और चल खानपान ईकाईयों के लिए, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों (सीएचआई) और सहायक

[40]पैरा 1010-ब (सामान्य निर्देश) भारतीय रेलवे चिकित्सा नियामावली (खण्ड-II)

स्वास्थ्य अधिकारियों (एएचओ) जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में भी नामित किये गये हैं, के द्वारा नमूने एकत्र करने में कमियां पायी गयी थी।

क्षेत्रीय रेलवे के सीएचआई और एफएसओ के द्वारा 2013-14 से 2015-16 के दौरान किये गये जॉचों की स्थति की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गयी और पाया किः

- जांच के लिए एकत्र किए जाने के वाले कुल 38489 खाद्य नमूने की अपेक्षा, 41896 खाद्य नमूने एकत्र किए गये थे।
- यद्यपि देय नमूनो की तुलना में कुल एकत्र किये गये नमूने संख्या में अधिक थे, दस क्षेत्रीय रेलवे (उमरे, दमरे, दपूमरे, उरे, पूसीरे, उपरे, पूमरे, दरे, दपूरे और परे) में 11 (दपूरे) से 1233 (उरे) नमूने कम एकत्र किये गये थे। इन दस क्षेत्रीय रेलवे में, नमूने एकत्र करने में कुल 4224 की कमी थी।
- जांच के लिए एकत्र किये गये 41896 खाद्य नमूनो में से, 1353 नमूने परीक्षण के दौरान विफल हो गये थे।
- पांच क्षेत्रीय रेलवे (उरे उपरे, दरे, परे, उपूरे) में जहां नमूने विफल हुए थे उनसे संबंधित संस्थाओं के विरूद्ध की गयी कार्रवाई, अर्थपूर्ण नहीं थी।
- पांच क्षेत्रीय रेलवे में, परीक्षण के दौरान नमूनो में विफल होने पर संस्थाओं के विरूद्ध कार्रवाई की गयी थी। यद्यपि, दो रेलवे (उसीरे और पूमरे) में, परीक्षण के दौरान जहां खाद्य नमूने असफल हुए थे, के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

अनुबंध 8

इस प्रकार, गुणवत्ता जांच के लिए निर्धारित जांच और नियंत्रण प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किये गये थे।

5.3.2 क्षेत्रीय रेलवे और आईआरसीटीसी के वाणिज्य अधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षण

2013-14 से 2015-16 के वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा अचल और चल खानपान इकाईयों के निरीक्षण के दौरान 2337 टिप्पणियां पाई गई जो कि स्वच्छता, परोसे गये भोजन की गुणवत्ता, व्यंजन सूची एवं टैरिफ, खाना पकाना एवं बेस किचन, ई-आहार सेवा और खानपान कार्मिको के द्वारा की गयी सेवाओं के बारे में थीः

तालिका 5.1 – वाणिज्यिक निरीक्षकों के द्वारा किये गये प्रेक्षण

श्रेणी	*विभागीय*	*आईआरसीटीसी*
स्वच्छता	354	33
परोसे गये भोजन की मात्रा	217	8
व्यंजन सूची एवं टैरिफ	376	42

तालिका 5.1 – वाणिज्यिक निरीक्षकों के द्वारा किये गये प्रेक्षण		
श्रेणी	***विभागीय***	***आईआरसीटीसी***
खाना पकाना एवं बेस किचन	318	76
ई-खानपान सेवा	10	0
खानपान कार्मिक सेवा	903	0
कुल	**2178**	**159**

इन टिप्पणियों के आधार पर, संबंधित लाइसेंसधारियों को चेतावनी/सलाह दी गयी थी और आईआरसीटीसी के संबंध में, क्षेत्रीय रेलवे ने इन रिर्पोटो को आगामी कार्रवाई के लिए आईआरसीटीसी को भेजा था।

रेलवे अधिकारियों के द्वारा 10 अक्टूबर 2014 को किये गये निरीक्षण के दौरान, रेल संख्या 12625/26 (केरला एक्सप्रेस-सत्यम कैटरर्स) के लिए खानपान सेवा प्रदान करने वाले केटरर द्वारा परोसे गये भोजन के लिए अधिक प्रभार लेना पाया गया था। रेल संख्या 12621/22 (तमिलनाडु एक्सप्रेस-सत्यम कैटरर्स) के लिए 17 जून 2015 को रेलवे अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थो का अधिक मूल्य, अस्वीकृत पानी की बोतलें, कम गुणवत्ता वाले भोजन का किया जाना, कचरे के अनुचित निस्तारण आदि, पाया गया था। सत्यम कैटरर्स के क्षेत्रीय रेलवे के साथ-साथ आईआरसीटीसी के अचल/चल खानपान इकाईयों के लिए 41 संविदाओं का अधिकार प्राप्त था। इसी प्रकार के तथ्य रेल सं. 12625/26 (केरल एक्सप्रेस- के एम मुसतफा) के लिए आईआरसीटीसी के संबंध में देखे गये थे। कारण बताओ नोटिस जारी किये गये और दंड लगाये गये।

5.3.3 आहार-प्रबंधन इकाईयों के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र

खानपान नीति 2010 में यह उल्लिखित किया गया है कि क्षेत्रीय रेलवे यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए दी जाने वाली आहार-प्रबंधन सेवाओं के लिए उच्च तकनीकी का विकास करना चाहिए और सभी प्रमुख आहार-प्रबंधक इकाईयों के बेस किचन को सम्मिलित करते हुए आईएसओ 22000[41] प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे पुराने नहीं हैं, आईएसओ प्रमाणपत्रो की नियमित जांच की जानी चाहिए। खानपान नीति 2010 के खण्ड 4 के अनुसार सभी प्रमुख खानपान ईकाईयों को आईएसओ 22000 प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 31 मार्च 2016 तक केवल 1.07

[41] आईएसओ 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यकताओ की निर्धारित करता है और प्रमाणित भी करता है। यह रेंखाकित करता है कि किसी संगठन की क्या करने की आवश्यकता है खाद्यसुरक्षा के खतरो को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करे जिससेयह सुनिश्चित हो सके कि भोजन सुरक्षित है।

प्रतिशत क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा प्रबंधित की गयी इकाईयां और 70 प्रतिशत ही आईआरसीटीसी इकाईयां आईएसओ 22000 प्रमाणित थी। 42 आईआरसीटीसी इकाईयों के आईएसओ प्रमाणपत्र अद्यतित नहीं थे।

अनुबंध 9 ए और ब

एसबीडी के पैरा 1.2.6 के अनुसार, लाइसेंसधारी बेस किचन के कार्य करने की तिथि से 6 महीनो के अन्दर और बाद में सम्पूर्ण लाइेसेंस के लिए वैध आईएसओ 22000 प्रमाणपत्र रखेगा और प्राप्त करेगा परे में मामले की फाइलों और समझौता संविदा की समीक्षा से पता चलता है कि 18 में से 17 रसोईयान के लाईसधारियों ने संविदा प्रदान करने की तिथि के 25 से 35 महीनों के बाद भी बेस किचन की स्थापना की शर्त का पालन नहीं किया था। संविदा प्रदान करने के तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद किसी भी ठेकेदार ने अगस्त 2016 तक आईएसओ 22000 प्रमाणपत्रों को न तो प्राप्त किया और न ही प्रस्तुत किया था।

एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान रेलवे बोर्ड ने बताया (फरवरी 2017) कि राजधानी शताब्दी और दुरंतो गाड़ियों में यात्रियों के पास आपूर्ति किये गये भोजन को स्वीकार करने के अलावा दूसरा विकल्प नही है। उन्होने कहा कि वैकल्पिक खानपान सेवाओं के लिए परीक्षण के तौर पर जून 2016 में दो ट्रेनों में 45 दिनों के लिए शुरू किया गया था, जिसमें पांच प्रतिशत यात्रियों ने विकल्प चुना था। वैकल्पिक खानपान को आगे लागू करने का मामला विचाराधीन है। उन्होंने महसूस किया कि यह गुणवत्ता वाली भोजन सामग्रियों की आपूर्ति के लिये ठेकेदारों के कामकाज को सुधारेगा। यात्रियों को खानपान की बुकिंग के लिये ई-केटरिंग या अन्य खानपान सुविधा के लिये विकल्प प्राप्त होगा।

5.4 क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किये गये यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण

खानपान नीति 2010 उल्लिखित करती है कि यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा किया जायेगा। तदनुसार, रेलवे बोर्ड ने (जुलाई 2011) प्रदान की गयी सेवाओं का मूल्यांकन और यात्रा कर रहे यात्रियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्देश दिया था। रेलवे बोर्ड ने राजधानी, शताब्दी और दुरन्तो के यात्रियों से एक महीने मे एक बार और मेल/एक्सप्रेस के यात्रियों से तीन महीनों में एक बार प्रतिक्रिया प्राप्त करने के भी निर्देश दिये थे।

क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा किये गये सर्वेक्षण के दौरान यात्रियों के द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि 37276 यात्रियो में से केवल 44 प्रतिशत ने सेवाओं को उत्कृष्ट और बहुत अच्छा ग्रेड दिया, और 11 प्रतिशत ने सेवाओं को औसत और

खराब ग्रेड दिया था। यद्यपि, जैसा पैरा 5.5 में चर्चा की गयी है, पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्रियों के द्वारा बड़ी संख्या में मुख्यरूप से अधिक प्रभार लेने, खराब गुणवत्ता भोजन, खानपान कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार इत्यादि की शिकायतें दर्ज की गई थी।

यह पाया गया कि पूतरे में अप्रैल 2015 से जून 2015 के दौरान क्षेत्रीय रेलवे द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 17 रेलगाड़ियों में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था और वर्ष 2015-16 में 52 रेलगाड़ियों में से 46 रेलगाडियो के मामले में सर्वेक्षण में कमी थी। पूतरे में, कोई भी नियमित कार्यक्रम का पालन नहीं किया गया था और ऑकस्मिक सर्वेक्षण नहीं किये गये थे।

अनुबंध 10

नई खानपान नीति 2017 के अनुसार, आईआरसीटीसी क्षेत्रीय रेलवे के बजाय बाहरी पक्षकारों (थर्ड पार्टी) लेखापरीक्षा द्वारा यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण का संचालन करेगा।

5.5 शिकायत निवारण प्रणाली

खानपान नीति 2010 के खण्ड 20.5 के अनुसार, खानपान सेंवाओ (अचल और ट्रेनों में चलित सेवाओं) के लिए शिकायत निवारण को सक्रियता प्रदान करने के लिए प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली लाई जानी चाहिए। 1 मार्च 2013 से 30 सितम्बर 2016 की अवधि के लिए भारतीय रेल की खानपान सेवा से संबंधित शिकायतों की स्थिति नीचे दी गयी हैः

तालिका 5.2 – पिछले चार वर्षों के दौरान खानपान सेवाओं के संबंध में द्वारा दर्ज शिकायतें

कारण	*भारतीय रेल में खानपान सेवाओ से संबंधित शिकायतों की वर्षवार संख्या*			
	जनवरी से दिसम्बर 2013	*जनवरी से दिसम्बर 2014*	*जनवरी से दिसम्बर 2015*	*जनवरी से सितम्बर 2016*
अधिक प्रभार लेना	955	1162	2333	1686
गुणवत्ता	2724	2986	1957	1125
मात्रा	524	381	218	106
अनुचित व्यवहार	148	202	181	80
स्वच्छता	113	107	106	93
विविध	1387	1469	1360	994
कुल	**5851**	**6307**	**6155**	**4084**
दंड	1976	2480	3028	1922
चेतावनी	2194	2190	1445	1068
निष्कासन	1	3	2	0

तालिका 5.2 – पिछले चार वर्षों के दौरान खानपान सेवाओं के संबंध में द्वारा दर्ज शिकायतें				
कारण	*भारतीय रेल में खानपान सेवाओ से संबंधित शिकायतों की वर्षवार संख्या*			
	जनवरी से दिसम्बर 2013	*जनवरी से दिसम्बर 2014*	*जनवरी से दिसम्बर 2015*	*जनवरी से सितम्बर 2016*
उपयुक्त सलाह	528	579	777	302
प्रमाणित नहीं	680	405	445	221
रेल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई	58	107	26	17
अन्य (जैसा कि आहरण, सत्यापित नहीं इत्यादि)	414	543	432	554

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि

- इलाहाबाद डिवीजन में 2015-16 की अवधि के लिए शिकयतों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 69 दर्ज शिकायतों में से, 59 शिकायतें अधिक प्रभार लेने के संबंध में थी।
- ग्वालियर स्टेशन पर 9 स्टॉलो और 14 ट्रोलियों के किये गये सयुँक्त निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि उन स्टॉलो और ट्रोलियो के विक्रेताओं के द्वारा, यात्रा कर रहे लोगो को बिल नहीं दिये गये थे। इस प्रकार, उपरोक्त स्टॉलों/ट्रोलियों के मामलें में यात्रा कर रहे यात्रियो से लिये गये कम/अधिक प्रभार गैर-सत्यापित रह गये थे।
- पूरे में, रेलगाडियो के चल इकाईयो में शिकायत पुस्तकों में दर्ज शिकायतों में जिसमे बासी और सड़े हुए भोजन प्रदान करने, आमलेट मे लौह तार पाया जाना आदि जैसे मामले सम्मिलित थे।
- मरे में, इन 572 शिकायतों में से, नौ स्वच्छता के संबंध में दो शिकायतें परोसे गये भोजन की गुणवत्ता के संबंध में, 49 शिकायतें भोजन की गुणवत्ता, स्वाद, अवस्था आदि के संबंध में थी और 512 मामले खानपान कार्मिक सेवा से संबंधित थी।
- उपूरे में, 2015-16 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त 311 शिकायतें सीसीएम/उपूरे कार्यालय को सूचित की गयी थी। इन शिकायतों में से, 70, 22, 20, 32 और 167 शिकायतें क्रमशः स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, भोजन की मात्रा, खाना पकाना और बेस किचन और क्रमशः खानपान कार्मिकों के व्यवहार

से संबंधित थी। उपूरे मे 31 मार्च 2016 तक कोई भी शिकायत निटपान के लिए शेष नहीं थी।

- दपूमरे में, 2015-16 के दौरान, 34 शिकायतें सीएसएमसी (केन्द्रीकृत खानपान सेवाओं के मॉनीटरिंग सेल) के शुल्क मुक्त नंबर के माध्यम से प्राप्त हुई थी, दो शिकायतें अखिल भारतीय सेवा लाइन नंबरो के माध्यम से प्राप्त हुई थी और एक ट्वीटर एकाउन्ट के माध्यम से प्राप्त हुई थी। सभी शिकायतों के संबंध मे आवश्यक कार्रवाई की गयी थी और 31 मार्च 2016 तक कोई शिकायत लम्बित नहीं थी। 37 शिकायतों में से 29 शिकायते अधिक प्रभार लेने से संबंधित थी।
- दपरे में, दपरे के सीसीएम कार्यालय में 2015-16 के दौरान 724 शिकायते सामने लायी गयी थी, 36, 30 435, 13 और 210 शिकायतें क्रमशः स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, भोजन की मात्रा, खाना पकाने और रसोईघर और खानपान कार्मिकों के व्यवहार से संबंधित थीं और केवल एक शिकायत 31 मार्च 2016 तक दपरे में निपटान के लिए लम्बित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि एक शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापित किया गया है, परन्तु इनके समय में शिकायतों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। यह भी देखा गया कि शिकायत का बड़ा हिस्सा अधिक दाम वसूली और गुणवत्ता के मामलों से संबंधित था।

नई खानपान नीति 2017 में कहा गया है कि वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जायेगा।

अध्याय 6: निष्कर्ष और सिफारिशें

6.1 निष्कर्ष

खानपान नीति में बार-बार परिवर्तन और खानपान इकाईयों के प्रबंधन के उत्तरदायित्व को रेलवे से आईआरसीटीसी को हस्तान्तरण और वापस लेने के परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के प्रबंधन में अस्थिरता की अवस्था उत्पन्न हुई है। इन नीति परिवर्तनो के कारण, रेलवे ने बेस किचन, अचल बेस किचन इकाईयों, विशिष्ट बेस किचन इकाईयों (जैसे फूड प्लाजा, फूड कोर्ट और फास्ट फूड इकाईयों), ट्रेन साइड वेडिंग और स्वचालित विक्रय मशीने इत्यादि के संदर्भ में आवश्यक संरचना उपलब्ध कराने और अंतर को पाटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। बारम्बार परिवर्तनों के कारण रेलवे और आईआरसीटीसी के मध्य समन्वय के विषयों और ठेकेदारों के साथ वैधानिक विवाद बढ़े हैं।

नई खानपान नीति 2017 ने एक बार फिर से महत्वपूर्ण खानपान इकाईयों जैसे बेस किचन, सेल किचन, ए-1 एवं ए श्रेणी स्टेशनों पर रिफ्रेशमेंट रूम, ट्रेन साईड वेंडिग एवं जन आहार के प्रबंधन की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को हस्तांतरित की गई है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किये गये मामले जैसे गुणवत्ता, स्वच्छता, यात्रियों को सस्ता भोजन की उपलब्धता आदि पर पर्याप्त ढ़ंग से ध्यान देने की आवश्यकता है।

आईसीएफ में रसोईयानों के निर्माण करते समय रसोईयानों में गैस बर्नर के स्थान पर विद्युत ऊर्जा उपकरणों में क्रमिक परिवर्तन की नीति का पालन नहीं किया गया था। जन शताब्दी कोचों में दूसरी श्रेणी के कोचों में चार सीटों और ए.सी चेयर कार में दो सीटों को कम करके खानपान सुविधाओं को बनाये जाने के बावजूद यात्रियों को गर्म भोजन की आपूर्ति के उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं किया गया था।

सभी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा मास्टर प्लान (ब्लू प्रिंट) के रूप में प्रत्येक स्टेशन के लिए स्टेशनों और रेलगाड़ियों पर खानपान सुविधा की आवश्यकता का व्यापक रूप से आंकलन नहीं किया गया था। क्षेत्रीय रेलवे ने कई लंबी दूरी की गाड़ियों में रसोईयानों के प्रावधान को सुनिश्चित नहीं किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया

कि कुछ गाड़ियों में ट्रेन साइड वेंडिग और/या बेस किचन के माध्यम से वैकल्पिक सेवाएं प्रदान नहीं की गयी थीं। केवल तीन प्रतिशत बेस किचन विभागीय रूप से कार्य कर रहे थे और शेष लाइसेंसधारियो के माध्यम से प्रबंधित थे। बेस किचन रेलवे परिसरों के बाहर बड़ी संख्या में स्थित थे और गुणवत्ता जांच के अधीन नहीं थे। इस प्रकार, गुणवत्ता, स्वच्छता और रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन के लिए मानक सामग्रियों के उपयोग के लिए बेस किचन के माध्यम से चल खानपान इकाईयों द्वारा सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करने का कोई आवश्वासन नहीं था।

नई खानपान नीति 2017 में, बेस किचन के संस्थापन एवं परिचालन की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को दी गई है। यद्यपि, बेस किचन के संस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए एक समय-सीमा सुनिश्चित की गई है एवं क्षेत्रीय रेलवे एवं आईआरसीटीसी की जिम्मेदारी परिभाषित की गई है, परन्तु क्षेत्रीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी का साइट सौंपने के बाद केवल आईआरसीटीसी के भाग पर विलम्ब के लिए जुर्माना निर्धारित किया गया है। अत: नई खानपान नीति 2017 को आगे ले जाने की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से सीमाकिंत करने की आवश्यकता है।

मानक बोली दस्तावेज को अंतिम रूप देने मे विलम्ब हुआ था और रेलवे आईआरसीटीसी से प्रभार लेने के उपरान्त भी खानपान सेवा को आरम्भ नहीं कर सका था। नई खानपान नीति 2017 के अनुसार ए1 एवं ए श्रेणी के स्टेशनों पर कुछ अचल इकाईयों, जैसे रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार, सेल किचन आईआरसीटीसी को 'जहां है, जैसी है' आधार पर सौंपी गई हैं। आईआरसीटीसी एवं संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक को आईआरसीटीसी को प्रत्येक इकाई को सौंपने के संबंध में एक करार करने की आवश्यकता है। इसके लिए रेलवे बोर्ड एक ड्रॉफ्ट मॉडल अनुबंध जारी करेगा, जिसे आईआरसीटीसी को इकाईयों को सौंपने से पूर्व निष्पादित किया जायेगा। आईआरसीटीसी को इकाईयों के सुचारू रूप से सौंपने की व्यवस्था के लिए ड्रॉफ्ट मॉडल अनुबन्ध का सामयिक निर्गम आवश्यक होगा।

क्षेत्रीय रेलवे ने योजना के अनुसार विशिष्ट खानपान इकाईयों की शुरूआत रेल उपयोगकत्ताओ के लिए उपयुक्त खानपान सेवा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, इन स्थानों में विशिष्ट खानपान इकाईयों की सेवाओं को प्रारंभ करने में विलम्ब हुआ था। रेलगाड़ियों पर आनाधिकृत आहार की बिक्री और

फेरीवालों की लगातार मौजूदगी इंगित करती है कि रेलगाड़ियों पर उपलब्ध करायी गई खानपान सेवाएं पर्याप्त नहीं थीं।

जनता भोजन को सभी के लिए सस्ती दर पर गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के साथ आरंभ किया गया था। यह पाया गया कि छः क्षेत्रीय रेलवे में विक्रय किये गये सभी आहारों के प्रति जनता आहारों की हिस्सेदारी में पिछले तीन वर्षों में गिरावट हुई थी। स्टेशनों में जनता आहारों की उपलब्धता भी पर्याप्त नहीं थी। चूंकि नई खानपान नीति ने आईआरसीटीसी को जन आहारों के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व हस्तान्तरित किया है, इसलिए रेलवे को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम मूल्य वाले जन आहार पर्याप्त संख्या में यात्रियों को आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं।

रेलवे ने स्वीकार किया कि खानपान ठेकेदारों को ठेके देने के लिए लाइसेंस शुल्क की दरें उच्च और अव्यवहार्य थीं। क्षेत्रीय रेलवे को लाइसेंस शुल्क के रूप में बहुत बड़े अंश का भुगतान किया गया था और खानपान सेवाओं को प्रदान करने के लिए संविदा मूल्य का एक छोटा उपांत छोड़ा गया। इस उपलब्ध लाभ से यात्रियों की आवश्यकताओं को लाइसेंसधारियो के लिए पूरा करना व्यवहारिक नहीं था और परिणामस्वरूप गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य आदि से समझौता किया जा सकता था। ठेकेदारों को ठेका देने के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा का पालन न करने से रेलवे ने कुछ फर्मों के एकाधिकार को प्रोत्साहित किया। एकाधिकार के कारण यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ।

सही बिलिंग, लेखाकंन और लाइसेंस शुल्क, पानी और बिजली के शुल्क की वसूली और क्षेत्रीय रेलवे में लाइसेंसधारियों द्वारा देय दंड की निगरानी को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षणो में देखा गया था कि रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर रेलवे द्वारा परोसे गये खाद्य पदार्थों के संबंध मे स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित नहीं की गयी थी। स्टेशनों एवं ट्रेनों में खानपान सेवाओं के क्रियान्वयन में अनुचित प्रथाओं का अनुकरण किया जा रहा था। बेची गई खाद्य सामग्री के लिए बिल नहीं दिए गए थे, यात्रियों के लाभ के लिए व्यंजन सूची प्रदर्शित नहीं की

गई थी, खाद्य सामग्री निर्धारित मात्रा से कम परोसी गई थी और पीएडी मदें, रेलवे स्टेशनों पर बाजार से बहुत अधिक उच्चतर मूल्यों पर बेची गई। इन इकाईयों में क्षेत्रीय रेलवे के साथ-साथ आईआरसीटीसी द्वारा विभागीय तौर पर या लाइसेंसी द्वारा प्रबंधित अचल एवं चल इकाईयां शामिल हैं। ये कमियाँ इंगित करती हैं कि ठेकेदार ने यात्रियों को परोसे जाने वाले खाद्य वस्तुओं के संबंध में कीमत से समझौता किया और रेलवे प्रशासन के द्वारा गुणवत्ता मानको से विचलन पर की गयी कार्रवाई प्रभावी नहीं थी। परिणामस्वरूप, ठेकेदारों ने स्टेशनो पर अस्वच्छ और निम्न गुणवत्ता वाले भोजन का विक्रय जारी रखा। जाँच और गुणवत्ता के लिए निर्धारित जाँच और नियंत्रण प्रभावी ढ़ग से प्रयोग नहीं किये गये थे। यद्यपि, शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित की गई है परन्तु वर्षों के बाद भी शिकायतों की संख्या मे कोई कमी नहीं हुई है। यह भी देखा गया था कि शिकायतों का बड़ा हिस्सा अधिक प्रभार लेने और गुणवत्ता मामलों से संबंधित था।

6.2 सिफारिशें

1. ***आईसीएफ को रसोईयानों के निर्माण के दौरान, रसोईयानों में गैस बर्नर से विद्युत ऊर्जा के उपकरण में अंतरण की नीति को ध्यान में रखने के निर्देश दिए जाए।***

2. ***नीति के अनुसार, लम्बी दूरी की ट्रेनों के मामले में रसोईयानों के प्रावधान पर विचार किया जाए।***

3. ***भारतीय रेल, रेलवे खानपान इकाईयों को आईआरसीटीसी को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को सुगम बनाए और यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय रेलवे अपने दायित्वों का वहन करें। भारतीय रेल नई खानपान नीति 2017 को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय रेलवे की जवाबदेहिता स्पष्ट रूप से सीमारेखित करे।***

4. ***आईआरसीटीसी को स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में निम्न लागत जनता खाना प्रदान करने के लिये दायित्वबद्ध किया जाए और यात्रियों के बीच इसे प्रभावी रूप से प्रचारित किया जाए।***

5. *आईआरसीटीसी लाइसेंसधारियों द्वारा खानपान सेवाओं में स्वच्छता, साफ-सफाई और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत निगरानी तंत्र को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।*

6. *रेलवे बोर्ड खानपान संविदाओं में दरों की सुकार्यता के आंकलन हेतु दिशानिर्देश बनाए ताकि सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता न किया जा सके।*

7. *खानपान सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुचित पद्धतियों जैसे कि अधिक दाम वसूलना, निर्धारित मात्रा से कम खाना परोसना, स्टेशनों और ट्रेनों में अप्राधिकृत खाद्य सामग्री बेचना, मूल्य कार्ड का प्रदर्शन न करना और बेचे गए खाने के सामान के लिए रसीद जारी न करने को रोकने के लिये रेलवे द्वारा प्रभावी जांच एवं नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।*

नई दिल्ली **(नन्द किशोर)**
दिनांक: 29 मार्च 2017 **उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 29 मार्च 2017 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट - 1

चयनित स्टेशनो की सूची

क्षेत्रीय रेलवे	चयनित स्टेशनों की संख्या	चयनित स्टेशनों के नाम
मरे	6	मुंबई सीएसटी पुणे भुसावल लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाडी कर्जट
पूतरे	4	भुवनेश्वर कटक टीटलागढ़ विशाखापट्टनम
पूमरे	5	पटना राजेंद्र नगर समस्तीपुर जंक्शन बरौनी जंक्शन शेखपुरा
पूरे	4	हावड़ा आसनसोल भोलपुर कोलकाता
उमरे	3	इलाहाबाद आगरा फोर्ट ग्वालियर (झांसी और मथुरा की एक चुनी इकाई की भी जांच की गयी)
उपूरे	4	गोरखपुर काठगोदाम मंडुआडीह लखनऊ
उसीरे	6	गुवाहाटी सलेमपुर कामख्या जंक्शन नया तिनसुकिया जंक्शन न्यू बोंगईगांव रंगापारा उत्तर जंक्शन

क्षेत्रीय रेलवे	चयनित स्टेशनों की संख्या	चयनित स्टेशनों के नाम
उरे	5	नई दिल्ली पठानकोट लुधियाना हज़रत निजामुद्दीन लखनऊ
उपरे	4	जयपुर जोधपुर आबू रोड मोडरान
दमरे	5	सिकंदराबाद महबूबनगर काजीपेट रेणुगुन्टा नादिकुडी
दपूमरे	5	रायपुर गोंदिया अनुपपुर रायगढ़ बिलासपुर
दपूरे	5	खड़गपुर राउरकेला आद्रा टाटानगर बोकारो स्टील सिटी
दरे	5	चेन्नई सेंट्रल कोयम्बटूर कन्याकुमारी तिरुच्छिरापल्ली एरनाकुलम जंक्शन
दपरे	3	बेंगलुरु बेंगलुरु कैंट गदग
पमरे	4	जबलपुर कटनी गुना दमोह

क्षेत्रीय रेलवे	चयनित स्टेशनों की संख्या	चयनित स्टेशनों के नाम
परे	6	मुंबई सेंट्रल वडोदरा जाम नगर नंदुरबार मुंबई चर्चगेट सोमनाथ
कुल	**74**	

परिशिष्ट 2
चयनित रेलगाड़ियों की सूची

क्षेत्रीय रेलवे	चयनित रेलगाड़ियों की संख्या	चयनित रेलगाड़ियों का नाम
मरे	5	22109 - लोकमान्य तिलक टर्मिनस - निजामुद्दीन एक्सप्रेस 12153 - लोकमान्य तिलक टर्मिनस - हबीबगंज एक्सप्रेस 12293 - लोकमान्य तिलक टर्मिनस - इलाहाबाद एक्सप्रेस 11085 - लोकमान्य तिलक टर्मिनस - मडगाँव एक्सप्रेस 12071 - दादर- औरंगाबाद जनशताब्दी
पूतरे	7	22811 - भुवनेश्वर - नई दिल्ली राजधानी 12815 - पुरी - नई दिल्ली एक्सप्रेस 22847 - विशाखापत्तनम -लोकमान्या तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 17015 - भुवनेश्वर - सिकंदराबाद एक्सप्रेस 12278 - पुरी-हावड़ा शताब्दी 12281 - भुवनेवर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस 18422 - अजमेर पुरी एक्सप्रेस
पूमरे	5	12309 - राजेंद्रनगर - नई दिल्ली राजधानी 12565 - बिहार संपर्कक्रान्ति दरभंगा - नई दिल्ली एक्सप्रेस 12395 - राजेंद्रनगर पटना - अजमेर जियारत एक्सप्रेस 12553 - बरौनी - नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस 13239 - पटना - कोटा एक्सप्रेस
पूरे	5	13141 - सियालदह-हल्दीबारी तीस्ता एक्सप्रेस 12333 - विभूति एक्सप्रेस हावड़ा - इलाहाबाद सिटी 12301 - हावड़ा - नई दिल्ली राजधानी 12260 - नई दिल्ली -सियालदाह दुरंतो एक्सप्रेस 12327 - हावड़ा - देहरादून उपासना एक्सप्रेस
उमरे	4	12195/96 आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस 11124/25 - ग्वालियर - बरौनी मेल 12403/04 - इलाहाबाद-जयपुर एक्सप्रेस 12033/34 - कानपुर - नई दिल्ली शताब्दी
उपूरे	5	12591/92 - गोरखपुर - यशवंतपुर एक्सप्रेस 12541/42 - गोरखपुर - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 12583/84 - लखनऊ - आनंदविहार टर्मिनल डबल डेकर 15018 - गोरखपुर - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 12555 - गोरखपुर - हिसार एक्सप्रेस

उसीरे	5	12041/42 - न्यू जलपाईगुड़ी - हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस 15959 - हावड़ा - डिब्रूगढ़ के कामरूप एक्सप्रेस 15651/52 - गुवाहाटी - जम्मू तवी लोहित एक्सप्रेस 12501/02 - गुवाहाटी - नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्कक्रान्ति एक्सप्रेस 12551/52 - कामाख्या - यशवंतपुर एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस
उरे	5	12434 - निजामुद्दीन - चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस 12472 - कटरा - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 22414 - निजामुद्दीन-मडगांव राजधानी 12047 - नई दिल्ली -फिरोज़पुर शताब्दी 22461 - नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस
उपरे	4	22475 - बीकानेर - कोयम्बटूर एक्सप्रेस 12988 - अजमेर - सियालदाह सुपरफास्ट एक्सप्रेस 14707/8 - बीकानेर - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 12467/68 - जैसलमेर - जयपुर लीलन सुपरफास्ट एक्सप्रेस
दमरे	5	17230 - हैदराबाद - त्रिवेन्द्रम साबरी एक्सप्रेस 12791 - सिकंदराबाद - दानापुर एक्सप्रेस 17206 - काकीनाडा पोर्ट - साईनगर शिरडी एक्सप्रेस 17016 - सिकंदराबाद - भुवनेश्वर एक्सप्रेस 12437 - सिकंदराबाद-निजामुद्दीन राजधानी
दपूमरे	4	18237/38 - बिलासपुर - अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 12070 - गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस 22815 - बिलासपुर - एरनाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12849 - बिलासपुर - पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस
दपूरे	5	12863/64 हावड़ा - यशवंतपुर एक्सप्रेस 12834/33 हावड़ा - अहमदाबाद एक्सप्रेस 12261/62 छात्रपति शिवाजी टर्मिनस - हावड़ा एक्सप्रेस 12857/58 हावड़ा - दीघा एक्सप्रेस 12821/22 हावड़ा - पुरी एक्सप्रेस
दरे	5	12081/82 - त्रिवेन्द्रम - कन्नूर जन शताब्दी 12075/76 - कोझीकोड - त्रिवेन्द्रम जन शताब्दी 12269/70 - चेन्नई सेंट्रल -निजामुद्दीन दुरन्तो 12622/21 - नई दिल्ली - चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस 12243/44 - चेन्नई सेंट्रल - कोयम्बटूर शताब्दी
दपरे	5	12780 - हज़रत निजामुद्दीन - वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस 12628 - यशवंतपुर-हज़रत निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांती 12213 - यशवंतपुर - दिल्ली सराय रोहिल्ला दुरन्तो एक्सप्रेस 2293 - बैंगलुरु- निजामुद्दीन राजधानी 12628 - नई दिल्ली - बैंगलुरु कर्नाटक एक्सप्रेस

पमरे	4	11449/50 जबलपुर - माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 22181 - जबलपुर - निजामुद्दीन एक्सप्रेस 11466 - जबलपुर - सोमनाथ एक्सप्रेस 12193/94 जबलपुर - यशवंतपुर एक्सप्रेस
परे	7	12925/26 - बांद्रा टर्मिनस - अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस 12955/56 - मुंबई सेंट्रल - जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12009/10 - मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद शताब्दी 19019/20 - बांद्रा टर्मिनस - देहरादून एक्सप्रेस 19005/06 - मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद सौराष्ट्र मेल 12951/52 - मुंबई राजधानी एक्सप्रेस 12953/54 - अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस
कुल	**80**	

अनुबंध 1क (पैरा 3.1)

नमूना में चयनित स्टेशनो पर खानपान इकाईयो की उपलब्धता

जोनल रेलवे	स्टेशन का नाम	श्रेणी	हैंडल की गई ट्रेनो की उपलब्ध संख्या	प्लेटफॉर्म की संख्या	फूड प्लाजा	फूडकोर्ट	फास्ट फूड इकाई	रिफ्रेशमेंट रूम	एवीएम	फूड स्टॉल/स्नेकबार्स	जन आहार इकाईयां	सेल किचन	बेस किचन
मरे	मुम्बई सीएसटी (सीएसटीएम)	ए1	108	18	1	0	0	0	0	2	2	0	1
मरे	पुणे (पुणे)	ए	120	6	2	0	0	0	0	2	1	1	0
मरे	भुसावल (बीएसएल)	ए	140	7	1	0	0	0	0	5	1	1	0
मरे	लोक मान्य तिलक टर्मिनल (एलटीटी)	ए	108	5	0	0	0	0	0	5	1	0	0
मरे	वादी (वादी)	बी	34	4	0	0	0	1	0	4	0	0	0
मरे	कर्जात (केजेटी)	सी	44	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0
पूतरे	भुवनेश्वर (बीबीएस)	ए1	219	6	1	0	0	0	8	15	1	0	0
पूतरे	कट्टक (सीटीसी)	ए	181	5	1	0	0	0	3	10	0	0	0
पूतरे	तीत्लागढ़ (टीआईजी)	बी	35	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0
पूतरे	विशाखापट्टनम (वीएसकेपी)	ए	179	8	1	0	0	0	5	26	1	0	0
पूमरे	पटना (पीएनबीई)	ए1	54	10	2	0	0	0	0	5	2	0	0
पूमरे	राजेन्द्र नगर (आरजेजी)	ए	12	4	0	0	0	0	0	8	0	0	1
पूमरे	समस्तीपुर जंक.(एसपीजे)	ए	190	7	0	0	0	1	8	0	0	0	0
पूमरे	बरौनी जंक. (बीजेयू)	ए	102	8	0	0	0	1	7	1	0	0	0
पूमरे	शेकपुरा (एसएचके)	डी	15	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
पूरे	कोलकाता	ए	72	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0
पूरे	हावडा (एचडब्ल्यूएच)	ए1	278	14	2	0	0	1	0	57	2	0	1
पूरे	असनसोल (एएसएन)	ए	156	7	1	0	1	1	0	8	1	0	0
पूरे	बोलपुर (बीएचपी)	बी	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
उमरे	इलाहाबाद (एएलडी)	ए1	420	10	1	0	0	1	0	26	0	0	0
उमरे	आगरा फोर्ट (एएफ)	ए	32	5	1	0	0	1	0	14	0	0	0
उमरे	ग्वालियर (जीडब्ल्यूएल)	ए1	84	5	1	0	0	1	0	23	0	0	0
उपूरे	गोरखपुर (जीकेपी)	ए1	170	10	1	0	0	0	0	11	1	0	0
उपूरे	काठगोदाम (केजीएम)	ए	22	3	1	0	0	1	0	3	0	0	0
उपूरे	लखनऊ जंक. (एलकेओ)	ए1	96	6	0	0	0	1	0	10	0	0	0
उपूरे	मन्डुआडीह (एमयूवी)	डी	56	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0
उसीरे	गुवाहाटी (जीएचवाई)	ए1	62	4	0	0	0	0	0	23	1	0	1
उसीरे	सेलमपुर (एसआरयू)	बी	42	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0
उसीरे	कामख्या (केवायक्यू)	ए	54	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0
उसीरे	तिनसुकिया जंक. (एनटीएसके)	बी	22	2	0	0	1	0	0	12	1	1	0
उसीरे	न्यू बोंगईगांव (एनबीक्यू)	बी	35	3	0	0	0	1	0	20	0	0	0
उसीरे	रंगापारा नॉर्थ जंक. (आरपीएएन)	डी	24	3	0	0	0	1	0	14	0	0	0
उरे	नई दिल्ली (एनडीएलएस)	ए1	353	16	0	0	0	1	0	58	1	0	1
उरे	लखनऊ जंक. (एलकेओ)	ए1	290	9	1	0	1	0	6	23	0	0	0
उरे	पठानकोट (पीटीके)	ए	33	4	0	0	0	1	0	4	0	0	0
उरे	लुधियाना (एलडीएच)	ए1	275	7	0	0	1	1	0	39	1	0	0
उरे	एच निजामुद्दीन (एनजेडएम)	ए1	172	7	1	0	0	0	0	29	0	1	0

अनुबंध 1क (पैरा 3.1)

नमूना में चयनित स्टेशनों पर खानपान इकाईयों की उपलब्धता

जोनल रेलवे	स्टेशन का नाम	श्रेणी	हैडल की गई ट्रेनो की उपलब्ध संख्या	प्लेटफॉर्म की संख्या	फूड प्लाजा	फूडकोर्ट	फास्ट फूड इकाई	रिफ्रेशमेंट रूम	एवीएम	फूड स्टॉल/स्नेकबार्स	जन आहार इकाईयां	सेल किचन	बेस किचन
उपरे	जयपुर (जेपी)	ए1	86	6	1	0	1	1	0	48	1	0	1
उपरे	जोधपुर (जेयू)	ए1	67	5	0	0	1	1	0	32	0	0	0
उपरे	अबू रोड (एबीआर)	ए	42	3	1	0	0	1	0	48	0	0	0
उपरे	मोद्रान (मॉन)	ई	6	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
दमरे	सिकंदरदाद (एससी)	ए1	114	10	1	0	0	0	0	17	2	0	जन आहार हेतु छोटा किचन
दमरे	महबूबनगर (एमबीएनआर)	बी	66	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0
दमरे	काज़पेट (केजेडजे)	ए	124	3	0	0	1	1	0	3	0	0	1
दमरे	रेनिगुन्टा (आरयू)	ए	74	5	0	0	2	0	0	14	0	1	0
दमरे	नादिकुडी (एनडीकेडी)	बी	30	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
दपूमरे	रायपुर (आर)	ए1	56	5	0	0	0	1	0	5	0	0	0
दपूमरे	गोंडिया (जी)	ए	71	5	0	0	1	1	0	5	0	0	0
दपूमरे	अनुपपुर (एपीआर)	बी	41	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
दपूमरे	रायगढ़ (आरआईजी)	ए	69	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0
दपूमरे	बिलासपुर (बीएसपी)	ए1	90	5	0	0	5	1	0	2	0	0	0
दपूरे	खड़गपुर (केजीपी)	ए1	202	9	1	0	0	0	3	51	1	0	0
दपूरे	राउरकेला (आरओयू)	ए	98	5	0	0	0	0	4	14	0	1	0
दपूरे	आंद्रा (एडीआरए)	बी	95	4	0	0	0	1	0	18	0	0	0
दपूरे	बोकारो स्टील सिटी (बीकेएससी)	ए	35	3	1	0	0	1	0	8	0	0	0
दपूरे	टाटा नगर	ए1	130	5	1	0	0	0	8	18	1	0	0
दरे	चेन्नई सेंट्रल (एमएएस)	ए1	304	11	0	0	0	0	3	13	1	0	1-(2 ठेके)
दरे	कोम्बतूर (सीबीई)	ए1	154	7	1	0	0	1	7	15	0	0	0
दरे	कन्याकुमारी (सीएपीई)	ए	18	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0
दरे	तिरुच्चिरापल्ली (टीपीजे)	ए	206	7	1	0	0	0	2	11	0	1	0
दरे	एर्नाकुलम जंक. (ईआरएस)	ए1	170	6	1	0	0	1	0	12	0	0	0
दपरे	केएसआर बेंगलुरु (एसबीसी)	ए1	106	10	1	0	4	0	0	9	3	1	3
दपरे	बेंगलूर कैंट (बीएनसी)	ए	60	2	1	0	1	0	0	4	0	0	0
दपरे	गडाग (जीडीजी)	बी	43	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0
पमरे	जबलपुर (जेबीपी)	ए1	76	4	1	0	0	0	7	3	1	0	0
पमरे	कटनी (केटीई)	ए	88	3	1	0	0	0	4	3	1	0	0
पमरे	गुना (गुना)	बी	28	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
पमरे	दामोह (डीएमओ)	ए	32	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
परे	मुंबई सेंट्रल (बीसीटी)	ए1	23	5	1	1	0	0	0	6	1	0	1
परे	वडोदरा (बीआरसी)	ए1	190	7	1	0	0	1	8	14	1	0	0
परे	जाम नगर (जेएएम)	ए	27	3	1	0	0	1	0	3	0	0	0
परे	नंदुरबार (एनडीबी)	बी	22	3	0	0	0	1	0	13	0	0	0
परे	मुंबई चर्चगेट (सीसीजी)	सी	458	4	1	0	0	0	0	11	0	0	0
परे	सोमनाथ (एसएमएनएच)	डी	14	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
कुल	74												

अनुबंध 1ख (पैरा 3.1)

नमूना में चयनित ट्रेनों पर रसोईयान/टीएसवी सर्विस/बेस किचन सेवाएं

जोनल रेलवे	चयनित ट्रेनों की संख्या	चयनित ट्रेनों का नाम	आरंभ तथा गन्तव्य स्थल के बीच दूरी	संचालन का समय (घंटे)	क्या रसोईयान उपलब्ध है	यदि लागू नही तो क्या टीएसवी उपलब्ध है	ट्रेन साइड वेंडरिंग हेतु नामांकित स्टेशन	यदि टीएसवी नहीं है तो क्या खाना बेस किचन से लिया जाता है	यदि हां तो बेस किचन का नाम	आईआर/आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही बेस किचन
मरे	5	2210 9 - लोकमान्य तिलक टर्मिनस - निजामुद्दीन एक्सप्रेस	1521**	21	हां	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12153 - लोकमान्य तिलक टर्मिनस - हबीबगंज एक्सप्रेस	821**	13	हां	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12293 - लोकमान्य तिलक टर्मिनस - इलाहाबाद एक्सप्रेस	1348**	20	हां	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		11085 - लोकमान्य तिलक टर्मिनस - मडगांव एक्सप्रेस	750*	12	हां	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12071- दादर- औरंगाबाद जनशताब्दी	428*	8	हां	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
पूतरे	7	22811 - भुवनेश्वर - नई दिल्ली राजधानी	1723	23	हां	लागू नही	लागू नही	हां	मै. आरके एसोशिएट एंड होटोलियर्स प्रा. लि. भुवनेश्वर	ठेकेदार द्वारा चलाया गया
		12815 - पुरी - नई दिल्ली एक्सप्रेस	1804	29	हां	लागू नही	लागू नही	नही	लागू नही	लागू नही
		22847 - विशाखापट्नम - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस	1649	28.5	नही	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		17015 - भुवनेश्वर - सिकंदराबाद एक्सप्रेस	1134	23	नही	हां	बीबीएस,केयुआर,बीएएम,पीएसए,सीएच ई,वीजेडएम, वीएसकेपी	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12278 - पुरी - हावड़ा शताब्दी	499	8	हां	लागू नही	लागू नही	हां	बलसोर पर इन के केटर्स	ठेकेदार द्वारा चलाया गया
		12281-भुवनेश्वर-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस	1727	22 घंटा 15 मि	हां	लागू नही	नही	हां	बलसोर पर इन के केटर्स	ठेकेदार द्वारा चलाया गया
		18422-अजमेर - पूरी एक्सप्रेस	2474	49 घंटा 5 मि	हां	लागू नही	नही	नही	लागू नही	लागू नही
पूमरे	5	1230 9 - राजेंद्रनगर - नई दिल्ली राजधानी	1001	18:00	हां	नही	लागू नही	हां	राजेन्द्र नगर	आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित विभाग
		12565 - बिहार संपर्क क्रांति दरभंगा - नई दिल्ली एक्सप्रेस	1174	21	हां	नही	लागू नही	नही	लागू नही	लागू नही
		12395 - राजेंद्रनगर पटना - अजमेर जियारत एक्सप्रेस	1305	20	हां	नही	लागू नही	नही	लागू नही	लागू नही
		12553 - बरौनी - नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस	1187	21.25	हां	नही	लागू नही	नही	लागू नही	लागू नही
		13239 - पटना - कोटा एक्सप्रेस	1222	25	हां	नही	लागू नही	नही	लागू नही	लागू नही
पूरे	5	13141- सियालदह- हल्दीबारी तीस्ता एक्सप्रेस	626	17.5	नही	उ.न.	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12333 - विभूति एक्सप्रेस हावड़ा - इलाहाबाद सिटी	885	16	नही	उ.न.	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12301- हावड़ा - नई दिल्ली राजधानी	1441	17	हां	नही	नही	हां	हावडा	आईआरसीटीसी
		12260 - नई दिल्ली - सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस	1449	17	हां	नही	नही	हां	नई दिल्ली	आईआरसीटीसी
		12327 - हावड़ा -देहरादून उपाना एक्सप्रेस	1608	29	हां	नही	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
उमरे	4	12195/96-आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट इंटरसिटी	375.48	6.75	नही	हां, एनडब्ल्यूआर द्वारा	एनडब्ल्यूआर	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		11123/24-ग्वालियर -बार्नी मेल	1056.18	25.50	नही	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12403/04 इलाहाबाद-जयपुर एक्सप्रेस	781.03	13.25	नही	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12033/34 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी	447.44	5.00	नही	नही	लागू नही	हां	मै. वृन्दावन फूड प्रोडक्ट	जोनल रेलवे
उपूरे	5	12591/92 - गोरखपुर - यशवंतपुर एक्सप्रेस	2525	45.45	हां	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	शून्य
		12541/42 - गोरखपुर - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस	1682	31.10	हां	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	शून्य
		12583/84 - लखनऊ - आनंद विहार टर्मिनल डबल डेकर	480	8.00	हां, आंशिक कैटरिंग	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	शून्य
		15018 - गोरखपुर - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस	1749	36.35	नही	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	शून्य
		12555 - गोरखपुर - हिसार एक्सप्रेस	964	17.25	नही	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	शून्य
उसीरे	5	12041/42 - न्यू जलपाईगुड़ी - हावड़ा, शताब्दी एक्सप्रेस	560	8.05	हां	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		15 9 5 9 - हावड़ा - दिब्रुगढ़, कामरूप एक्सप्रेस	1529	36.20	हां	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		15651/52 - गौवाहाटी - जम्मू तवी, लोहित एक्सप्रेस	2346	47.25	हां	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12501/02 - गुवाहाटी - नई दिल्ली, पोरवोतार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस	1934	30.45	हां	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		12551/52 - कामाख्या - यशवंतपुर, एसी एक्सप्रेस	3033	52.25	हां	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
उरे	5	12434 - निजामुद्दीन - चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस	2175	28	हां	लागू नही	लागू नही	नीचे टिप्पणी 1	लागू नही	लागू नही
		12472 - कटरा - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस	2028	33.00	हां	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		22414 - निजामुद्दीन - मडगांव राजधानी	2094	26	हां	लागू नही	लागू नही	नीचे टिप्पणी 2	एनडीएलएस	आईआरसीटीसी
		12047 - नई दिल्ली - फिरोजपुर शताब्दी	299	4.75	नही	नही	नही	एनडीएलएस	एनडीएलएस आईआरसीटीसी	आईआरसीटीसी
		22461 - नई दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस	655	11	हां	लागू नही	लागू नही	कोई पिक अप प्वाइंट नहीं	लागू नही	लागू नही

अनुबंध 1ख (पैरा 3.1)

नमूना में चयनित ट्रेनों पर रसोईयान/टीएसवी सर्विस/बेस किचन सेवाएं

जोनल रेलवे	चयनित ट्रेनों की संख्या	चयनित ट्रेनों का नाम	आरंभ तथा गन्तव्य स्थल के बीच दरी	संचालन का समय (घंटे)	क्या रसोईयान उपलब्ध है	यदि लागू नहीं तो क्या टीएसवी उपलब्ध है	ट्रेन साइड वेंडरिंग हेतु नामांकित स्टेशन	यदि टीएसवी नहीं है तो क्या खाना बेस किचन से लिया जाता है	यदि हां तो बेस किचन का नाम	आईआर/आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही बेस किचन
उपरे	4	22475 - बीकानेर - कोयम्बटूर एक्सप्रेस	2781	44.50	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		12 9 88 - अजमेर - सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस	1642	27.25	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		14707/8 - बीकानेर - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस	1212	24.25	नहीं	हां	जोधपुर जेएन, लुनी जैन, पाली मारवार, मारवाड़ जने, सोमेसर, रानी, फालना, जावेद बंद, सिरोही रोड और अबू रोड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		12467/68 - जैसलमेर - जयपुर लीयलान सुपरफास्ट एक्सप्रेस	701	12.75	नहीं	हां	फुलेरा जेएन, असलपुर जोबनेर और जयपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दमरे	5	17230 - हैदराबाद - त्रिवेन्द्रम सबरी एक्सप्रेस	1568	31.05	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बेस किचन अभी तक नहीं बनाया गया	उपलब्ध नहीं
		12791 - सिकंदरनाद - दानापुर एक्सप्रेस	1830	32.55	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बेस किचन अभी तक नहीं बनाया गया	उपलब्ध नहीं
		17206 - काकीनाडा पोर्ट - साइनगर शिर्डी एक्सप्रेस	1340	27.15	नहीं	हां	सीओए-बीज़ेडए केज़ेडजे-एससी	उपलब्ध नहीं	आरजेवाई-एससी	लाइसेंसी द्वारा संचालित
		17016 - सिकंदराबाद - भुवनेश्वर एक्सप्रेस	1135	22.5	नहीं	हां	एससी-बीज़ेडए बीज़ेडए-वीएसकेपी	उपलब्ध नहीं	एससी-एसडीकेडी-आरजेवाई	लाइसेंसी द्वारा संचालित
		12437 - सिकंदराबाद - निजामुद्दीन राजधानी	1659	21.4	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	एससी-बीपीक्यू	लाइसेंसी द्वारा संचालित
दपूमरे	4	18237/38 - बिलासपुर - अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस	2011	42	हां	..	..	..	..	..
		12070 - गोंदिया - रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस	411	7	हां	..	..	..	..	..
		22815 - बिलासपुर - एरनाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस	2139	37	नहीं	नहीं	..	नहीं	..	..
		12849 - बिलासपुर - पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस	1300	22	नहीं	नहीं	..	नहीं	..	..
दपूरे	5	12863/64 हावड़ा - यशवंतपुर एक्सप्रेस	1963	34.75	हां	लागू नही	लागू नही	नहीं	लागू नही	लागू नही
		12834/33 हावड़ा - अहमदाबाद एक्सप्रेस	2087	37.50	हां	लागू नही	लागू नही	नहीं	लागू नही	लागू नही
		12261/62 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस - हावड़ा एक्सप्रेस	1968	26.5	हां	लागू नही	लागू नही	हां	हावड़ा	आईआरसीटीसी
		12857/58 हावड़ा - दीघा एक्सप्रेस	186	3.20	हां	लागू नही	लागू नही	हां	हावड़ा	आईआरसीटीसी
		12821/22 हावड़ा - पूरी एक्सप्रेस	502	8.20	हां	लागू नही	लागू नही	नहीं	लागू नही	लागू नही
दरे	5	12081/82 - त्रिवेन्द्रम - कन्नूर जन शताब्दी	503	9.05	हां	लागू नही	लागू नही	हां	-	लाइसेंसी द्वारा संचालित बाहरी बेस किचन
		12075/76 - कोझीकोड - त्रिवेन्द्रम जन शताब्दी	398	7.15	हां	लागू नही	लागू नही	हां	-	लाइसेंसी द्वारा संचालित बाहरी बेस किचन
		1226 9/70 - चेन्नई सेंट्रल - नूज़मुद्दीन दुरंतो	2166	27.55	हां	लागू नही	लागू नही	हां	ब्रेक फास्ट - मैसर्स पी.के.शेफी, किल्कप गार्डन, चेन्नई, लंच-एम / एसपी के। शेफी, बीज़ेए, एपी, डिनर - रेलवे सप्लाई (डिपार्टमेंटल कैटरिंग यूनिट), बीपीक्यू द्वितीय दिन ब्रेक फास्ट - मैसर्स फ्लाट्स होटल, जेएचएस।	लाइसेंसी और रेलवे की विभागीय खानपान इकाई द्वारा संचालित बाहरी बेस किचन
		12622/21 - नई दिल्ली - चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस	2172	32.4	हां	लागू नही	लागू नही	हां	ब्रेक फास्ट - मैसर्स एक्सपोर्ट्स खाद्य, बीपीएल और डिनर - मैसर्स एक्सपोर्ट्स खाद्य, भालार	लाइसेंसी द्वारा संचालित बाहरी बेस किचन
		12243/44 - चेन्नई सेंट्रल - कोयम्बटूर शताब्दी	502	7.00	हां	लागू नही	लागू नही	हां	मैसर्स मुस्तहा (एमएएस-ईडी-सीबीई-ईडी) - (ब्रेक फास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर)	लाइसेंसी द्वारा संचालित बाहरी बेस किचन
दपरे	5	12780 - हज़रत निजामुद्दीन - वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस	2202	39.1	हां	--	--	नहीं	उपलब्ध नहीं	--
		12628 - यशवंतपुर - हज़रत निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति	2610	38.35	हां	--	--	हां	सत्यम कैटरर्स	आईआर
		12213 - यशवंतपुर - दिल्ली सराय रोहिल्ला दुरंतो एक्सप्रेस	2367	31.20	हां	--	--	हां	आईआरसीटीसी बेस किचन	आईआरसीटीसी
		22 9 3 - बैंगलुरु - निजामुद्दीन राजधानी	2294	33.50	हां	--	--	हां	सत्यम कैटरर्स	आईआर
		12628 - नई दिल्ली - बैंगलुरु कर्नाटक एक्सप्रेस	2406	38.5	हां	--	--	हां	आईआरसीटीसी बेस किचन	आईआरसीटीसी
पमरे	4	1144 9/50 जबलपुर - माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस	1582	32.75	हां	नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		22181 - जबलपुर - निजामुद्दीन एक्सप्रेस	904	14.25	नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		11466 - जबलपुर - सोमनाथ एक्सप्रेस	1574	32	नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		12193/94 जबलपुर - यशवंतपुर एक्सप्रेस	1753	30.75	हां	नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

अनबंध 1ख (पैरा 3.1)

नमूना में चयनित ट्रेनो पर रसोईयान/टीएसवी सर्विस/बेस किचन सेवाएं

जोनल रेलवे	चयनित ट्रेनों की संख्या	चयनित ट्रेनों का नाम	आरंभ तथा गन्तव्य स्थल के बीच दरी	संचालन का समय (घंटे)	क्या रसोईयान उपलब्ध है	यदि लागू नहीं तो क्या टीएसवी उपलब्ध है	ट्रेन साइड वैंडरिंग हेतु नामांकित स्टेशन	यदि टीएसवी नहीं है तो क्या खाना बेस किचन से लिया जाता है	यदि हां तो बेस किचन का नाम	आईआर/आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही बेस किचन
परे	7	12 925/26 - बांद्रा टर्मिनस - अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस	1821	31.30	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		12 9 55/56 - मुंबई सेंट्रल - जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस	1159	17.75	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		12009/10 - मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद शताब्दी	491	6.30	ठेकेदार द्वारा प्रबंधित किचन	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		1 901 9/20 - बांद्रा टर्मिनस - देहरादून एक्सप्रेस	1682	41.50	नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		19005/06 - मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद सौराष्ट्र मेल	990	18.00	नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		12 9 51/52 - मुंबई राजधानी एक्सप्रेस	1384	15.35	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	हां	मुंबई सेंट्रल	पश्चिम रेलवे
		12 9 53/54 - अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस	1384	17.15	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	हां	मुंबई सेंट्रल	पश्चिम रेलवे
कुल	80									

अनुबंध 2 (पैरा 3.4 और 3.8)

31 मार्च 2016 तक विभागीय खानपान, ठेकागत खानपान और आईआरसीटीसी के खानपान की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	स्थिर इकाई			मोबाइल यूनिट			लाइसेंसधारियों से विभागीय कार्य के लिए खानपान इकाईयां न लेने/लेने में देरी के संक्षिप्त कारण*	अभ्युक्तियां
	विभाग	ठेका* (क्षे.रे. द्वारा लाइसेंस प्राप्त	आईआरसीटीसी	विभाग	ठेका* (क्षे.रे. द्वारा लाइसेंस प्राप्त	आईआरसीटीसी		
मरे	33	485	23	3	26	7	सभी बेस किचन का प्रबंधन विभागीय रूप से किया जाता है जबकि श्रमबल की कमी के कारण मोबाइल इकाइयों को नहीं लिया गया और बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें ठेके पर दिया गया।	*न्यायिक मामले, श्रमबल संस्वीकृति मामले, श्रमबल भर्ती, अनुदेशों का गैर-अनुपालन खाका का अभाव, भ्रष्टाचार के मुद्दे, स्टॉफ के विचलन के कारण या अन्य मुद्दे हो सकते हैं।
पूतरे	0	226	7	0	26	3	1.विशाखापट्टनम स्टेशन पर केवल विभागीय खानपान द्वारा हानि हुई (2011-12 में 13.51 लाख और 2012-13 में 26.31 लाख)। 2. विभागीय कर्मचारियों की अनुपलब्धता, 3. लाइसेंस शुल्क के माध्यम से एक निश्चित आय (अर्थात् 2015-16 में 17 करोड़)।	*न्यायिक मामले, श्रमबल संस्वीकृति मामले, श्रमबल भर्ती, अनुदेशों का गैर-अनुपालन खाका का अभाव, भ्रष्टाचार के मुद्दे, स्टॉफ के विचलन के कारण या अन्य मुद्दे हो सकते हैं।
पूमरे	9	687	19	0	15	15	जब इकाइयों को आईआरसीटीसी के सुपुर्द किया गया, आईआरसीटी के पुनर्विकास से इकाइयां लेने के पश्चात कर्मचारियों को कहीं और तैयार कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की कमी हो गई सभी डिवीज़नों से विवरण लेने के बाद सूचना प्रदान की जाएगी।	
पूरे	5	1	11	0	12	8		1 जुलाई 2015 से लाइसेंस 12 जोड़ी ट्रेने 8 जोड़ी ट्रेने
पूमरे	0	413	10	0	1	0	इलाहाबाद और झांसी डिवीज़न में योजना के अभाव, निर्देशों के गैरअनुपालन, ब्लू प्रिंट 2010-11 के निर्धारण के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप श्रमबल की अनुपलब्धता	
पूरे	1	642	5	0	9	1	खानपान कर्मचारियों की कमी के कारण	*जलपान ग्रिहों, स्टॉल, ट्रॉली एवं खोमचा आदि सहित सभी ठेका इकाइयां। नोट: समीक्षावधि के दौरान कोई भी विभागीय खानपान व्यवस्था कार्य नहीं कर रही थी।
पूसीरे	9	719	8	0	20	5	(1) एक अतिरिक्त काउंटर के साथ तीन जन आहार काउंटर इकाइयों को लेने हेतु रेल प्रशासन द्वारा पहल न किए जाने के कारण रेलवे को नहीं सौंपे गए। (2) पांच ट्रेनें यथा लोहित एक्सप्रेस, पीएसके एक्स, जनशताब्दी एक्स कामाख्या-एलटीटी एसी एक्स और कामाख्या-यशवन्तपुर एसी एक्स को 2014 से वाणिज्यिक विभाग द्वारा निविदा को अंतिम रूप न देने के कारण अस्थायी अवधि के लिए आईआरसीटीसी को सौंप दिया गया।	
पूरे	7	1439	1	0	40	6	(1) स्टॉफ की कमी और (2) विभागीय इकाइयों द्वारा उठाई जानी वाली हानि से बचना।	
पूपरे	0	699	7	0	12	0	अनुदेशों का गैर-अनुपालन	
दमरे	4	528	28	0	14	2	*न्यायिक मामले, श्रमबल संस्वीकृति मामले, श्रमबल भर्ती, अनुदेशों का गैर-अनुपालन खाका का अभाव, भ्रष्टाचार के मुद्दे, स्टॉफ के विचलन के कारण या अन्य मुद्दे हो सकते हैं।	
दपूमरे	0	285	15	0	5	0	विभागीय रूप से इकाइयों को चलाने के लिए स्टॉफ की आवश्यकता होती है। चूँकि रेलवे के पास पर्याप्त स्टॉफ नहीं है, लाइसेंसीधारी से खानपान इकाइयों का अधिग्रहण नहीं किया गया।	*ठेका खानपान में आईआरसीटीसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त या प्रबंधित शामिल नहीं है।
दपूरे	1	274	0	0	19	6	पर्याप्त प्रशिक्षित स्टॉफ की अनुपलब्धता।	
दरे	3	689	22	1	37	13		
दपरे	10	171	28	0	19	4	स्टॉफ की कमी के कारण	* आईआरसीटीसी द्वारा 2 मोबाइल इकाइयां चलाई जाती हैं।
परे	3	NMA	16	0	18	9	*	
पमरे	0	447	10	0	2	0	स्टॉफ की कमी के कारण	
कुल	***85***	***7705***	***210***	***4***	***275***	***79***		
कुल योग			8000			358		

अनुबंध 3 (पैरा 3.5)

भारतीय रेल में समीक्षावधि के दौरान अपनी सेवायें शुरू नहीं करने वाले फूड प्लाजा/फास्ट फूट इकाईयों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन का नाम	इकाई का प्रकार	लाइसेंसी	एलओए की तिथि	लाइसेंस शुल्क (प्रति वर्ष)	रेलवे शेयर @40%	निर्धारण में विलम्बित महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	एससीयू की शुरूआत में देरी के कारण हानि
1	मरे	सीएसटीएम	एफपी	मैसर्स लाइट बाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	18.01.2016	30,000,000	12000000	2	2000000
2	दपूरे	राउरकेला	एफपी	मैसर्स अरेको केटरिंग	12.06.2012	1,210,000	484000	46	1866089
3	पूमरे	मुजफ्फरपुर	एफपी	मैसर्स गंगा डेयरी लिमिटेड	12.06.2012	387,400	154960	46	597457
4	दपरे	बैंगलोर गार्डन	एफपी/एफआर	मैसर्स हॉलिमाने	10.08.2012	4,014,000	1605600	44	5927340
5	परे	भावनगर	एफपी/एफआर	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	25.07.2012	551,000	220400	45	823439
6	परे	अंकलेश्वर	एफपी/एफआर	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	25.07.2012	551,000	220400	45	823439
7	पमरे	अजमेर	एफपी/एफआर	मैसर्स दीपक एंड कं	27.09.2012	1,718,000	687200	43	2445287
8	उरे	अम्बाला कैंट	एफपी/एफआर	मैसर्स केटीजी होटल एंड रिसॉर्ट्स प्रा. लि.	28.09.2012	1,651,000	660400	43	2348089
9	उरे	फैजाबाद	एफपी/एफआर	मैसर्स दीपक एंड कं	27.09.2012	254,000	101600	43	361527
10	उरे	गाज़ियाबाद	एफपी/एफआर	मैसर्स वृंदावन एंटरप्राइजेज	28.09.2012	751,000	300400	43	1068089
11	उरे	मेरठ कैंट	एफपी/एफआर	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	27.09.2012	211,000	84400	43	300323
12	पूतरे	संबलपुर	एफपी	मैसर्स ब्रांडवन खाद्य उत्पाद	25.10.2012	150,000	60000	42	208833
13	उपूरे	छपरा	एफएफयू/एफआर	मैसर्स एक्सप्रेस खाद्य सेवा	26.11.2012	281,787	112715	41	382291
14	उमरे	बांदा	एफएफयू	मैसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेज	17.12.2012	151,000	60400	40	201333
15	मरे	चालीसगांव	एफएफयू	मैसर्स साई बालाजी फूड कॉरपोरेशन	27.12.2012	459,999	184000	40	608221
16	पूरे	रामपुरहट	एफएफयू/एफआर	मैसर्स आलोक कुमार घोष	27.12.2012	310,615	124246	40	410702
17	उरे	मुजफ्फरनगर	एफपी	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	30.04.2013	350,124	140050	36	414702
18	उसीरे	बोंगाईगांव	एफपी	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	24.04.2015	1,651,000	660400	11	605367
19	पूरे	बर्दवान	एफएफयू/एफआर	मैसर्स एक्सप्रेस खाद्य सेवा	06.05.2013	511,787	204715	35	602771
20	परे	वेरावल	एफएफयू	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	16.05.2013	30,124	12050	35	35145
21	उरे	वाराणसी (पीएफ 8/ 9)	एफएफयू	मैसर्स ए.एस. बिक्री कॉर्प	23.05.2013	2,421,000	968400	35	2805670
22	उमरे	ललितपुर	एफएफयू	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	24.05.2013	51,124	20450	35	59190
23	उरे	मेरठ सिटी	एफएफयू	मैसर्स श्रीनाथ जी केटर्स	24.05.2013	361,000	144400	35	417958
24	उरे	बाराबंकी	एफएफयू	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	24.05.2013	51,124	20450	35	59190

अनुबंध 3 (पैरा 3.5)

भारतीय रेल में समीक्षावधि के दौरान अपनी सेवायें शुरू नहीं करने वाले फूड प्लाजा/फास्ट फूट इकाईयों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन का नाम	इकाई का प्रकार	लाइसेंसी	एलओए की तिथि	लाइसेंस शुल्क (प्रति वर्ष)	रेलवे शेयर @40%	निर्धारण में विलम्बित महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	एससीयू की शुरूआत में देरी के कारण हानि
25	उरे	पटियाला	एफएफयू	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	24.05.2013	51,124	20450	35	59190
26	मरे	माथेरान	एफपी	मैसर्स श्रीनाथ जी केटर्स	28.05.2013	911,000	364400	35	1050687
27	परे	गांधीग्राम	एफपी	मैसर्स एस.एम. निगम	28.05.2013	290,000	116000	35	334467
28	उरे	जौनपुर	एफपी	मैसर्स गोल्डन कैटरर्स	28.06.2013	851,786	340714	34	953054
29	उरे	शाहगंज	एफएफयू	मैसर्स गोल्डन कैटरर्स	28.06.2013	151,786	60714	34	169832
30	दपूमरे	रायगढ़	एफपी	मैसर्स ब्रांडवन खाद्य उत्पाद	17.12.2013	351,000	140400	28	325650
31	उरे	दिल्ली कैंट	एफपी	मैसर्स ब्रांडवन खाद्य उत्पाद	17.12.2013	6,211,000	2484400	28	5762428
32	उसीरे	रंगिया	एफएफयू	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	08.01.2014	75,124	30050	27	67862
33	पूमरे	मोकामा	एफएफयू	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	08.01.2014	100,124	40050	27	90445
34	पूरे	नई फरक्का	एफएफयू	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	08.01.2014	75,124	30050	27	67862
35	पूमरे	बक्सर	एफपी	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	08.01.2014	391,124	156450	27	353315
36	मरे	गुलबर्गा -2	एफपी	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	08.01.2014	295,124	118050	27	266595
37	उपूरे	सिवान -2	एफएफयू	मैसर्स आर.सी. गोयल	03.02.2014	207,000	82800	26	181010
38	परे	जूनागढ़	एफएफयू	मैसर्स मूर्ति देवी	12.02.2014	105,000	42000	26	90767
39	उसीरे	नई अलीपुरद्वार	एफएफयू	मैसर्स आलोक कुमार घोस कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	13.03.2014	108,360	43344	25	90180
40	उसीरे	नया कूचबिहार	एफएफयू	मैसर्स आलोक कुमार घोस कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	13.03.2014	180,360	72144	25	150100
41	उरे	हज़रत निजामुद्दीन	एफएफयू	मैसर्स ब्रांडवन खाद्य उत्पाद	21.03.2014	6,400,000	2560000	25	5269333
42	उरे	वाराणसी (पीएफ 4/5)	एफएफयू	मैटर्स सत्यम केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	02.04.2014	3,100,000	1240000	24	2511000
43	उरे	देवबंद	एफएफयू	मैसर्स मूर्ति देवी	14.11.2014	126,000	50400	17	70420
44	उरे	उन्नाव	एफएफयू	मैसर्स मूर्ति देवी	20.11.2014	103,000	41200	17	56879
45	उरे	अयोध्या	एफएफयू	मैसर्स मूर्ति देवी	20.11.2014	53,000	21200	17	29268
46	उपूरे	भटनी	एफएफयू	मैसर्स मूर्ति देवी	20.11.2014	61,000	24400	17	33686
47	उपूरे	फ़रुखाबाद	एफएफयू	मैसर्स मूर्ति देवी	20.11.2014	101,000	40400	17	55774
48	उपूरे	बादशाहनगर	एफएफयू	मैसर्स मूर्ति देवी	20.11.2014	103,000	41200	17	56879

अनुबंध 3 (पैरा 3.5)

भारतीय रेल में समीक्षावधि के दौरान अपनी सेवायें शुरू नहीं करने वाले फूड प्लाजा/फास्ट फूट इकाईयों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन का नाम	इकाई का प्रकार	लाइसेंसी	एलओए की तिथि	लाइसेंस शुल्क (प्रति वर्ष)	रेलवे शेयर @40%	निर्धारण में विलम्बित महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	एससीयू की शुरूआत में देरी के कारण हानि
49	उपूरे	हल्द्वानी	एफएफयू	मैसर्स मूर्ति देवी	20.11.2014	103,000	41200	17	56879
50	उरे	हरिद्वार	एफपी	मैसर्स नौवीं आयाम होटल एंड रिजॉर्ट्स प्रा. लिमिटेड	10.12.2014	5,130,000	2052000	16	2718900
51	दरे	तांबरम (पूर्व और पश्चिम द्वितीय प्रवेश)	एफपी	मैसर्स जेएस कैटर्स	24.12.2014	35,457,000	14182800	15	18240657
52	दरे	चेन्नई सेंट्रल	एफपी	मैसर्स रत्ना कैफे	06.01.2015	81,000,000	32400000	15	40500000
53	उमरे	मथुरा जेएन	एफपी	मैसर्स रूप कैटरर्स	14.01.2015	6,100,000	2440000	15	2995778
54	उरे	पानीपत	एफएफयू	मैसर्स नौवीं आयाम होटल एंड रिजॉर्ट्स प्रा. लिमिटेड	17.03.2015	729,009	291604	13	307804
55	दपरे	बंगारपेट	एफएफयू	मैसर्स अरेको केटरिंग	19.03.2015	1,910,000	764000	13	802200
56	दमरे	रायचूर	एफपी	मैसर्स श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइजेज (एसपी साई कृष्णा)	19.03.2015	1,124,000	449600	13	472080
57	उपूरे	देवरिया सदर	एफएफयू	मैसर्स श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइजेज (एसपी साई कृष्णा)	19.03.2015	421,211	168484	13	176909
58	उपूरे	हनुमानगढ़	एफपी	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	24.03.2015	473,786	189514	12	196358
59	उपूरे	श्रीगंगानगर -2	एफपी	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	24.03.2015	786,786	314714	12	326079
60	उसीरे	गुवाहाटी	एफपी	मैसर्स तिरुपति एसोसिएट्स	25.03.2015	3,411,000	1364400	12	1409880
61	उपूरे	गोरखपुर-1 (परिचालित क्षेत्र)	एफएफयू	मैसर्स श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइजेज (एसपी साई कृष्णा)	25.03.2015	421,111	168444	12	174059
62	उमरे	मिर्जापुर	एफपी	मैसर्स सतकर केटर्स	26.03.2015	751,000	300400	12	309579
63	पूरे	मधुपुर	एफएफयू	मैसर्स पी.आर. कुमार	26.03.2015	115,551	46220	12	47633
64	उपूरे	सिवान -1	एफएफयू	मैसर्स श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइजेज (एसपी साई कृष्णा)	26.03.2015	421,211	168484	12	173633
65	दपूमरे	रायपुर	एफपी	मेसर्स दीपक एंड क.	27.03.2015	7,677,000	3070800	12	3156100
66	दरे	तिरूप्पुर	एफपी	मेसर्स जे.एस. केटरर्स	24.04.2015	2,557,000	1022800	11	971660
67	उसीरे	कामाख्या	एफपी	मेसर्स तिरूपति एसोसिएट्स	24.04.2015	1,651,000	660400	11	627380
68	दपरे	येशवन्तपुर	एफएफयू	मेसर्स अरेन्को केटरिंग	27.04.2015	2,760,000	1104000	11	1039600
69	दरे	थालारूसी	एफपी	मेसर्स जे.एस. केटरर्स	27.04.2015	1,107,000	442800	11	416970
70	दरे	चेन्नई एगमोर (दूसरी प्रविष्टि)	एफएफयू	मेसर्स जे.एस. केटरर्स	30.04.2015	7,357,000	2942800	11	2746613
71	उपूरे	गोरखपुर-II (पीएफ-I एलकेओ अंत)	एफएफयू	मेसर्स गंगा डायरी लिमिटेड	30.04.2015	716,162	286465	11	267367
72	उपूरे	गोंडा	एफएफयू	मेसर्स श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइसिस (प्रा. चौ. साई कृष्णा)	11.05.2015	511,211	204484	11	184604

अनुबंध 3 (पैरा 3.5)

भारतीय रेल में समीक्षावधि के दौरान अपनी सेवायें शुरू नहीं करने वाले फूड प्लाजा/फास्ट फूट इकाईयों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन का नाम	इकाई का प्रकार	लाइसेंसी	एलओए की तिथि	लाइसेंस शुल्क (प्रति वर्ष)	रेलवे शेयर @40%	निर्धारण में विलम्बित महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	एससीयू की शुरूआत में देरी के कारण हानि
73	उपूरे	गोरखपुर-III (अपूर्वा कॉम्प्लेक्स के पीछे)	एफएफयू	मेसर्स वृंदावन एंटरप्राइसिस	27.05.2015	551,000	220400	10	189177
74	मरे	देवलली	एफएफयू	मेसर्स के. एम. एंड सन्स	26.06.2015	254,999	102000	9	79050
75	मरे	पुणे	एफपी	मेसर्स ट्रेवल फूड सर्विसिज़ प्राइवेट लि.	21.07.2015	15,620,000	6248000	8	4408311
76	पूमरे	मुजफ्फरपुर	एफएफयू	मेसर्स गोल्डन केटरर्स	21.07.2015	1,871,786	748714	8	528260
77	दरे	कुम्बोकोनम	एफएफयू	मेसर्स के. एम. मुस्तफा	12.08.2015	207,000	82800	8	53360
78	दपूमरे	बिलासपुर	एफपी	मेसर्स सत्यम केटरर्स प्रा. लि.	18.08.2015	5,100,000	2040000	8	1280667
79	उरे	कुरूक्षेत्र	एफएफयू	मेसर्स श्री वैंकटेश्वर एंटरप्राइसिस (प्रा. चौ. साई कृष्णा)	01.09.2015	412,211	164884	7	97099
80	उपरे	सिरसा	एफएफयू	मेसर्स मुर्ती देवी	03.09.2015	360,000	144000	7	84000
81	उरे	सुल्तानपुर	एफपी	मेसर्स गोयल एंड गोयल	23.09.2015	500,555	200222	6	105673
82	दरे	सलेम	एफपी	मेसर्स जे. एस. इंडरप्राइसिस	14.10.2015	2,377,000	950800	6	446348
83	उपूरे	लखनऊ ज.-1	एफएफयू	मेसर्स गोयल एंड गोयल	14.10.2015	1,510,008	604003	6	283546
84	दमरे	गिद्दालुरू	एफएफयू	मेसर्स पी. भारत	20.11.2015	111,111	44444	4	16296
85	दमरे	रप्पेल	एफएफयू	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	20.11.2015	108,000	43200	4	15840
86	दमरे	धर्मविरम	एफएफयू	मेसर्स पी. भारत	20.11.2015	425,000	170000	4	62333
87	दमरे	सीताफलमंडी	एफएफयू	मेसर्स डैफोडिल केटरर्स	20.11.2015	211,786	84714	4	31062
88	दपरे	तुमकुर	एफएफयू	मेसर्स के. एम. मुस्तफा	20.01.2016	1,257,000	502800	2	99163
89	दपरे	चिकबनवर	एफएफयू	मेसर्स अयप्पा केटरर्स	20.01.2016	152,786	61114	2	12053
90	दपरे	होसर	एफएफयू	मेसर्स अयप्पा केटरर्स	20.01.2016	275,786	110314	2	21756
									129601851

अनुबंध 4 (पैरा 3.5)

भारतीय रेल में विलंब से अपनी सेवाएं प्रारंभ करने वाले फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाईं को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन का नाम	इकाईं के प्रकार	लाइसेंस	एलओए की तारिख	प्रारंभ होने की तारिख	एलओए से चालू करने में किया गया समय महीने में (मार्च 2016 तक)	लाइसेंस फीस (पीए)	रेलवे का शेयर @40	एससीयू के प्रारंभ में विलंब के कारण
1	मरे	जलगांव	एफपी/ए	मेसर्स वृदांवन फूड प्रोडक्ट्स	28.02.2012	24.4.2013	14	1,201,000	480,400	561801
2	दमरे	गुदुर	एफपी	मेसर्स फाइन केटरर्स एंड सप्लायर्स	19.05.2012	06.02.2015	32	666,666	266,666	713333
3	दमरे	विजयवाड़ा	एफपी	मेसर्स पी. शिव प्रसाद	19.05.2012	11.04.2013	10	13,779,999	5,512,000	4547400
4	दमरे	नालगोड़ा	एफपी	मेसर्स फाइन केटरर्स एंड सप्लायर्स	19.05.2012	25.02.2014	21	96,399	38,560	66087
5	दमरे	निज़ामाबाद	एफपी	मेसर्स फाइन केटरर्स एंड सप्लायर्स	19.05.2012	17.12.2013	21	414,999	166,000	284505
6	दमरे	नंदेप	एफपी	मेसर्स फाइन केटरर्स एंड सप्लायर्स	22.05.2012	27.02.2014	21	459,999	184,000	314844
7	मरे	सोलापुर	एफपी/ए	मेसर्स आर. एंड के. एसोसिएट्स	28.02.2012	11.01.2015	34	251,786	100,714	284798
8	मरे	कोपरगांव	एफपी/ए	मेसर्स सनशाइन केटरर्स प्रा. लि.	28.02.2012	18.06.2012	3	791,000	316,400	71190
9	उसीरे	दीमापुर	एफपी	मेसर्स आलोक कुमार घोष केटरिंग प्रा. लि.	20.06.2012	02.12.2013	17	403,325	161,330	227655
10	पूमरे	लक्कीसराय	एफपी	मेसर्स ड्रीम होटल	12.06.2012	09.04.2013	9	172,501	69,000	51942
11	पूरे	भागलपुर	एफपी	मेसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विसिस	12.06.2012	17.02.2015	32	171,787	68,715	181331
12	पूमरे	पटना	एफपी	मेसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विसिस	12.06.2012	20.03.2013	8	1,511,787	604,715	421621
13	पूमरे	दरभंगा	एफपी	मेसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विसिस	12.06.2012	03.02.2015	31	511,787	204,715	532258
14	पूमरे	रक्सोल	एफपी	मेसर्स गंगा डायरी लिमिटेड	12.06.2012	17.10.2014	28	102,800	41,120	94462
15	पूमरे	हाजीपुर	एफपी	मेसर्स गंगा डायरी लिमिटेड	12.06.2012	12.12.2013	17	261,750	104,700	150652
16	दपरे	बैंगलुरू सिटी (पीएफ 5/6 एंड	एफएफयू/	मेसर्स होटल संधरसिनी	10.08.2012	25.07.2015	35	4,260,000	1,704,000	4965267
17	दरे	चेन्नई सेंट्रल	एफएफयू/	मेसर्स रत्ना कैफे	10.08.2012	20.02.2013	5	8,100,000	3,240,000	1476000
18	दपूमरे	रायगढ़ एचडब्ल्यूएच अंत	एफएफयू	मेसर्स एस. एल. कछ वाहा एंड सन्स	28.9.2011	20.01.2013	7	453,087	181,235	107231
19	दरे	त्रिवेंद्रम	एफपी/ए	मेसर्स साई बाबा फूड एंड बेवरेज (I) प्रा. लि.	10.08.2012	14.03.2013	14	6,336,999	2,534,800	2858691
20	दपरे	बैंगलोर कैंटोन्मेंट	एफएफयू/	मेसर्स साई बाबा फूड कॉ.	10.08.2012	14.07.2013	10	639,999	256,000	219022
21	दपरे	बेलगांव	एफपी/ए	मेसर्स साई बाबा फूड एंड बेवरेज (I) प्रा. लि.	10.08.2012	20.11.2014	27	729,999	292,000	650510
22	पूतरे	बेरहामपुर	एफपी	मेसर्स श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइसिस (प्रौ. चौ. साई	12.06.2012	11.12.2014	23	211,789	84,716	162372
23	दपूरे	बोकारो स्ट्रील सिटी	एफपी	मेसर्स तिरूपति एसोसिएट्स	12.06.2012	06.11.2013	16	151,000	60,400	80869
24	पूरे	आसनसोल	एफपी	मेसर्स तिरूपति एसोसिएट्स	12.06.2012	30.06.2014	24	411,000	164,400	327887
25	पूरे	माल्दा टाउन	एफपी	मेसर्स तिरूपति एसोसिएट्स	12.06.2012	17.05.2013	10	151,000	60,400	51843
26	परे	पालनपुर	एफपी/ए	मेसर्स तिरूपति एसोसिएट्स	25.07.2012	15.06.2015	34	551,000	220,400	627528
27	परे	नगड़ा	एफपी/ए	मेसर्स तिरूपति एसोसिएट्स	25.07.2012	23.08.2013	12	851,000	340,400	344182
28	परे	उज्जैन	एफपी/ए	मेसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विसिज	25.07.2012	04.06.2013	9	1,241,787	496,715	391853
29	परे	मनिनगर	एफपी/ए	मेसर्स एस एम कॉरपोरेशन	25.07.2012	02.05.2014	21	513,126	205,250	351206

अनुबंध 4 (पैरा 3.5)

भारतीय रेल में विलंब से अपनी सेवाएं प्रारंभ करने वाले फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाईं को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन का नाम	इकाईं के प्रकार	लाइसेंस	एलओए की तारिख	प्रारंभ होने की तारिख	एलओए से चालू करने में किया गया समय महीने में (मार्च 2016 तक)	लाइसेंस फीस (पीए)	रेलवे का शेयर @40	एससीयू के प्रारंभ में विलंब के कारण
30	पमरे	आबु रोड़	एफपी/ए	मेसर्स साई बालाजी फूड कॉरपोरेशन	27.09.2012	15.06.2014	20	951,786	380,714	630294
31	उरे	चंडीगढ़	एफपी/ए	मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स	27.09.2012	05.08.2013	9	1,551,000	620,400	485980
32	उपूरे	छपरा	एफपी/ए	मेसर्स तिरूपति एसोसिएट्स	27.09.2012	28.08.2015	35	411,000	164,400	472650
33	उरे	फिरोजपुर कैंट	एफपी/ए	मेसर्स तिरूपति एसोसिएट्स	27.09.2012	29.06.2016	45	400,000	160,000	596000
34	उपूरे	काठगोदाम	एफपी/ए	मेसर्स वृंदावन इटरप्राइजिज	27.09.2012	07.12.2013	14	121,501	48,600	54810
35	दमरे	औरंगाबाद	एफपी/ए	मेसर्स सनसाईनकेटर्स प्रा. लिमि.	20.09.2012	07.11.2013	13	1,411,000	564,400	600459
36	परे	जामनगर	एफपी	मेसर्स बूम केटरिंग	25.10.2012	10.12.2015	37	300,786	120,314	371304
37	उसीरे	किशनगंज	एफपी	मेसर्स कृष्णा इंटरप्राइजिस	26.11.2012	01.06.2016	40	40,000	16,000	53467
38	परे	महसाना	एफपी	मेसर्स व्रंदावन फूड प्रोडक्टस	06.11.2012	19.02.2014	15	311,787	124,715	152429
39	पूमरे	मुगलसराय	एफपी/ए	मेसर्स एक्सप्रैस फूड सर्विसेज	06.11.2012	02.04.2013	4	433,000	173,200	56290
40	पूमरे	सहरसा	एफएफयू/	मेसर्स एक्सप्रैस फूड सर्विसेज	06.11.2012	14.03.2014	15	171,787	68,715	88375
41	उरे	जांघाई	एफएफयू/	मेसर्स एक्सप्रैस फूड सर्विसेज	06.11.2012	31.03.2014	16	81,787	32,715	43620
42	उपूरे	लालकुंआ	एफएफयू/	मेसर्स दीपक एंड कॉ.	31.10.2012	14.01.2015	26	16,200	6,480	13950
43	परे	सुरेन्द्रनगर	एफएफयू	मेसर्स एक्सप्रैस फूड सर्विसेज	26.11.2012	19.02.2014	14	171,787	68,715	80167
44	उरे	प्रतापनगर	एफएफयू/	मेसर्स एक्सप्रैस फूड सर्विसेज	26.11.2012	14.03.2014	15	151,787	60,715	74713
45	पूरे	दुर्गापुर	एफपी/ए	मेसर्स त्रिरूपति एसोसिएट्स	06.12.2012	10.10.2013	9	51,224	20,490	15823
46	पूमरे	नरकटियागंज	एफएफयू/	मेसर्स बी. एम. सिंह	24.12.2012	01.04.2014	14	40,000	16,000	19244
47	पूमरे	बख्तियापुर	एफएफयू/	मेसर्स बी. एम. सिंह	24.12.2012	05.08.2015	31	40,000	16,000	41067
48	पूमरे	कोडरमा	एफएफयू/	मेसर्स बी. एम. सिंह	24.12.2012	14.05.2014	16	71,000	28,400	37551
49	पमरे	कटनी	एफपी	मेसर्स दीपक एंड कॉ.	24.12.2012	18.01.2016	36	1,911,000	764,400	2314433
50	पूमरे	गया	एफपी/ए	मेसर्स एक्सप्रैस फूड सर्विसेज	24.12.2012	13.09.2013	8	1,311,787	524,715	339607
51	दमरे	तूनी	एफएफयू/	मेसर्स साई बालाजी फूड एंड बेवरेजिज़ (I) प्रा. लि.	19.12.2012	05.01.2014	12	459,999	184,000	179911
52	दमरे	तेडेपल्लीगुड्म	एफएफयू/	मेसर्स साई बालाजी फूड एंड बेवरेजिज़ (I) प्रा. लि.	19.12.2012	07.12.2013	11	279,999	112,000	100489
53	दमरे	रेनीगुंटा (स्लीक वेटिंग रूप के	एफएफयू/	मेसर्स बी. अब्बास	19.12.2012	03.06.2013	5	912,500	365,000	137889
54	दमरे	नेकलेस रोड़	एफपी/ए	मेसर्स राधा कृष्णा एसोसिएट्स	19.12.2012	13.03.2015	26	1,260,000	504,000	1097600
55	दमरे	लिंगमपल्ली	एफएफयू/	मेसर्स श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइसिस (प्रौ. चौ. साई	19.12.2012	28.11.2013	10	311,202	124,481	108575
56	दमरे	काजीपट	एफएफयू/	मेसर्स राधा कृष्णा एसोसिएट्स	19.12.2012	03.07.2013	6	630,000	252,000	116200
57	दमरे	विजयवाड़ा	एफएफयू/	मेसर्स श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइसिस (प्रौ. चौ. साई	19.12.2012	12.09.2013	8	7,579,999	3,032,000	1996066
58	दमरे	बेगम पेट (पीएफ-2)	एफएफयू/	मेसर्स श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइसिस (प्रौ. चौ. साई	19.12.2012	27.11.2013	10	411,111	164,444	142975

अनुबंध 4 (पैरा 3.5)

भारतीय रेल में विलंब से अपनी सेवाएं प्रारंभ करने वाले फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाईं को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन का नाम	इकाईं के प्रकार	लाइसेंस	एलओए की तारिख	प्रारंभ होने की तारिख	एलओए से चालू करने में किया गया समय महीने में (मार्च 2016 तक)	लाइसेंस फीस (पीए)	रेलवे का शेयर @40	एससीयू के प्रारंभ में विलंब के कारण
59	दमरे	अनेन्तपुर	एफएफयू/	मेसर्स साई बालाजी फूड एंड बेवरेजिज़ (।) प्रा. लि.	19.12.2012	22.06.2014	17	279,999	112,000	161777
60	दपूमरे	राजनन्द गांव	एफएफयू/	मेसर्स शुभम अवस्थी केटरर्स	27.12.2012	20.02.2014	13	40,000	16,000	17333
61	दपूरे	हाटिया	एफएफयू/	मेसर्स बी. एम. सिंह	27.12.2012	02.06.2014	16	700,100	280,040	382721
62	पूरे	जमालपुर	एफएफयू/	मेसर्स एक्सप्रैस फूड सर्विसेज	27.12.2012	31.03.2014	14	211,787	84,715	100952
63	पूमरे	धनबाद	एफएफयू/	मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स	27.12.2012	23.12.2013	11	313,000	125,200	115114
64	पूरे	आसनसोल	एफएफयू/	मेसर्स ग्राहक फूड एंड होटल प्रा. लि.	27.12.2012	30.03.2014	14	915,000	366,000	435133
65	पूरे	कोलकाता टर्मिनल	एफएफयू/	मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स	03.01.2013	17.05.2013	3	2,100,000	840,000	242667
66	पूतरे	खुर्दा रोड़	एफएफयू/	मेसर्स त्रिरूपति एसोसिएट्स	03.11.2013	11.12.2014	8	911,000	364,400	242933
67	उपूरे	गोरखपुर	एफपी/ए	मेसर्स सनसाईनकेटरर्स प्रा. लिमि.	27.12.2012	14.07.2015	30	2,893,000	1,157,200	2889786
68	पूरे	साहिबगंज	एफएफयू/	मेसर्स अमेजिंग इंडिया कांट्रैक्टर्स (प्रा.) लिमि.	27.12.2012	30.03.2014	14	37,000	14,800	17596
69	पूरे	सुल्तानपुर	एफएफयू/	मेसर्स अमेजिंग इंडिया कांट्रैक्टर्स (प्रा.) लिमि.	27.12.2012	19.02.2014	13	6,000	2,400	2593
70	उसीरे	लुबकिंग	एफएफयू	मेसर्स अलोक कुमार घोष केटरिंग प्रा. लि.	27.12.2012	28.03.2014	14	9,501	3,800	4508
71	पूमरे	मधुबनी	एफएफयू/	मेसर्स गोल्डन केटरर्स	27.12.2012	15.02.2014	13	1,786	714	764
72	परे	मुम्बई सैंट्रल	एफपी	मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स	21.01.2013	11.11.2013	9	6,700,000	2,680,000	1965333
73	परे	अंधेरी	एफएफयू	मेसर्स एक्सप्रैस फूड सर्विसेज	19.03.2013	07.09.2014	17	3,110,787	1,244,315	1752410
74	दपूमरे	बिलासपुर (पीएफ-6/7 एंड 1ए)	एफएफयू/	मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स	01.04.2013	07.07.2013	2	2,200,000	880,000	163778
75	दपूमरे	बिलासपुर (पीएफ-1 और 2/3)	एफएफयू/	मेसर्स साई बालाजी फूड कार्पोरेशन	01.04.2013	13.09.2013	5	4,599,999	1,840,000	690000
76	पमरे	दमोह	एफएफयू/	मेसर्स एक्सप्रैस फूड सर्विसेज	30.04.2013	08.07.2015	26	171,787	68,715	146782
77	दपरे	मैसूर	एफपी	मेसर्स श्री नाथजी केटरर्स	30.04.2013	15.10.2013	5	5,963,000	2,385,200	914327
78	दपरे	देवगिरी	एफपी	मेसर्स श्री नाथजी केटरर्स	30.04.2013	06.12.2013	6	1,051,000	420,400	221878
79	दपरे	कंगरी	एफएफयू	मेसर्स जे. एस. केटरर्स	16.05.2013	16.10.2015	28	1,107,000	442,800	1049190
80	पमरे	पालीमरवर-1 (एमजे की ओर)	एफएफयू/	मेसर्स साई बालाजी फूड कार्पोरेशन	16.05.2013	11.04.2015	22	45,786	18,314	33831
81	पमरे	सैंगोर	एफपी	मेसर्स त्रिरूपति एसोसिएट्स	16.05.2013	25.12.2015	31	351,124	140,450	360097
82	उरे	लखनऊ	एफएफयू	मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स	23.05.2013	25.04.2014	10	2,100,000	840,000	716333
83	पूमरे	बेटिहा	एफएफयू	मेसर्स त्रिरूपति एसोसिएट्स	24.05.2013	29.07.2015	26	30,124	12,050	25639
84	पूमरे	मोतीहारी	एफएफयू	मेसर्स त्रिरूपति एसोसिएट्स	24.05.2013	30.03.2016	34	30,124	12,050	33839
85	उमरे	अलीगढ़	एफपी/ए	मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स	24.05.2013	26.08.2014	14	1,363,000	545,200	649697
86	परे	द्वारका	एफपी	मेसर्स श्री नाथजी केटरर्स	28.05.2013	04.07.2014	12	711,000	284,400	293880
87	उमरे	चित्रकुट	एफएफयू	मेसर्स मुरती देवी	28.05.2013	08.12.2014	18	101,000	40,400	59366

अनुबंध 4 (पैरा 3.5)

भारतीय रेल में विलंब से अपनी सेवाएं प्रारंभ करने वाले फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाईं को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन का नाम	इकाईं के प्रकार	लाइसेंस	एलओए की तारिख	प्रारंभ होने की तारिख	एलओए से चालू करने में किया गया समय महीने में (मार्च 2016 तक)	लाइसेंस फीस (पीए)	रेलवे का शेयर @40	एससीयू के प्रारंभ में विलंब के कारण
88	उमरे	बेबीना	एफएफयू	मेसर्स मुरती देवी	28.05.2013	06.09.2014	15	101,000	40,400	48929
89	पमरे	बिकानेर	एफपी/ए	मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स	03.06.2013	23.05.2014	11	1,863,000	745,200	670680
90	पमरे	जयपुर	एफएफयू/	मेसर्स साई बालाजी फूड कॉरपोरेशन	14.06.2013	01.05.2014	10	333,999	133,600	107993
91	पमरे	जोधपुर	एफएफयू/	मेसर्स श्री नाथजी केटरर्स	14.06.2013	26.11.2014	17	2,063,000	825,200	1146111
92	पमरे	अलवर	एफपी/ए	मेसर्स गोयल एंड गोयल	17.06.2013	05.07.2014	12	401,008	160,403	157284
93	परे	इंदौर-2	एफपी	मेसर्स व्रंदावन फूड प्रोडक्टस	18.06.2013	08.04.2016	33	4,000,000	1,600,000	4422222
94	पूमरे	धनबाद	एफपी/ए	मेसर्स व्रंदावन फूड प्रोडक्टस	18.06.2013	04.07.2014	12	1,863,000	745,200	726570
95	दपरे	बैंगलुरू सिटी	एफएफयू	मेसर्स श्री नाथजी केटरर्स	02.07.2013	30.04.2014	9	4,163,000	1,665,200	1258151
96	दपरे	यशवंत पुर	एफएफयू	मेसर्स सुनील केटरर्स सर्विसेस	15.07.2013	28.01.2016	30	3,651,000	1,460,400	3638830
97	दमरे	चिराला	एफपी	मेसर्स पी. शिव प्रसाद	17.12.2013	03.05.2015	16	414,999	166,000	217644
98	दमरे	खैरातााबाद	एफएफयू	मेसर्स साई बालाजी फूड कॉरपोरेशन	02.01.2014	05.06.2014	4	549,999	220,000	75778
99	मरे	गुलबर्ग	एफपी/ए	मेसर्स फाईन केटरर्स एंड सप्लार्य	28.2.12	22.02.14	24	888888	355555.2	711110
100	मरे	सतारा	एफएफयू	मेसर्स मुरती देवी	12.02.2014	16.10.2014	7	105,000	42,000	25200
101	दमरे	गुंटाकल	एफएफयू	मेसर्स साई बालाजी फूड कार्पोरेशन	05.03.2014	05.11.2014	7	2,799,999	1,120,000	668889
102	उमरे	कानपुर सैंट्रल	एफपी	मेसर्स सत्यम केटरर्स प्रा. लि.	21.03.2014	01.10.2015	18	6,300,000	2,520,000	3703000
103	उमरे	ग्वालियर	एफपी	मेसर्स आर. के. एसोसिएट्स एंड हॉटलायर्स प्रा. लि.	01.04.2014	01.04.2015	11	4,141,000	1,656,400	1541372
104	दपरे	अरसीकेरू	एफपी	मेसर्स ए. के. नजीर मूसा	02.09.2014	07.06.2016	20	2,079,522	831,809	1418696
105	दपरे	हरतन	एफएफयू	मेसर्स हरीबाबू	02.09.2014	31.03.2016	18	1,004,000	401,600	609093
106	दरे	काचुबल्ली	एफएफयू	मेसर्स हरशाद एन.	02.09.2014	18.03.2016	18	345,678	138,271	204718
107	उमरे	आगराकोर्ट	एफपी	मेसर्स सत्कार केटरर्स	05.01.2015	02.04.2016	14	3,200,000	1,280,000	1504000
108	उरे	सीएसटीएम मेन लाइन	पीएफ	मैं. ए एस सेल्स कार्पोरेशन	06.01.2015	09.09.2015	7	20,500,000	8,200,000	4920000
109	दमरे	गूटी	एफएफयू	मैं. श्री वैंकटेश्वर एंटरप्राइजेज (प्रो चौ. साई कृष्णा)	21.02.2015	18.03.2016	12	515,212	206,085	206657
110	उपूरे	लखनऊ जंक्सन-2	पीएफ	मैं. सत्यम केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	25.03.2015	27.04.2016	12	2,351,000	940,400	963910
111	उसीरे	बस्ती	एफएफयू	मैं. कृष्णा एंटरप्राइसिज	26.03.2015	14.10.2015	6	251,000	100,400	47969
112	उसीरे	ओराई	एफएफयू	मैं. मदन पेठा स्टोर	13.04.2015	09.12.2015	7	677,007	270,803	157968
113	पूतरे	विशाखापत्तनम	पीएफ	मैं. ट्रैवल फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	16.04.2015	18.03.2016	5	12,200,000	4,880,000	2033333
114	पूरे	जसीडीह	एफएफयू	मैं. गोल्डन केटरर्स	24.04.2015	25.05.2016	12	1,368,786	547,514	558161
115	दपूमरे	साहडोल (केटीई एंड)	एफएफयू	मैं. सुनील एंटरप्राइसिज़	24.04.2015	16.02.2016	9	551,786	220,714	164310
116	दपूमरे	भाटापारा	एफएफयू	मैं. एस.एल. कच्छवाही एंड संस	24.04.2015	12.10.2015	5	503,000	201,200	78803

अनुबंध 4 (पैरा 3.5)

भारतीय रेल में विलंब से अपनी सेवाएं प्रारंभ करने वाले फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाईं को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशन का नाम	इकाईं के प्रकार	लाइसेंस	एलओए की तारिख	प्रारंभ होने की तारिख	एलओए से चालू करने में किया गया समय महीने में (मार्च 2016 तक)	लाइसेंस फीस (पीए)	रेलवे का शेयर @40	एससीयू के प्रारंभ में विलंब के कारण
117	पूमरे	पटना (जीएफ)	पीएफ	मै. एक्सप्रेस फूड सर्विसेज	21.07.2015	16.02.2016	6	11,315,000	4,526,000	2263000
118	पूरे	हावड़ा	पीएफ	मै. सत्यम केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	18.08.2015	05.12.02015	3	13,600,000	5,440,000	1360000
119	दमरे	रेनिगुनटा मौजूदा ए.एम.	एफएफयू	मै. जे.एस. इंटरप्राइसिज़	23.09.2015	23.03.2016	5	1,827,000	730,800	308560
120	उतरे	जयपुर क्योंझर रोड़	एफएफयू	मै. बून एन. ज़ील एंटरप्राईसिज़	29.09.2015	15.05.2016	6	80,101	32,040	16020
121	उतरे	भद्रक	एफएफयू	मै. होटल राजस्थान	07.10.2015	31.03.2016	5	292,000	116,800	47369
122	परे	अहमदाबाद	पीएफ	मै. रिया फास्ट फूड	18.11.2015	10.03.2016	3	9,198,989	3,679,596	848351
123	दमरे	श्रीकलाहस्ती	एफएफयू	मै. श्री वैंकटेश्वर एंटरप्राइसिज़ (प्रो. चौ. साई	20.11.2015	24.03.2016	3	151,111	60,444	15951
124	दमरे	पकाला	एफएफयू	मै. श्री वैंकटेश्वर एंटरप्राइसिज़ (प्रो. चौ. साई	20.11.2015	24.03.2016	3	151,111	60,444	15951
125	दमरे	मंत्रालयम	एफएफयू	मै. सुनील कुमार अग्रवाल	20.11.2015	11.07.2016	4	1,278,000	511200	170400
126	पूरे	मधुपुर	एफएफयू	मै. पी.आर. कुमार	26.03.2015	01.08.2016	12	115,551	46220	47633

अनुबंध 5 (पैरा 3.8)

2011-12 से 2015-16 तक भारतीय रेल की विभागीय खानपान इकाईयों के समेकित वित्तीय परिणामों को दर्शाता विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	आदि स्टॉक	वर्ष के दौरान खाद्य सामग्री के बनाने के लिए कच्चा माल या सामग्रियां की खरीद और बेचे गये तैयार खाद्य पदार्थ	कच्चे माल और सामग्री का अंत स्टॉक	कच्चे माल और प्रयुक्त सामग्री का मूल्य	मालभाड़ा, प्रचालन प्रभार, कर, शुल्क और कमीशन	उपयोग्य की बेवादी	कच्चे माल की बेवादी	ईंधन की लागत	भत्तों और पीएफ सहित वेतन	अन्य प्रभार	खानपान की कुल लागत	रूपये करोड़ में बिक्री आंकड़े	रूपये करोड़ में संड्री अन्य प्राप्तियां-आंकड़े	कुल प्राप्तियां संड्री अन्य प्राप्तियां-आंकड़े	लाभ (+)/हानि(-)
1	*2*	*3*	*4*	*5=2+3-4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = जोड़ (कॉ. 5 से 11)*	*13*	*14*	*15 = 13+14*	*16 =15-12*
मरे	1.32	49.45	1.68	49.08	0.03	0.10	0.00	3.70	72.12	3.38	128.41	72.36	0.82	73.18	-55.24
पूतरे	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.01	0.46	0.00	0.59	0.19	0.00	0.19	-0.40
पूमरे	0.50	12.56	0.69	12.37	0.95	0.00	0.00	0.77	7.17	0.25	21.51	16.69	0.13	16.82	-4.69
पूरे	1.21	7.23	1.31	7.14	0.00	0.00	0.02	1.12	58.33	0.44	67.04	9.24	0.27	9.52	-57.53
उमरे	2.27	25.55	1.30	26.52	1.81	0.00	0.00	1.29	20.84	0.60	51.06	40.18	0.12	40.30	-10.77
उपूरे	0.32	10.23	0.36	10.18	1.18	0.00	0.00	0.27	5.33	0.03	16.99	14.45	0.60	15.05	-1.93
उसीरे	0.14	3.94	0.25	3.83	0.31	0.00	0.00	0.09	0.86	0.00	5.08	4.64	0.13	4.76	-0.32
उरे	2.91	137.85	3.40	137.35	24.38	1.36	0.00	4.45	106.18	2.64	276.36	175.07	77.83	252.89	-23.47
उपरे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमरे	0.21	6.12	0.13	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	0.02	13.35	9.34	0.00	9.34	-4.01
दपूमरे	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.34	0.01	0.03	0.63	0.32	0.00	0.32	-0.31
दपूरे	0.00	0.42	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	1.44	0.06	0.07	1.62	0.63	0.05	0.68	-0.94
दरे	0.19	11.07	0.24	11.02	0.29	0.09	0.00	0.89	36.53	0.45	49.27	19.86	2.13	21.99	-27.28
दपरे	0.14	10.21	0.18	10.17	0.41	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	16.53	14.26	0.00	14.26	-2.27
परे	2.51	74.59	2.83	74.27	1.28	3.31	0.00	2.24	28.29	0.06	109.46	90.54	0.47	91.01	-18.45
पमरे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आईआर	**11.73**	**349.58**	**12.37**	**348.56**	**30.63**	**4.86**	**0.02**	**16.59**	**349.27**	**7.96**	**757.91**	**467.75**	**82.56**	**550.30**	**-207.62**

अनुबंध 6 (पैरा 3.8)				
2015-16 के दौरान बिक्री				
क्षेत्रीय रेलवे	2015-16 के दौरान कुल की गई खरीद का मूल्य	2015-16 के दौरान कुल बिक्री की राशि	2015-16 के दौरान की गई प्रतिदिन की खरीद के लिए प्रयुक्त बिक्री की राशि का मूल्य	खरीद आदेशों के द्वारा खरीद करने के स्थान पर कच्चे माल की खरीद के लिए बिक्री की राशि की प्रतिशतता
मरे	5286942	10071461	2923234	29.02
पूमरे	34110	40334	34110	84.57
दमरे	5473202	9878802	5473202	55.40
पूरे	18017441	25248309	16603109	65.76
दरे	25941122	38247527	13123763	34.31
उसीरे	10366079	11797207	10366079	87.87
दपूरे	928000	1482000	928000	62.62
उमरे	19912219	26730595	18597721	69.57
उरे	107,797,575	169,640,604	107,797,575	63.54
कुल	**193756690**	**293136839**	**175846793**	59.99

अनबंध 7 (परा 4.1)

भारतीय रेलवे में 124 रेल गाड़ियों के फ्री लाईसेंस दर्शाता विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	रेलगाड़ी सं.	रेलगाड़ी का नाम	लाइसेंस प्राप्त कर्ता का नाम	5 वर्षों के लिए जोरे द्वारा न्यूनतम रिज़र्व मूल्य	3 वर्षों के लिए लाइसेंस फीस	एक वर्ष के लिए बिक्री टर्न ओवर	एक वर्ष हेतु लाइसेंस फीस	एक वर्ष में बिक्री टर्न ओवर से लाइसेंस फीस की प्रतिशतता	पांच वर्षों हेतु रिज़र्व प्राइस और लाइसेंस फीस के बीच अंतर
दपूमरे	12851-52	विलासपुर- चेन्नै सैंट्रल एक्स प्रैस	टीजीबी बैक्वर एंड होटल लिमि./एडीआई	991,525	3,500,786	1,983,055	700,157	35.31	2,509,261
दपूमरे	18237-38	छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस	रूप केटरर्स/एनडीएलएस	18,539,870	55,500,000	37,079,742	11,100,000	29.94	36,960,130
दपूमरे		दुर्ग-जम्मुतवी सुपरफास्ट एक्सप्रैस	दून केटरर्स/एनडीएलएस	3,918,115	7,810,000	7,836,227	1,562,000	19.93	3,891,885
दपूमरे	12823-24	संपर्क क्रांति एक्सप्रैस	टीजीबी बैक्वर एंड होटल लिमि./एडीआई	8,060,080	22,100,786	16,120,156	4,420,157	27.42	14,040,706
दपूमरे	12069-70	जनशताब्दी एक्सप्रैस	एएस सेल्स कार्पो., इटारसी	1,961,545	5,811,000	3,923,088	1,162,200	29.62	3,849,455
दरे	12625-26	केरल एक्सप्रैस	सत्यम केटरर्स	62,500,000	271,700,000	123,582,065	54,340,000	43.97	209,200,000
दरे	12615-16	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस	सत्यम केटरर्स	26,000,000	96,300,000	49,103,815	19,260,000	39.22	70,300,000
दरे	12621-22	तमिलनाडू एक्सप्रैस	सत्यम केटरर्स	50,250,000	147,300,000	100,352,370	29,460,000	29.36	97,050,000
दरे	12677-78	ईर्नाकुलम एक्सप्रैस	मै. एरेको केटरिंग कालीकट	16,000,000	27,600,000	31,672,328	5,520,000	17.43	11,600,000
दरे	12007-08	शताब्दी एक्सप्रैस-चेन्नै सैंट्रल से मैसूरजंक	मै. साती केटरर्स प्रा. लिमि. नई दिल्ली	24,000,000	50,300,000	47,829,951	10,060,000	21.03	26,300,000
दरे	22625-26	चेन्नै-सैंट्रल मांगलपुर एसी डबल डैकर एक्सप्रैस	मै. एरेको केटरिंग कालीकट	12,250,000	27,600,000	22,870,170	5,520,000	24.14	15,350,000
दरे	12663-64	हावड़ा-त्रिरूचिरापल्ली एक्सप्रैस	मै. साती केटरर्स प्रा. लिमि. नई दिल्ली	7,000,000	26,100,000	13,925,184	5,220,000	37.49	19,100,000
दरे	12675-76	चेन्नै सैंट्रल-कायम्बदूर कोवई एक्सप्रैस	मै. एरेको केटरिंग कालीकट	18,500,000	37,100,000	30,272,188	7,420,000	24.51	18,600,000
दरे	12651-52	मदुरै-हजरत निजामुद्दीन-संपर्कक्रांति एक्सप्रैस	एएस सेल्स कार्पो., इटारसी	7,500,000	26,890,000	12,435,072	5,378,000	43.25	19,390,000
दरे	12655-56	अहमदाबाद-चेन्नै सैंट्रल-नवजीवन एक्सप्रैस	मै. साती केटरर्स प्रा. लिमि. नई दिल्ली	26,000,000	101,100,000	36,544,165	20,220,000	55.33	75,100,000
दरे	16733-34	रामेश्वरम-ओखा एक्सप्रैस	मै. एक्सप्रैस फूड सर्विसेज, इटारसी	4,650,000	5,711,787	9,162,296	1,142,358	12.47	1,061,787
दरे	22643-44	इर्नाकुलम-पटना जक. एक्सप्रैस	श्री पी. शिवाप्रसाद, हैदराबाद	8,025,000	40,005,999	16,035,812	8,001,200	49.90	31,980,999
दरे	16687-88	मैंगलोर सैंट्रल-कटरा नवयुग एक्सप्रैस	श्री पी. शिवाप्रसाद, हैदराबाद	7,000,000	14,679,999	11,383,840	2,936,000	25.79	7,679,999
दरे	16339-40	मुंबई सीएसटी - नगरकोइल जं. एक्सप्रेस	श्री पी शिवप्रसाद, हैदराबाद	18,500,000	53,469,999	30,623,840	10,694,000	34.92	34,969,999
दरे	22641-42	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - शालीमार - शालीमार एक्सप्रेस	मैसर्स कूंस केटरर्स न्यू दिल्ली	15,000,000	33,820,000	29,648,736	6,764,000	22.81	18,820,000
दरे	16345-46	लोकमान्य तिलक टर्मिनस - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - नेत्रावती एक्सप्रेस	मैसर्स सथियम कैटेर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	29,000,000	153,500,000	47,780,325	30,700,000	64.25	124,500,000
दरे	12665-66	हावड़ा - कन्याकुमारी एक्सप्रेस	मैसर्स ब्लून्स केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली	7,000,000	16,900,000	11,655,384	3,350,000	28.74	9,900,000
दरे	12617-18	एरनाकुलम - हज़रत निजामुद्दीन - मंगला लद्वीप एक्सप्रेस	मैसर्स सथियम कैटरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	50,500,000	155,300,000	84,049,463	31,060,000	36.95	104,800,000
दरे	12643-44	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हज़रत निजामुद्दीन एक्स्प्रेस	श्री पी शिवप्रसाद, हैदराबाद	4,675,000	11,226,699	7,958,860	2,245,340	28.21	6,551,699
दरे	22645-46	इंदौर जं.- तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - एहिल यनागरी एक्सप्रेस	मैसर्स सथियम कैटरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	5,615,000	8,000,000	11,225,474	1,600,000	14.25	2,385,000
दरे	22647-48	कोबरा से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस	श्री पी शिवप्रसाद, हैदराबाद	7,785,000	20,000,799	15,568,800	4,000,160	25.69	12,215,799
दरे	16311-12	बीकानेर - कोचुवेली एक्सप्रेस	श्री पी शिवप्रसाद, हैदराबाद	6,500,000	9,750,000	12,506,988	1,950,000	15.59	3,250,000
दरे	16333-34	वेरावल - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस	मैसर्स एरिनको कालीकट कैटरिंग	6,700,000	11,600,000	13,381,810	2,320,000	17.34	4,900,000
दरे	12669-70	चेन्नई सेंट्रल - छप्परा जं. -जी के एक्सप्रेस	मैसर्स सिंह केटेरेर्स एंड वेंडर, पटना	9,050,000	22,929,279	17,380,168	4,585,856	26.39	13,879,279

अनुबंध 7 (पैरा 4.1)

भारतीय रेलवे में 124 रेल गाड़ियों के फ्री लाईसेंस दर्शाता विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	रेलगाड़ी सं.	रेलगाड़ी का नाम	लाइसेंस प्राप्त कर्ता का नाम	5 वर्षों के लिए जोरे द्वारा न्यूनतम रिज़र्व मूल्य	3 वर्षों के लिए लाइसेंस फीस	एक वर्ष के लिए बिक्री टर्न ओवर	एक वर्ष हेतु लाइसेंस फीस	एक वर्ष में बिक्री टर्न ओवर से लाइसेंस फीस की प्रतिशतता	पांच वर्षों हेतु रिज़र्व प्राइस और लाइसेंस फीस के बीच अंतर
30	दरे	12679-80	चिन्नई सेंट्रल - कोइंबेटोर जं. - इंटरसिटी एक्सप्रेस	मैसर्स एरिनको कैटरिंग, कालीकर	18,750,000	47,600,000	31,961,955	9,520,000	29.79	28,850,000
31	दरे	12083-84	मइलादुतुरई - कोयंबटूर जन शताब्दी एक्सप्रेस	मैसर्स एरिनको कैटरिंग, कालीकर	6,500,000	11,100,000	9,673,975	2,222,000	22.97	4,600,000
32	दरे	12075-76	कोझिकोड (कालीकट) - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जन शताब्दी एक्सप्रेस	मैसर्स एरिनको कैटरिंग, कालीकर	8,050,000	18,600,000	12,932,315	3,720,000	28.77	10,550,000
33	दरे	12077-78	चेन्नई सेंट्रल - विजयवाड़ा जं. जन शताब्दी एक्सप्रेस	मैसर्स एरिनको कैटरिंग,कालीकर	9,000,000	13,100,000	11,383,008	2,620,000	23.02	4,100,000
34	दरे	12687-88	मुदुराई जंक्शन - देहरादून एक्सप्रेस	मैसर्स दीपक एंड कं. दिल्ली	3,000,000	11,100,000	3,926,988	2,220,000	56.53	8,100,000
35	दरे	16335-36	गांधीधाम जीएन- नागरकोइल जेएन एक्सप्रेस	श्री पी शिवप्रसाद, हैदराबाद	7,000,000	13,500,000	13,952,822	2,700,000	19.35	6,500,000
36	दरे	16331-32	मुंबई सीएसटी - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस	मैसर्स एरिनको कैटरिंग, कालीकर	3,000,000	12,100,000	4,744,272	2,420,000	51.01	9,100,000
37	दरे	16359-60	एरनाकुलम - पटना एक्सप्रेस	मैसर्स दीपक एंड कं. दिल्ली	16,550,000	20,100,000	33,094,100	4,020,000	12.15	3,550,000
38	दरे	12641-42	कन्याकुमारी- हज़रत निजामुद्दीन थिरुक्कल एक्सप्रेस	मैसर्स दीपक एंड कं. दिल्ली	9,050,000	37,656,000	15,531,360	7,531,200	48.49	28,606,000
39	दरे	16649-50	मैंगलोर सेंट्रल-नागरकोइल पासुराम एक्स्प्रेस	मैसर्स एरिनको कैटरिंग, कालीकर	11,150,000	37,100,000	20,353,495	7,420,000	36.46	25,950,000
40	दरे	16337-38	ओखा - एरनाकुलम जं. एक्सप्रेस	मैसर्स एम मुस्तफा, ईरोड	7,000,000	32,700,000	11,636,352	6,540,000	56.20	25,700,000
41	दरे	16381-82	मुंबई सीएसटी - कन्याकुमारी एक्सप्रेस	मैसर्स रूप केटरर्स नई दिल्ली	29,000,000	132,100,000	52,076,740	26,420,000	50.73	103,100,000
42	दरे	16351-52	मुंबई सीएसटी - नगरकोइल जं. - नगरकोइल एक्सप्रेस	मैसर्स सथियम कैटरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	9,000,000	21,300,000	17,987,736	4,260,000	23.68	12,300,000
43	दमरे	17609/10	पटना - पूर्ण एक्सप्रेस	मैसर्स फाइन केटरर्स एंड सप्लायर्स, सिकंदराबाद	2,372,325	2,400,000	4,744,650	480,000	10.12	27,675
44	दमरे	12723/24	हैदराबाद डेकन- नई दिल्ली ए पी एक्सप्रेस	मैटर्स हॉट एंड रियल एसेट (पी) लिमिटेड, वाराणसी	44,825,000	140,194,000	89,650,000	28,038,800	31.28	95,369,000
45	दमरे	12704/03	फलकनुमा एक्सप्रेस	मैटर्स हॉट एंड रियल एसेट (पी) लिमिटेड, वाराणसी	23,391,500	82,900,000	46,783,000	16,580,000	35.44	59,508,500
46	दमरे	12707/08	एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस	मैटर्स हॉट एंड रियल एसेट (पी) लिमिटेड, वाराणसी	36,117,860	60,139,000	72,235,720	12,027,800	16.65	24,021,140
47	दमरे	17230/29	हैदराबाद डेकन - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल साबरि एक्सप्रेस	मैसर्स ब्रंदावन फूड प्रोडक्टस नई दिल्ली	45,292,500	55,300,000	90,585,000	11,060,000	12.21	10,007,500
48	दमरे	12791/92	सिकंदराबाद - पटना एक्सप्रेस	मैसर्स ब्रंदावन फूड प्रोडक्टस	19,219,625	101,300,000	38,439,250	20,260,000	52.71	82,080,375
49	दमरे	12733/34	नारायणनद्री एक्सप्रेस	मै. दून केटरर्स, नई दिल्ली	15,681,895	18,140,000	31,363,790	3,628,000	11.57	2,458,105
50	दमरे	17037/38	सिकंदराबाद-बिकानेर एक्सप्रेस	मै. दून केटरर्स, नई दिल्ली	12,220,800	20,640,000	24,441,600	4,128,000	16.89	8,419,200
51	दमरे	12711/12	पिनाकिनी एक्सप्रेस	मै. दून केटरर्स, नई दिल्ली	11,031,240	31,190,000	22,062,480	6,238,000	28.27	20,158,760
52	दमरे	12713/14	सतावहाना एक्सप्रेस	मै. दून केटरर्स, नई दिल्ली	6,066,450	21,182,000	12,132,900	4,236,400	34.92	15,115,550
53	दमरे	12717/18	रत्नाचल एक्सप्रेस	मै. दून केटरर्स, नई दिल्ली	11,442,990	29,500,000	22,885,980	5,900,000	25.78	18,057,010
54	दमरे	12721/22	दक्षिण एक्सप्रेस	मै. दून केटरर्स, नई दिल्ली	23,377,030	63,873,000	46,754,060	12,774,600	27.32	40,495,970
55	दमरे	12715/16	सचकुंड एक्सप्रेस	मैसर्स सनशाइन केटरर्स, मुंबई	28,182,000	61,700,000	56,364,000	12,340,000	21.89	33,518,000
56	दमरे	17617/18	तपोवन एक्सप्रेस	मैसर्स सनशाइन केटरर्स, मुंबई	3,619,110	16,000,000	7,238,220	3,200,000	44.21	12,380,890
57	दपूरे	12869-70	मुंबई सीएसटी - हावड़ा जं. एक्सप्रेस	मै. एक्सप्रेस फूड सर्विसेस	7,892,500	9,111,787	15,785,000	1,822,357	11.54	1,219,287

अनबंध 7 (पैरा 4.1)

भारतीय रेलवे में 124 रेल गाड़ियों के फ्री लाईसेंस दर्शाता विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	रेलगाड़ी सं.	रेलगाड़ी का नाम	लाइसेंस प्राप्त कर्ता का नाम	5 वर्षों के लिए जोरे द्वारा न्यूनतम रिज़र्व मूल्य	3 वर्षों के लिए लाइसेंस फीस	एक वर्ष के लिए बिक्री टर्न ओवर	एक वर्ष हेतु लाइसेंस फीस	एक वर्ष में बिक्री टर्न ओवर से लाइसेंस फीस की प्रतिशतता	पांच वर्षों हेतु रिज़र्व प्राइस और लाइसेंस फीस के बीच अंतर
58	दपूरे	12021-22	हावड़ा - बारबिल जनशताब्दी एक्सप्रेस	मैसर्स फूड वर्ल्ड	6,130,000	12,740,000	12,260,000	2,548,000	20.78	6,610,000
59	दपूरे	12863-64	हावड़ा - यसवंतपुर एक्सप्रेस	मैसर्स ए एस सेल्स कार्पोरेशन	49,320,415	131,400,000	98,640,830	26,280,000	26.64	82,079,585
60	दपूरे	12839-40	चेन्नई सेंट्रल - हावड़ा एक्सप्रेस	मैटर्स सत्यम केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	20,000,000	81,300,000	40,000,000	16,260,000	40.65	61,300,000
61	दपूरे	18101-02 &	राउरकेला से जम्मू तवी मुरी एक्सप्रेस	मैटर्स सत्यम केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	24,067,500	83,300,000	48,135,000	16,660,000	34.61	59,232,500
62	दपूरे	12811-12	हटिया - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस	मैसर्स ग्रैहम फूड एंड होटल प्रा.लि	4,950,595	15,100,951	9,901,190	3,020,190	30.50	10,150,356
63	दपूरे	12871-72	हावड़ा - टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस	मैसर्स जेके घोष	9,875,250	25,250,155	19,750,500	5,050,031	25.57	15,374,905
64	दपूरे	12810-09	हावड़ा - मुंबई सीएसटी एक्सप्रेस	मैसर्स ए एस सेल्स कार्पोरेशन	61,050,000	102,200,000	122,100,000	20,440,000	16.74	41,150,000
65	दपूरे	12835-36	हटिया - यसवंतपुर एक्सप्रेस	मैसर्स ग्रैहम फूड एंड होट्स प्राइवेट लिमिटेड	6,266,440	45,500,000	12,532,880	9,100,000	72.61	39,233,560
66	दपूरे	12867-68	हावड़ा-पुडुचेरी एक्सप्रेस	मैसर्स गोल्डन कैटरर्स	6,585,000	15,188,786	13,170,000	3,037,757	23.07	8,603,786
67	दपूरे	12817-18 &	हतिया - आनंद विहार टर्मिनल झारखंड स्वर्णजयंती एक्सप्रेस	मैसर्स रूप कैटरर्स	24,842,355	51,300,000	49,684,710	10,260,000	20.65	26,457,645
68	दपूरे	12841-42	हावड़ा - चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस	मैसर्स अरेको केटरिंग	77,550,000	142,100,000	155,100,000	28,420,000	18.32	64,550,000
69	उसीरे	15653/1565	अमरनाथ एक्सप्रेस	आलोक कुमार घोष कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	2,678,800.00	24,109,200.00	5357600	4,821,840.00	90.00	21,430,400
70	उसीरे	12507/1250	गुवाहाटी-एर्नाकुलम एक्सप्रेस	रूपा केटरर्स (क्लस्टर ट्रेन)	39,778,025.00	155,200,000.00	79556050	31,040,000.00	39.02	115,421,975
71	उसीरे	12509/1251	गुवाहाटी - बैंगलुरू एक्सप्रेस	रूपा केटरर्स (क्लस्टर ट्रेन)						
72	उसीरे	12515/1251	गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम सेन्ट्रल एक्सप्रेस	रूपा केटरर्स (क्लस्टर ट्रेन)						
73	उसीरे	15629/1563	गुवाहाटी चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस	रूपा केटरर्स (क्लस्टर ट्रेन)						
74	उसीरे	15631/1563	गुवाहाटी बारमार एक्सप्रेस	दीपक एंड कंपनी	5,637,840.00	27,100,000.00	11,275,680.00	5,420,000.00	48.07	21,462,160
75	उसीरे	12513/1251	गुवहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस	आलोक कुमार घोष कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	6,303,865.00	25,200,000.00	12607730	5,040,000.00	39.98	18,896,135
76	उसीरे	15933/1593	डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस	आलोक कुमार घोष कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	5,021,610.00	20,320,625.00	10043220	4,064,125.00	40.47	15,299,015
77	उसीरे	15959/1596	कामरूप एक्सप्रेस	ए.एस. सेल्स कॉर्पोरेशन	18,677,598.00	115,200,000.00	37,355,195.00	23,040,000.00	61.68	96,522,402
78	उसीरे	12505/1250	नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस	ग्रिहम फूड एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड	45,282,630.00	216,262,951.00	90565260	43,252,590.00	47.76	170,980,321
79	उसीरे	15929/1593	डिब्रूगढ़ चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस	आलोक कुमार घोष कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	6,926,010.00	34,600,000.00	13852020	6,920,000.00	49.96	27,673,990
80	उसीरे	15901/1590	डिब्रूगढ़ यशवंतपुर एक्सप्रेस	आलोक कुमार घोष कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	8,787,575.00	42,050,000.00	17575150	8,410,000.00	47.85	33,262,425
81	उसीरे	15667/1566	कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस	दीपक एंड कंपनी	6,950,975.00	13,250,000.00	13901950	2,650,000.00	19.06	6,299,025
82	उसीरे	15635/1563	गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस	दीपक एंड कंपनी	7,083,110.00	13,250,000.00	14166220	2,650,000.00	18.71	6,166,890
83	उसीरे	15483/1548	महानंदा एक्सप्रेस	रूप कैटरर्स	24,713,300.00	33,625,000.00	49426600	6,725,000.00	13.61	8,911,700
84	उसीरे	15647/1564	गुवाहाटी लोकमान्य टर्मिनस एक्सप्रेस	ग्रिहम फूड एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड	6,895,745.00	29,100,951.00	13791490	5,820,190.00	42.20	22,205,206
85	उसीरे	15905/1590	विवेक एक्सप्रेस	रूप कैटरर्स	8,338,860.00	40,300,000.00	16677720	8,060,000.00	48.33	31,961,140
86	उसीरे	15909/1591	अवध असम एक्सप्रेस	एक्सप्रेस फूड सर्विसेज	27,157,000.00	124,100,007.00	54314000	24,820,002.00	45.70	96,943,007
87	उसीरे	12041/1204	हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड	22,383,448.00	26,300,000.00	44,766,898.00	5,260,000.00	11.75	3,916,552
88	उसीरे	15645/1564	गुवाहाटी लोकमान्य टर्मिनस एक्सप्रेस	ग्रिहम फूड एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड	16,222,170.00	32,860,400.00	32,444,336.00	6,572,080.00	20.26	16,638,230
89	पूरे	12321-22	हावड़ा-छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्रा.लि.	18689790	93700000	37379580	18740000	50.13	75,010,210
90	पूरे	12367-68	विक्रमशिला एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्रा.लि.	13588355	66700000	27176710	13340000	49.09	53,111,645
91	पूरे	12381-	पूर्वा एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्रा.लि.	25199860	112700000	50399720	22540000	44.72	87,500,140

अनुबंध 7 (पैरा 4.1)

भारतीय रेलवे में 124 रेल गाड़ियों के फ्री लाईसेंस दर्शाता विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	रेलगाड़ी सं.	रेलगाड़ी का नाम	लाइसेंस प्राप्त कर्ता का नाम	5 वर्षों के लिए जोरे द्वारा न्यूनतम रिज़र्व मूल्य	3 वर्षों के लिए लाइसेंस फीस	एक वर्ष के लिए बिक्री टर्न ओवर	एक वर्ष हेतु लाइसेंस फीस	एक वर्ष में बिक्री टर्न ओवर से लाइसेंस फीस की प्रतिशतता	पांच वर्षों हेतु रिज़र्व प्राइस और लाइसेंस फीस के बीच अंतर
92	पूरे	12307-08	हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्रा.लि.	16833235	91700000	33666470	18340000	54.48	74,866,765
93	पूरे	13005-06	हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्रा.लि.	24514450	73700000	49028900	14740000	30.06	49,185,550
94	पूरे	12345-	सरायघाट एक्स्प्रेस / हिमगिरी एक्स्प्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्रा.लि.	21614875	78700000	43229750	15740000	36.41	57,085,125
95	पूरे	12313-14	सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्रा.लि.	91076625	101700000	182153250	20340000	11.17	10,623,375
96	पूरे	12019-20	हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्रा.लि.	33058280	38700000	66116560	7740000	11.71	5,641,720
97	पूरे	13151-52	कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस	मैसर्स सनशाइन केटरर प्राइवेट लिमिटेड	14743715	41321000	29487430	8264200	28.03	26,577,285
98	पूरे	12329-	संपर्क क्रांति एक्सप्रेस / जलियावाला बाग एक्सप्रेस	मैसर्स सनशाइन केटरर प्राइवेट लिमिटेड	5,925,850.00	15991000	11851700	3,198,200	26.99	10,065,150
99	पमरे	11449-50	जबलपुर जम्मूतवी एक्सप्रेस	मैसर्स ए.एस सेल्स कार्पोरेशन, इटारसी	6612710	8151000	13225420	1,630,200	12.33	1,538,290
100	पमरे	12193-94	जबलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस	मैसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विसेज, इटारसी	11733750	18300007	23467500	3,660,001	15.60	6,566,257
101	पूतरे	22811/12	भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एवं होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड	179804000	191700000	359607933	38340000	10.66	11,896,000
102	पूतरे	22823/24	भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एवं होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड						0
103	पूतरे	18463/64	प्रशांति एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एवं होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड	28230500	91100000	31207500	18220000	42.31	62,869,500
104	पूतरे	12819/20	भुवनेश्वर नई दिल्ली संपर्क क्रांति	आर.के. एसोसिएट्स एवं होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड			11856000			0
105	पूतरे	18496/95	बीबीएस रामेश्वरम एक्सप्रेस	सनशाइन केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	11302000	15300000	5733000	3060000	27.53	3,998,000
106	पूतरे	12897/98	भुवनेश्वर पांडिचेरी एक्सप्रेस	सनशाइन केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड			5382000			0
107	पूतरे	12829/30	भुवनेश्वर चेन्नई एक्सप्रेस	मैसर्स पी.के. शेफ़ी	7169000	15600000	4524000	3120000	30.77	8,431,000
108	पूतरे	12845/46	भुवनेश्वर यशवंतपुर एक्सप्रेस	मैसर्स पी.के. शेफ़ी			5616000			0
109	पूतरे	12073/74	हावड़ा भुवनेश्वर जनशताब्दी एक्सप्रेस	हमकीचंद डी एंड सन्स	3542500	9700000	3286500	1940000	59.03	6,157,500
110	पूतरे	22805/06	भुवनेश्वर नई दिल्ली एक्सप्रेस	दीपक एंड कंपनी	18000000	18000500	36000000	3600100	10.00	500
111	पूतरे	18401/02	पुरी ओखा एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड	36376000	60300000	35392500	12060000	34.08	23,924,000
112	पूतरे	12843/44	पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एवं होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड						0
113	पूतरे	18405/06	पुरी अहमदाबाद वाया संभलपुर एक्सप्रेस	सनशाइन केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	7777000	11331000	5089500	2266200	44.53	3,554,000
114	पूतरे	12815/16	पुरी नई दिल्ली नंदकानन एक्सप्रेस	अंबुज होटल एंड रियल एस्टेट (प्रा.) लिमिटेड	40089500	71451000	46644000	14290200	30.64	31,361,500
115	पूतरे	12875/76	पुरी नई दिल्ली नीलाचल एक्सप्रेस	अंबुज होटल एंड रियल एस्टेट (प्रा.) लिमिटेड						0
116	पूतरे	18477/78	कलिंग उत्कल एक्सप्रेस	रूप कैटरर्स	17456125	75100000	28743750	15020000	52.25	57,643,875
117	पूतरे	18473/74	पुरी जोधपुर एक्सप्रेस	हमकीचंद डी एंड सन्स	4999500	5500000	6786000	1100000	16.21	500,500
118	पूतरे	22866/65	पुरी लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस	एक्सप्रेस फूड सर्विसेज़	4752000	7111787	6474000	1422357	21.97	2,359,787
119	पूतरे	18407/08	पुरी साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस	पूर्वांचल केटरर्स	16810000	17563261	4769596	3512652	73.65	753,261
120	पूतरे	12807/08	समता एक्सप्रेस	सनशाइन केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	31874500	64175000	36660000	12835000	25.01	32,300,500
121	पूतरे	12803/04	स्वर्णजयंती एक्स्प्रेस	सनशाइन केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड			14664000			0
122	पूतरे	18507/08	हीराकुंड एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एवं होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड	26147000	31739865	20358000	6347973	24.55	5,592,865
123	पूतरे	18509/10	विशाखापट्टनम नांदेड़ एक्सप्रेस	आर.के. एसोसिएट्स एवं होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड			5499000			0
124	पूतरे	18309/10	नागावली एक्सप्रेस	श्री वैंकटेश्वर इंटरप्राइजेज	3802500	7184174	4092000	1436835	35.11	3,381,674

अनुबंध 8 (पैरा 5.3.1)

क्षेत्रीय रेलवे के मुख्य स्वास्थ निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किये गये खाद्य नमूनों की जांच विवरण

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	रेलवे/वर्ष	सीएचआई ओर एफएसओ द्वारा एकत्र किये जाने वाले शेष खाद्य नमूनों		वास्तव में एकत्र किये खाद्य नमूनों की संख्या		एकत्र किये गये खाद्य नमूनों की संख्या में कमी		खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांच में असफल हुये खाद्य नमूने		मामलों की संख्या जिन पर संबंधित एजेंसी* के प्रति कार्यवाही की गई		टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उमरे	2013-14	181	12	114	6	67	6	2	1	जुर्माना लगाया गया (रूपये 15000)	जुर्माना लगाया गया (रूपये 1000)	
उमरे	2014-15	170	12	129	6	41	6	2	0	एक मामले में जुर्माना लगया गया (रूपये 1000) आौर दूसरे मामले में चेतावनी दी गई	शून्य	
उमरे	2015-16	242	12	142	11	100	1	3	1	एक मामले में जुर्माना लगाया गया (रूपये 25000) और दूसरा मामला कोर्ट में है। एक मामले में कार्रवाई नहीं की गई	मामला कोर्ट में है	
दपरे	2013-14	536	108	536	108	0	0	0	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
दपरे	2014-15	536	108	536	108	0	0	0	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
दपरे	2015-16	536	108	536	108	0	0	0	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
पमरे	2013-14	130		248		0	0	0		शून्य		
पमरे	2014-15	172		294		0	0	0		शून्य		
पमरे	2015-16	144		292		0	0	1		एक मामले में रूपये 2500 का जुर्माना लगाया गया था और वसूली की गई थी		
दमरे	2013-14	972	40	910	95	62	0	25	13	25	13	
दमरे	2014-15	1354	398	1471	206	0	192	29	5	29	5	
दमरे	2015-16	1541	428	1653	239	0	189	67	9	67	9	
दपूमरे	2013-14	288	48	36	0	252	48	5	उपलब्ध नहीं	5	उपलब्ध नहीं	
दपूमरे	2014-15	288	48	349	0	0	48	17	उपलब्ध नहीं	17	उपलब्ध नहीं	
दपूमरे	2015-16	288	48	327	0	0	48	27	उपलब्ध नहीं	26	उपलब्ध नहीं	
उरे	2013-14	588	48	176	31	412	17	3	3	0	0	

अनुबंध 8 (पैरा 5.3.1)

क्षेत्रीय रेलवे के मुख्य स्वास्थ निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किये गये खाद्य नमूनों की जांच विवरण

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	रेलवे/वर्ष	सीएचआई और एफएसओ द्वारा एकत्र किये जाने वाले शेष खाद्य नमूनों		वास्तव में एकत्र किये खाद्य नमूनों की संख्या		एकत्र किये गये खाद्य नमूनों की संख्या में कमी		खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांच में असफल हुये खाद्य नमूने		मामलों की संख्या जिन पर संबंधित एजेंसी* के प्रति कार्यवाही की गई		टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उरे	2014-15	580	48	199	37	381	11	3	4	2 मामले - रूपये 40000 का जुर्माना लगाया गया	0	
उरे	2015-16	588	48	183	41	405	7	3	7	1 मामले में रूपये 10000 का जुर्माना लगाया गया था	0	
पूतरे	2013-14		504	632	87	0	0	0	0	0	0	
पूतरे	2014-15		504	850	188	0	0	15	0	15	0	
पूतरे	2015-16		504	877	152	0	0	5	0	5	0	
उसीरे	2013-14		312		85		227		3	-	-	
उसीरे	2014-15		312		83		229		5	-	-	
उसीरे	2015-16		312		64		248		6	-	-	
उपूरे	2013-14	912	60	881	53	31	7	37	63	6	0	
उपूरे	2014-15	936	72	953	95	0	0	20	6	5	2	
उपूरे	2015-16	936	72	976	72	0	0	49	11	5	2	
पूमरे	2013-14		120	43	18		59	14	2	-	-	
पूमरे	2014-15		120	184	98		0	15	9	-	-	
पूमरे	2015-16		240	338	98		0	26	5	-	-	
दरे	2013-14		1308		1109		199		156	13	271500	एक मामले में जुर्माना लगाया गया था और दूसरा मामला कोर्ट में जांच के अधीन है।
दरे	2014-15		1466		1112		354		165	137	308500	दो मामलो में जुर्माना लगाया गया तथा अन्य मामले पर न्यायालय में मुकद्दमा चल रहा है
दरे	2015-16		1451		1047		404		183	142	320500	एक मामले पर जांच चल रही है तथा अन्य दो मामले न्यायालय में
दपूरे	2013-14	634	108	789	97	0	11	17	2	17	2	
दपूरे	2014-15	666	108	1043	173	0	0	24	6	24	6	

अनुबंध 8 (पैरा 5.3.1)

क्षेत्रीय रेलवे के मुख्य स्वास्थ निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किये गये खाद्य नमूनों की जांच विवरण

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	रेलवे/वर्ष	सीएचआई और एफएसओ द्वारा एकत्र किये जाने वाले शेष खाद्य नमूनों		वास्तव में एकत्र किये खाद्य नमूनों की संख्या		एकत्र किये गये खाद्य नमूनों की संख्या में कमी		खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांच में असफल हुये खाद्य नमूने		मामलों की संख्या जिन पर संबंधित एजेंसी* के प्रति कार्यवाही की गई		टिप्पणियां
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	**13**
दपूरे	2015-16	630	108	922	147	0	0	18	4	18	4	
परे	*2013-14*	*1627*	*246*	*1584*	*227*	43	19	*55*	*19*	*6*	*4*	10 मामलों में ₹ 27000/- का जुर्माना लगाया गया था।
परे	*2014-15*	*1425*	*256*	*1372*	*241*	53	15	*37*	*19*	*57*	*5*	(i) 59 मामलों में ₹ 185000/- का जुर्माना लगाया गया (ii) तरल बिवरेज प्रा. लि-पीडब्ल्यूडी की आपूर्ति हेतु पंजीकरण असूचिबद्ध (iii) 2 मामलों में चेतावनी पत्र जारी किया गया था।
परे	*2015-16*	*1558*	*335*	*1546*	*315*	12	20	*30*	*14*	*15*	*2*	(i)15 मामलों में ₹ 13000/- का जुर्माना लगाया गया (ii) एक मामले में स्टाल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया (iii) एक मामले में चेतावनी पत्र जारी किया गया।
उपूरे	*2013-14*	*24*	*5*	*359*	*76*	0	0	*27*	*12*	*14*	*9*	
उपूरे	*2014-15*	*24*	*5*	*390*	*67*	0	0	*10*	*7*	*4*	*4*	
उपूरे	*2015-16*	*24*	*5*	*428*	*76*	0	0	*9*	*6*	*6*	*3*	
मरे	2013-14	2528	157	3341	231	0	0	3	0	3	0	सात मामलों में ₹ 1000 तथा के बीच जुर्माना लगाया गया था,
मरे	2014-15	3301	262	4390	325	0	0	3	0	3	0	
मरे	2015-16	3295	369	4085	450	0	0	6	0	6	0	
पूरे	2013-14	लेखापरीक्षा को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई										
पूरे	2014-15											
पूरे	2015-16											
	कुल	**38489**		**41896**		**4224**		**1353**				

अनुबंध 9 (पैरा 5.3.3.)

आईएसओ प्रमाणन वाले क्षेत्रीय रेलवे की खानपान इकाईयो के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	31 मार्च 2016 तक केटरिंग यूनिटों की कुल संख्या				उन यूनिटों की संख्या जिन्होने 31 मार्च 2016 को आईएसओ 22000 प्रमाणन प्राप्त किया है				कालम 6 से 9 में निर्दिष्ट यूनिटों की संख्या जिन्होंने आईएसओ प्रमाणन अद्यतित नहीं किया				केटरिंग यूनिटों की संख्या जिन्होने 31 मार्च 2016 तक आईएसओ प्रमाणन प्राप्त नहीं किया				आईएसओ 22000 प्रमाणन प्राप्त/अद्यतित न करने के संक्षिप्त कारण
	विभागीय केटरिंग		जोनल रेलवे द्वारा		विभागीय केटरिंग		जोनल रेलवे द्वारा		विभागीय केटरिंग		जोनल रेलवे द्वारा		विभागीय केटरिंग		जोनल रेलवे द्वारा		
	अचल	चल	अचल	चल	अचल	चल	अचल	चल	अचल	चल	अचल	चल	अचल	चल	अचल	चल	
मरे	33	3	485	26	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3	485	26	दर्ज नहीं किया गया
पूतरे	0	0	226	26	उ.न.	उ.न.	0	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	226	26	अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया गया
पूमरे	9	0	687	15	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	9	0	606	15	दर्ज नहीं किया गया
परे	5	0	1	12	0	0	1	0	0	0	0	0	5	उ.न.	0	उ.न.	दर्ज नहीं किया गया
उमरे	0	0	413	1	0	0	8	0	0	0	0	0	32	0	373	1	दर्ज नहीं किया गया
उपूरे	1	0	642	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	642	9	छोटे ठेकेदार
उसीरे	9	0	719	20	शून्य	शून्य	शून्य	20	0	0	0	0	9	0	719	शून्य	उसीरे प्रशासन ने अपनी 09 (नौ) विभागीय केटरिंग यूनिटों द्वारा आईएसओ 22000 प्रमाणन प्राप्त करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया। स्थिर केटरिंग यूनिटों के लाइसेंसधारकों को इस बारे में सूचना नहीं दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप उसीरे द्वारा लाइसेंस दी गई इसकी 719 स्थिर केटरिंग यूनिटों के लिए आईएसओ 22000 का प्रमाणन नहीं लिया गया।
उरे	7	0	1439	40	0	0	14	8	0	0	0	0	7	0	1425	32	विभागीय यूनिटों/लाइसेंसधारकों की रिपोर्टों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कोई सपष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।
उपरे	0	0	699	12	0	0	06	11	0	0	01	02	0	0	07	01	रेलवे बोर्ड के अनुदेशों का अननुपालन
दमरे	4	0	528	14	0	0	12		0	0	0	0	4	0	528	14	आईएसओ 9008-2005 वाले 3 आरआरएज की आईएसओ 22000 में अद्यतन की प्रक्रिया चल रही है,
दपमरे	0	0	285	5	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	279	0	दर्ज नहीं किया गया
दपूरे	1	0	274	19				0				नहीं हुआ	1	0	274	19	दर्ज नहीं किया गया
दरे	3	1	689	37	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	689	37	दर्ज नहीं किया गया
दपरे	10	0	171	19	0	उ.न.	2	0	0	उ.न.	0	उ.न.	10	उ.न.	169	19	कारण दर्ज नहीं किए गए
परे	3	0	0	18													दर्ज नहीं किया गया
पमरे	0	0	447	2	उ.न.	उ.न.	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	447	2	उप सीसीएम/मुख्यालय पत्र के अनुसार, रेलवे के निजी लाइसेंसधारकों के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए है।
भारतीय रे	**85**	**4**	**7705**	**275**	**0**	**0**	**43**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114**	**4**	**6862**	**200**	

अनुबंध 9बी (पैरा 5.3.3.)

आईएसओ प्रमाणन वाले आईआरसीटीसी की खानपान इकाईयों के ब्यौरे दर्शाता विवरण

जोनल रेलवे का नाम	31 मार्च 2016 तक खानपान इकाईयों की कुल संख्या			उन इकाईयों की संख्या जिन्होंने 31 मार्च 2016 तक आईएसओ 22000 प्रमाणन प्राप्त किया है			कालम 5 से 7 में निर्दिष्ट यूनिटों में से इकाईयों की संख्या जिन्होंने आईएसओ प्रमाणन अद्यतित नहीं किया			खानपान इकाईयों की संख्या जिन्होंने 31 मार्च 2016 तक आईएसओ प्रमाणन प्राप्त नहीं किया			आईएसओ 22000 प्रमाणन प्राप्त/अद्यतित न करने के संक्षिप्त कारण
	आईआरसीटीसी द्वारा		आईआरसीटीसी निर्दिष्ट खानपान इकाईयां	आईआरसीटीसी		आईआरसीटीसी निर्दिष्ट केटरिंग यूनिटें	आईआरसीटीसी द्वारा		आईआरसीटीसी निर्दिष्ट खानपान इकाईयों	आईआरसीटीसी		आईआरसीटीसी निर्दिष्ट खानपान इकाईयों	
	अचल	चल		अचल	चल		अचल	चल		अचल	चल		
मरे	19	5	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	
पूतरे	0	2	7	उ.न.	3	5	उ.न.	0	0	उ.न.	0	2	यूनिटों के प्रचालन का एक वर्ष अभी पूरा होना है।
पूमरे	2	1	17	0	0	0	उ.न.	उ.न.	उ.न. उ.न.	2	5	17	आरओ पटना द्वारा यूनिटों को नियमित रूप से पत्र भेजे गए है।
परे	11	10		10	0					1	शून्य		आइएसओ प्रमाणन प्राप्त करने पर कार्य चल रहा है।
उमरे	1	0	9	0	0	4	0	0	3	1	0	5	
उसीरे	1	1	5	0	1	5	0	0	0	1	0	0	
उसीरे	5	5	4	1	शून्य	4	शून्य	नेप	शून्य	4	5	शून्य	1)4- स्थिर तथा 5 मोबाइल यूनिटों हेतु आइएसओ प्रमाणन की प्रक्रिया 31.03.2016 तक शुरू नहीं कि गई थी (2) 5 मोबाइल यूनिटों के संदर्भ में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया रेलवे प्रशासन से ट्रेन को चलाने हेतु अस्थायी अनुमति देने के कारण शुरू नहीं की गई थी।
उरे	2	NMA	12	2	एनएमए	12	शून्य	एनएमए	शून्य	शून्य	एनएमए	शून्य	कोई टिप्पणी नहीं
उपरे	Nil	0	7	शून्य	शून्य	7	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	अद्यतन न करने हेतु कोई कारण उपलब्ध नहीं
दमरे	0	2	28	0	0	23	0	0	4	0	0	4	निविदा शर्तों के अनुसार, हाल ही में शुरू की गई यूनिटों को यूनिट के प्रचालन के एक वर्ष के अंदर आईएसओ प्रमाणित कर दिया जाएगा।
दमरे	NIL	0	15	शून्य	शून्य	15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
दपूमरे	0	8	6	0	0	6	0	0	0	0	2	0	वर्तमान केटरिंग निति के अनुसार इन विभागीय यूनिटों को दपूरे की सौंपने के संदर्भ में व्याप्त अनिश्चितता के कारण
दरे	0	13	22	0	13	21	0	21	-	-	-	-	-
दपरे	10	2	18	10	0	18	0	0	0	0	4	0	कारण दर्ज नहीं किए गए
परे	1	6	15	0	3	13	0	0	0	1	3	2	पार्टियों ने आईएसओ प्रमाणन हेतु आवेदन किया है यह प्रक्रियाधीन है।
पमरे	1	0	9	शून्य	शून्य	9	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	
आईआर कुल	53	55	174	34	20	142	8	21	8	19	14	30	

अनुबंध 10 (पैरा 5.4)

क्षेत्रीय रेलवे तथा आईआरसीटीसी द्वारा किया गया यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण

क्षेत्रीय रेलवे	विभागीय						आईआरसीटीसी					
	यात्रियों की संख्या	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब	यात्रियों की संख्या	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
मरे	285	64	100	99	23	9	367	62	95	123	67	20
पूतरे	1113	303	390	330	85	20	2778	818	0	1660	356	40
पूमरे	204	83	54	63	21	0	1134	330	645	65	0	4
पूरे	0	0	0	0	0	0	621	98	215	201	86	31
उमरे	966	0	838	0	128	0	0	0	0	0	0	0
उपूरे	5362	28	156	4444	667	50	0	0	0	0	0	0
उसीरे	165	14	28	83	27	6	58	19	20	14	4	1
उरे	1064	0	964	0	100	0	0	0	0	0	0	0
उपरे	460	100	108	128	62	28	0	0	0	0	0	0
दमरे	14444	1997	4739	5927	1662	119	0	0	0	0	0	0
दपूमरे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दपूरे	5865	550	1956	2269	45	16	958	112	254	314	128	42
दरे	789	218	282	245	70	9	827	103	198	362	126	38
दपरे	1952	36	151	173	66	23	0	0	0	0	0	0
परे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पमरे	569	0	560	0	9	0	0	0	0	0	0	0
आइआर	33238	3393	10326	13761	2965	280	6743	1542	1427	2739	767	176

कुल	39981	%
उत्कृष्ट	4935	12
बहुत अच्छा	11753	29
अच्छा	16500	41
औसत	3732	9
खराब	456	1

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in